खण्ड-188, अंक-4
शुक्रवार, 29 भाद्रपद, शक संवत् 1879
(20 सितम्बर, 1957 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 188 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
ईसन और काली नदी की बाढ़ के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	३३२
पूर्वी जिलों की स्थिति के सम्बन्ध में सर्वदलीय समिति के कार्य के विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	३३२
बनारस जिले के दुलहीपुर ग्राम में सोडा ऐश फैक्टरी खोलने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	३३२–३३३
शाहजहांपुर जिले में रामगंगा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित लोगों के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	३३३–३३४
उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली में किये गये संशोधन (सदन की मेज पर रखे गये)	३३४
बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता तथा रिहन्द डैम के काम की समाप्ति के सम्बन्ध में जानकारी	३३४–३३५
कुमायूं जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक की संयुक्त प्रवर समिति के लिए विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन ..	३३५–३३६
उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर विधेयक, १९५७ (विचारोपरान्त पारित) ..	३३७–४०२
आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट तथा अपराध निरोधक समिति के निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा	४०२
नत्थियां	४०३–४०४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २० सितम्बर, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३६३)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री]
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्द ब्रह्म शाह, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गुरु
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री]
केशभानराय, श्री]
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद ,श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री]
गयाबख्श सिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री

गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदा सिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिका प्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तर सिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगबीर सिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगर सिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमल सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु शर्मा, श्री
दानदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त सिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेब सिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री

पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह, चौधरी
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवान सिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेश्वरप्रसाद सिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनपांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारी लाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेज बहादुरसिंह, श्री उपनाम लालसाहब
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुवीर राम, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (एटा)
रघुवीर सिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकान्त सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री

रामग्रधार तिवारी, श्री
रामग्रभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन सिंह, श्री (जौनपुर)
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव ,श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
राम समुझावन, श्री
रामसिंह चौहान, श्री वैद्य
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लायकसिंह, चौधरी
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वजरंगबिहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजय शंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशाल सिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुलइस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज बहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वती देवी शुक्ल, श्रीमती

सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम ,डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिहर बख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह विसेन, श्री
हृषवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २० सितम्बर, १९५७ ई०

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

सचिवालय में छटनी का विचार

**१---श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)---क्या यह ठीक है कि सचिवालय लखनऊ के कुछ टेम्परेरी क्लर्क्स तथा चपरासी हटाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो कितने ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---जी हां, यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है। सचिवालय में प्रत्येक ऐसे अफ़सरों के पास से जिनके पास एक से अधिक निम्न श्रेणी के कर्मचारी हैं, एक-एक चपरासी हटाया जायगा। इस प्रकार हटाये जाने वाले अस्थायी चपरासियों की संख्या अभी निश्चित नहीं की जा सकी है, किन्तु ऐसे चपरासियों को सचिवालय तथा प्रदेश के अन्य कार्यालयों में स्थान दिलाने का प्रयत्न किया जायगा।

जहां तक सहायकों का प्रश्न है सचिवालय के तीन विभागों में पुनस्संगठन किये जाने के फलस्वरूप कुछ अस्थायी सहायकों के अनावश्यक होने की सम्भावना है, परन्तु उन्हें भी प्रदेश के अन्य कार्यालयों में स्थान दिलाने का प्रयत्न किया जायगा।

**२---श्री जगन्नाथ प्रसाद---यदि यह सत्य है तो क्या सरकार कारण बताने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसके कारण सदन में इसके पूर्व कई बार बतलाये जा चुके हैं।

श्री जगन्नाथ प्रसाद---क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि वे कौन से ३ विभाग हैं जिनसे सहायकों को हटाया जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस बात की चर्चा जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के बजट के समय की जा चुकी है। मैं उसको फिर दोहरा देता हूं। सिंचाई शिक्षा और जंगल विभाग हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतला सकेंगे कि जिन सहायकों को हटाया जा रहा है उनकी संख्या क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं, अभी तक इस का ठीक-ठीक रूप नहीं बन पाया है ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो इन तीन विभागों में यह हटाने का प्रयोग किया जा रहा है क्या यह श्री के० के० दास, आई० सी० एस० की रिपोर्ट पर किया जा रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, बजट की बहस के समय बतला चुका हूं कि यही बात है ।

श्री जगन्नाथप्रसाद---क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलायेंगे कि इन चपरासियों के स्थान कब से चले आ रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं ठीक मतलब समझ नहीं पाया । चूंकि अस्थायी हैं तो किसी की सर्विस साल भर की होगी, किसी की ६ महीने की होगी और किसी की डेढ़ साल की होगी । अलग-अलग सबकी होगी ।

विधायकों के लिये जेल का मुआइना करने के नियम

**२---श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या समाज सुरक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सोशलिस्ट विधायकों के लिये उत्तर प्रदेश की जेलों का मुआइना करने पर पाबन्दी लगा दी गई गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

समाज सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)---जी नहीं ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जब एक सोशलिस्ट विधायक को आई० जी० प्रिजन्स से नैनी सेन्ट्रल जेल के विजिट करने का हुकुम नहीं मिला तो उन्होंने माननीय मंत्री जी से शिकायत की थी तो उस पर माननीय मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की ?

श्री मुजफ्फर हसन---जो इजाजत उन्होंने मांगी थी वह उनके अपने जिले के लिये नहीं थी ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि विधायकों के लिये जेल निरीक्षण करने के लिये जो नियम हैं उनमें क्या यह विशेष बात है कि वह अपने ही जिले का निरीक्षण कर सकते हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी हां ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अगर कोई मेम्बर आफ लेजिस्लेटिव असेम्बली दूसरे जिले में जाकर जेल का मुआइना करना चाहे तो क्या उसके लिये कोई रुकावट है ?

श्री मुजफ्फर हसन---मैंने अर्ज किया कि मेम्बर असेम्बली को अपने जिले में तो विजिट करने का अख्तयार है, लेकिन दूसरी जगहों में चाहे मेम्बर असेम्बली हो या कोई दूसरे हों, वह इजाजत से देख सकते हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---समाज कल्याण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि मैनपुरी जेल का निरीक्षण करने के लिये ही प्रार्थना-पत्र उन्होंने दिया था ?

श्री मुजफ्फर हसन---मेरे पास ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इजाजत कौन देता है ?

श्री मुजफ्फर हसन---सरकार से, आई० जी० आफ० प्रिजन्स से और जिलाधीश से भी ली जाती है ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---इस मामले में इजाजत न देने का क्या कारण था ?

श्री मुजफ्फर हसन---आई० जी० ने मुनासिब नहीं समझा होगा । इजाजत तो इजाजत ही है ।

बलिया जिला बोर्ड के अध्यक्ष का इस्तीफा

**४---श्री गौरी शंकर राय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिला बोर्ड के अध्यक्ष का इस्तीफा स्वीकृत न होने के क्या कारण हैं ?

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---उनका इस्तीफा स्वीकार हो चुका है ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह इस्तीफा कब स्वीकृत हुआ है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---कल ।

श्री गौरीशंकर राय---इसकी स्वीकृति में इतना विलम्ब क्यों हुआ ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---उसमें कुछ चीजें जानने की आवश्यकता थी । उसकी डी० एम० से रिपोर्ट आने के बाद वह स्वीकृत किया गया है ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या यह सत्य है कि इन अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध द्रव्य के दुरुपयोग, उसके अपहरण और अन्य प्रकार के आरोप थे जिनके बारे में अधिकारियों की राय थी कि उनकी जांच किये बिना इस्तीफा स्वीकार न किया जाय ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---इस विषय में जो काम किया गया है वह अधिकारियों की राय से और पूर्ण सहमति से किया गया है ।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)---जिले के अधिकारियों ने उन अध्यक्ष महोदय के सम्बन्ध में कोई आरोप लगा कर भेजे थे या उनकी कार्य कुशलता का कोई कारण बतलाया था जिससे इतनी देर से इस्तीफ़ा स्वीकार किया गया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---मेरा इतना कहना पर्याप्त है कि जिला अधिकारियों से पूछने पर कि आरोपों में कुछ सार है या नहीं यह केस तय किया गया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---जिला अधिकारियों ने अध्यक्ष के ऊपर कौन-कौन से आरोप लगाये थे ?

श्री अध्यक्ष---जरा थोड़ा सा प्रश्न विस्तृत हो रहा है । केवल इस्तीफ़े का सवाल है, आरोप का सवाल नहीं है ।

श्री उग्रसेन---उक्त अध्यक्ष के विरुद्ध पहले पहल सरकार के पास कब रिपोर्ट आई थी ?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न केवल इस्तीफ़े का है। मैं इस पूरक प्रश्न की इजाजत नहीं देता।

श्री गौरीशंकर राय---क्या यह सत्य है कि इस प्रश्न के उत्तर देने के सम्बन्ध में ही इस्तीफ़ा स्वीकार करने की मजबूरी हुई ?

श्री अध्यक्ष---यह आक्षेप है।

स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र में वृद्धि का विचार

**५---श्री गोविन्द नारायण तिवारी (जिला जालौन)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र में तारीख १७-६-५७ से तीन साल की वृद्धि करने के सिद्धांत पर स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र में भी उसी प्रकार की वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र में वृद्धि करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

आजमगढ़ जिला जेल में कैदी की मृत्यु

**६---श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिला जेल में तारीख ११-९-५७ को एक कैदी की मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किन कारणों से यह मृत्यु हुई ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी हां। Coronary thrombosis से हृदय की गति रुक जाने के कारण।

श्री रामसुन्दर पांडेय---माननीय मंत्री जी इसकी फिर से जांच करावेंगे कि क्या यह सही है कि यह कैदी पेड़ के ऊपर चढ़ा था और वहां पर बिजली का तार लग जाने के कारण मर गया ?

श्री मुजफ्फर हसन---ऐसे मामलों में जहां अचानक मौत होती है मैजिस्टीरियल इनक्वायरी होती है और वह हो रही है।

श्री शिवप्रसाद नागर---इस मृत्यु के सम्बन्ध में कोई जेल सुपरिन्टेन्डेंट की भी रिपोर्ट माननीय मंत्री जी को प्राप्त हुई है ?

श्री मुजफ्फर हसन---मैंने अपना जवाब उसी की बुनियाद पर दिया है।

गोमती की बाढ़ से लखनऊ जिले में हानि

**७---श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोमती में जो अभी बाढ़ आई है उससे लखनऊ के निकट किन-किन हल्कों में अधिक हानि हुई हैं ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---गोमती की बाढ़ से लखनऊ जिले के कुल ८७ ग्रामों को हानि पहुंची। इनमें ५५ ग्राम तहसील लखनऊ, १३ तहसील मलिहाबाद और १९ तहसील मोहनलाल गंज में स्थित हैं।

श्री गनेशी लाल चौधरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुल अनुमानतः कितने की हानि हुई है ?

श्री चरण सिंह—यह अभी नहीं कहा जा सकता है।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने गांवों की आबादी को हानि पहुंची है ?

श्री चरणसिंह—यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन १३,५०० व्यक्तियों पर इसका असर पड़ा।

बरेली और अलीगढ़ नगरपालिकाओं के परिसीमन घोषित करने में विलम्ब

*८—श्री अनन्तराम वर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार को विदित है कि प्रदेश की कुछ नगरपालिकाओं के वार्ड उदाहरणतः बरेली शहर और अलीगढ़ शहर के अन्तिम रूप में गजट में अब तक प्रकाशित नहीं हुये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश की नगरपालिकाओं के चुनाव के कार्य-क्रम की जो तिथियां निर्धारित की गई हैं, उनमें कोई परिवर्तन करने का विचार कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जिन नगरपालिकाओं के परिसीमन आज्ञा प्रकाशित होने की आवश्यकता थी वह प्रकाशित हो चुकी है। बरेली और अलीगढ़ नगरपालिका परिसीमन आज्ञाएं १४ सितम्बर, १९५७ के असाधारण गजट में प्रकाशित हुई हैं। दूसरा प्रश्न नहीं उठता।

श्री अनन्तराम वर्मा—क्या परिसीमन के प्रकाशित होने के बाद १५ दिन के नोटिस की आवश्यकता होती है ?

श्री अध्यक्ष—यह आप नियम पूछ रहे हैं, उनके दफ्तर में पूछें तो ज्यादा अच्छा होगा।

तारांकित प्रश्न

श्रमजीवी पत्रकार वेतन बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में विलम्ब

*१—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार श्रमजीवी पत्रकार कानून के अन्तर्गत श्रमजीवी पत्रकार वेतन बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—सरकार ने राज्य के समस्त प्रादेशिक संराधन अधिकारियों, अतिरिक्त प्रादेशिक संराधन अधिकारियों तथा श्रम निरीक्षकों को श्रमजीवी पत्र कार (सेवा प्रतिबन्ध) तथा प्रकीर्ण उपबन्ध नियमों, १९५७ के अधीन मजदूरी बोर्ड के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये निरीक्षक नियुक्त कर दिया है। समस्त समाचार पत्रों को सूचित भी किया गया है कि मजदूरी बोर्ड के निर्णय के अनुसार १९५२-१९५३ तथा १९५४ वर्ष के हिसाब-किताब का ब्योरा शीघ्र श्रमायुक्त को भेजें।

*२—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या श्रम मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस समय श्रमजीवी पत्रकारों और उनके मालिकों के बीच उठे विवादों को किस प्रकार निपटाया जा रहा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—सरकार ने जुलाई सन् १९५७ में यू० पी० श्रमजीवी पत्रकार (औद्योगिक विवाद) नियम, १९५७ का प्रारूप प्रकाशित किया है। यह नियम शीघ्र ही लागू किये जायेंगे और इनके अनुसार श्रमजीवी पत्रकारों के औद्योगिक विवादों को निपटाया जायगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। कल यहां इस विषय पर डेढ़ घंटे चर्चा हो चुकी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि कोई नवीन बात आवे तो इसका ध्यान आप जरूर करें, अन्यथा जैसा उचित समझें।

श्री अध्यक्ष—लेकिन प्रश्न तो पूछने का अधिकार है ही। मैं समझता हूं कि यह बात जरूर है कि कल विवाद में बहुत सी बातें स्पष्ट हो गई हैं, उन्हें प्रश्नों में मत पूछिये।

श्री भगवतीसिंह विशारद—माननीय मंत्री जी ने अभी बतलाया है कि श्रमजीवी पत्रकारों के औद्योगिक विवाद नियम, १९५७ का प्रारूप प्रकाशित किया गया है, वह किस कानून के अन्तर्गत किया गया है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—वर्किंग जर्नलिस्ट्स ऐक्ट की धारा ३ और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट की धारा ३८ के अधीन।

श्री भगवती सिंह विशारद—क्या सरकार को यह मालूम है कि वर्किंग जर्नलिस्ट्स कानून की धारा २१ खत्म कर दी गयी है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—उनकी राय हो सकती है, लेकिन इस कानून की धारा को खत्म करने का अधिकार उन्हें या हमें कुछ नहीं है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कल बताया क्या सरकार पेमल प्राविजन की कमी को दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में लिख रही है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—हमारे और केन्द्रीय सरकार के बीच में इन सभी विषयों पर लिखा पढ़ी चल रही है।

*३–४—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—[४ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

राशनलाइजेशन कमेटी रिपोर्ट पर विचार

*५—श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर के कपड़ा मिल-मजदूरों की मांग पर निर्मित Rationalisation Committee Report पर उसने क्या कार्यवाही की है?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—रिपोर्ट अभी सरकार के विचाराधीन है।

स्टेट आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के लिये अनुदान

*६—श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—स्टेट आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ की नवीन कक्षा (तृतीय वर्ष) के लिये सरकार ने अध्यापकों, भवन तथा उपकरणों की क्या-क्या व्यवस्था इस वर्ष की है और क्या-क्या करना बाकी है?

स्वास्थ्य उपमंत्री (डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी)—कुछ भवन बन रहे हैं। अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लिये ३७,००० रु० और उपकरणों के लिये ६०,५०० रु० इस साल के बजट में रक्खा गया है। संचालक से पूछा गया है कि इस सम्बन्ध में कालेज की न्यूनतम आवश्यकताएं क्या हैं। उनके प्रस्ताव आने पर समुचित कार्यवाही की जायगी।

*७—श्री मदनगोपाल वैद्य—इन कालेजों में विद्यार्थियों की भरती के लिये गत दो वर्षों में विज्ञापन पर कितना खर्च किया गया था और इस वर्ष कितना खर्च किया गया है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—इस मद पर सरकार का कोई खर्च नहीं हुआ।

श्री मदनगोपाल वैद्य—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तृतीय वर्ष के विषयों को पढ़ाने के लिये अभी तक एक भी अध्यापक की नियुक्ति नहीं हुई है, इस असुविधा के लिये कौन जिम्मेवार है ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)—बहुत जल्दी प्रबन्ध हो रहा है।

श्री मदनगोपाल वैद्य—क्या सरकार यह बतायेगी कि जब इस कालेज की योजना कई वर्ष पहले स्वीकृत हो चुकी है तो प्रतिवर्ष उसके स्वीकार किये जाने का प्रश्न कैसे उठता है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कालेज तो स्वीकृत है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस कालेज के विद्यार्थियों का प्रवेश किसी विज्ञापन से होता है या किसी और साधन से ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—ऐडवर्टाइजमेंट करा दिया जाता है और कोई साधन मुझे मालूम नहीं है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उस ऐडवर्टाइजमेंट में सरकार का कितना खर्च हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसका जवाब दे दिया गया है।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस समय कितने अध्यापकों की व्यवस्था नहीं हो पायी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसकी डिटेल हमारे पास मौजूद नहीं है।

श्री मदनगोपाल वैद्य—इस कालेज के लिये जो प्रतिवर्ष विज्ञापन होता है, वह क्या मुफ्त होता है या और किसी की तरफ से होता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यूनिवर्सिटी कराती है, मुफ्त नहीं होता।

*८—श्री लोकनाथ सिंह (जिला वाराणसी)—[४ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की योजना

*९—श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या सरकार देहातों में स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की कोई योजना बनाने का विचार कर रही है ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी—योजना स्वीकृत हो गई है और शीघ्र लागू होगी।

*१०—श्री गनेशीलाल चौधरी—यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—इस योजना के अन्तर्गत N. E. S. Blocks में एक एलोपैथिक डिस्पेन्सरी, ४ जच्चा-बच्चा केन्द्र, एक सफाई निरीक्षक तथा एक स्वास्थ्य निरीक्षक होंगे। जिस स्थान पर डिस्पेन्सरी होगी वहां एक जच्चा-बच्चा केन्द्र होगा और सफाई निरीक्षक तथा स्वास्थ्य निरीक्षक भी वहीं रहेंगे। तीन और जच्चा-बच्चा केन्द्र उसी दायरे में अलग-अलग खोले जायेंगे। डिस्पेन्सरी में एक डाक्टर, पी० एम० एस० (द्वितीय श्रेणी) का, एक कम्पाउन्डर और २ सेवक होंगे। जच्चा-बच्चा केन्द्र में एक मिडवाइफ कम्पाउन्डर और एक ट्रेन्ड दाई रहेगी। ऐसे १५० केन्द्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खोले जायेंगे।

श्री गनेशीलाल चौधरी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस योजना के लिये भारत सरकार से क्या ग्रांट मिली है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---तादाद बतलाना तो मुश्किल है, लेकिन रकम हमको मिलेगी।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस प्रकार के हेल्थ सेंटर प्रत्येक एन० ई० एस० ब्लाक में खोले जाने की व्यवस्था है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस साल हम ५० खोलेंगे।

श्री मदनगोपाल वैद्य ---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एक हेल्थ सेंटर में कितने कर्मचारी होते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---तादाद बतला दी गयी है।

श्री सुरथ बहादुर शाह (जिला खीरी)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन हेल्थ सेंटर्स में स्टाफ पर कितना व्यय करने का विचार है और दवाओं पर कितना ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---बिना फ्रेश नोटिस के यह तफसील इस वक्त नहीं बतलायी जा सकती।

श्री गनेशीलाल चौधरी---सरकार ने जो योजना बतलायी है वह एन० ई० एस० ब्लाक्स के लिये है, परन्तु जो गांव ब्लाक्स की लिस्ट में नहीं हैं उनके लिये उनकी क्या योजना है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अभी फिलहाल तो यही योजना है। आगे हेल्थ सेंटर्स खुलेंगे तो उसमें कुछ और कवर कर लेंगे।

श्री उग्रसेन---जो ५० हेल्थ सेंटर्स खुलेंगे उनमें से कितने इन्टेन्सिव ब्लाक्स में खुलेंगे और कितने शैडो ब्लाक्स में खुलेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह तो तय करने की बात है।

*११---श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)---[४ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

कुष्ठ रोग नियंत्रण पर व्यय

*१२---श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंगे कि प्रदेश में कुष्ठ रोग के नियंत्रण पर गत वर्षों में १९५५-५६ व १९५६-५७ में अलग-अलग सरकार ने कितना व्यय किया ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---प्रदेश में कुष्ठ रोग नियंत्रण पर गत दो वर्षों में सरकार ने निम्न व्यय किया था :

	रु०
१९५५-५६	४,००,६७१
१९५६-५७	४,११,२५८

*१३---श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुष्ठ के रोगियों के लिये प्रदेश में कितने सरकारी अस्पताल हैं और उनमें कुल कितने रोगियों का उक्त वर्षों में अलग-अलग इलाज किया गया ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—प्रदेश में सरकारी कुष्ठ चिकित्सालय, वाराणसी, बहराइच तथा मेरठ में है उनमें रोगियों की संख्या पिछले दो वर्षों में निम्न रही है :—

	१९५५	१९५६
कुष्ठ चिकित्सालय, वाराणसी	२८	१०३
कुष्ठ चिकित्सालय, बहराइच	९,८८१	९,६२८
कुष्ठ चिकित्सालय, मेरठ	४८	५५

*१४—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के किस भाग में सब से अधिक कुष्ट रोग प्रचलित है और क्या सरकार ने कुष्ठ रोगियों की कोई गणना भी कराई है अथवा कराने का विचार है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—अनुमानतः प्रदेश के पूर्वी तथा तराई के इलाकों में कुष्ठ रोग अधिक प्रचलित है। अभी तक कुष्ठ रोगियों की गणना नहीं की गयी है। विचार किया जा रहा है कि कुछ जिलों में इनकी गणना कराई जाय।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष अथवा अगले वर्ष पूर्वी और पहाड़ी जिलों में कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा का कोई अस्पताल खोलने का उनका इरादा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—फुलफ्लेज्ड अस्पताल खोलने का इरादा नहीं है लेकिन कुछ क्लीनिक्स खुलेंगे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुष्ठ रोग के चिकित्सकों के लिये सरकार की ओर से किसी स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—२ आदमी इस साल कलकत्ता ट्रेनिंग के लिये भेजे हैं।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ आदि बड़े शहरों में जो कुष्ठ रोगी भिखमंगों के रूप में मारे-मारे फिरते हैं उनको पकड़वा कर कुष्ठ आश्रम में दाखिल कराने की कृपा की जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय सदस्यों का सहयोग उपलब्ध हो जाय तो आसानी से यह काम हो सकता है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—सरकार ने १९५५ में एक प्रश्न के उत्तर में बताया था जिसकी प्रतिलिपि मेरे पास है, कि उनकी संख्या यहां २ लाख और ३ लाख के बीच में करीब ढाई लाख के हैं, मैं जानना चाहता हूं कि यह प्रगति पीछे कैसे हुई और इन दोनों बातों में कैसे सामंजस्य है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी सर्वे ठीक तौर से नहीं हुआ है और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि सर्वे कराने पर ही ठीक फिगर बताये जा सकते हैं, अन्दाज तो हमेशा कम बेश होता है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—उत्तर में जो फिगर्स दी गयी हैं और बहराइच में जो ९,६२८ की संख्या सन् १९५६ में और ९,८८१ की संख्या सन् १९५५ में बताई गई है, तो बहराइच में इतनी बढ़ी हुई संख्या का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बहराइच में एक सैयद सालार का मेला होता है, कहा जाता है कि वहां जाने से कोढ़ी अच्छे हो जाते हैं और इसी कारण से दूरदराज के कोढ़ी वहां जमा होते हैं और तादाद बढ़ जाती है।

श्री प्रतापसिंह---क्या सरकार को यह सूचना है कि तराई क्षेत्र में इस रोग की चिकित्सा का कोई प्रबन्ध नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी नहीं, यह सूचना नहीं है ।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कोढ़ के रोगियों को जो भीख मांगने की इजाजत है या उनका जो भीख मांगना नहीं रोका जाता इस कारण से भी कुष्ठ रोग प्रदेश में तेजी से फैल रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह तो डाक्टर ही बता सकते हैं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके जिले के सैयद सालार के मेले में जो बहुत काफ़ी तादाद में कुष्ठ रोगी आते हैं, क्या उनको अनिवार्य रूप से पकड़ कर कुष्ठ अस्पताल में भेजा जाता है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---जबर्दस्ती डेमोक्रेसी में अब नहीं होती ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---प्रदेश के तराई और पूर्वी इलाकों में जहां पर कुष्ठ रोग ज्यादा है उसका क्या कारण है ? क्या सरकार इसकी जांच के लिये कोई विशेषज्ञों का कमीशन एप्वाइंट करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---हर चीज के लिये कमीशन मुकर्रर नहीं होता, सरकार पता लगाने की बात सोच रही है कि उसके क्या कारण हैं और वह बिना कमीशन मुकर्रर किये हुए भी पता लग सकता है ।

अमिला, जिला आजमगढ़ का अस्पताल न बन सकना

*१५---श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतायेगी कि आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील में अमिला में अस्पताल बनाने के विषय में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सन् १९५६-५७ में प्रदेश के अन्य स्थानों के साथ इस स्थान पर भी अस्पताल खोलने के प्रश्न पर विचार किया गया था, पर इस स्थान पर चिकित्सालय खुलना स्वीकृत न हो सका ।

इलाहाबाद जिले में कालरा और इन्फ्लुयेन्जा का प्रकोप

*१६---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद में कालरा तथा इन्फ्लुएंजा में कितने आदमी १५ मई, १९५७ से २८ जुलाई, १९५७ तक मरे तथा कितने आदमियों का सरकारी अस्पतालों में इलाज हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इलाहाबाद जिले तथा नगर में १५ मई, १९५७ से २८ जुलाई, १९५७ तक कुल ५३६ मौतें गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस से हुई, इन्फ्लुएंन्जा से कोई मृत्यु नहीं हुई । ५९५ गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस के मरीजों की तथा १०,७१६ इन्फ्लुएंन्जा के मरीजों की अस्पतालों में चिकित्सा हुई । इन्फ्लुएन्जा के मरीजों में से १,०२७ की चिकित्सा विभिन्न अस्पतालों में भरती करके की गई तथा शेष की आउट-डोर से दवा देकर की गई ।

असिस्टेंट केन डेवलपमेंट आफिसर्स का कार्यकाल

*१७---श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गन्ना विकास विभाग में कितने ऐसे ए० सी० डी० ओज० हैं तथा असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं जो अपने स्थान पर ३ वर्ष से अधिक से कार्य कर रहे हैं तथा ऐसे कितने हैं जो ५ वर्ष से अधिक से कार्य कर रहे हैं तथा ऐसा क्या विशेष कारण है जिससे इनका ट्रान्सफर नहीं हो रहा है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---गन्ना विकास विभाग में ७ ऐसे ए० सी० डी० ग्रोज० हैं जो ग्रपने स्थान पर ३ वर्ष से ग्रधिक से कार्य कर रहे हैं ग्रौर एक भी ऐसा ए० सी० डी० ग्रो० नहीं है जो पांच वर्ष से ग्रधिक से एक स्थान पर कार्य कर रहा हो। इस विभाग के नियम के ग्रनुसार पांच वर्ष से ग्रधिक कोई ग्रधिकारी एक स्थान पर नहीं रह सकता। ग्रसिस्टेन्ट सेक्रेटरीज केन यूनियन फेडरेशन के ग्रन्तर्गत कार्य करते हैं। केवल एक तीन वर्ष से ग्रधिक ग्रौर एक पांच वर्ष से ग्रधिक से एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं।

*१८---श्री जगबीर सिंह---क्या सरकार यह बतायेगी कि कितने ए० सी० डी० ग्रोज० तथा ग्रसिस्टेंट सेक्रेटरीज हैं जो चीनी मिलों के क्वार्टरों में रहते हैं ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---ए० सी० डी० ग्रोज० ४१, ग्रसिस्टेन्ट सेक्रेटरीज १६।

श्री जगबीर सिंह---क्या मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जैसा उन्होंने बतलाया, ३ वर्ष से ग्रधिक ग्रपने स्थान पर जिले में काम कर रहे हैं या एक ही सोसाइटी में ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---स्थान पूछा गया था ग्रौर मैंने स्थान बताया।

बांदा जिले में गोसदन खोलने का ग्रायोजन

*१६---श्री रामसनेही भारतीय (जिला बांदा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिले में गोसदन खोलने की योजना किस स्थान पर ग्रौर कब तक कार्यरूप में परिणत हो जावेगी ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---बांदा जिले में एक राजकीय गोसदन रानीपुर ग्राम में तथा एक जिला गोसदन ग्राम रासिन में खोले जा रहे हैं। राजकीय गोसदन के भवन के निर्माण का कार्य प्रायः पूर्ण हो चुका है, ग्रावश्यक सज्जा तथा सामान का क्रय भी हो चुका है। कर्मचारियों की नियुक्ति होते ही इस वर्ष के ग्रन्त तक राजकीय गोसदन के प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है।

जिला गोसदन के लिये भूमि ग्रादि का प्रबन्ध हो चुका है, ग्रतः इस वर्ष के ग्रन्त तक गोसदन की स्थापना हो जाने की ग्राशा है।

*२०---श्री रामसनेही भारतीय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बांदा, ग्रतर्रा, कर्वी, बाजारों में गल्ला खरीदार किसानों से गोसदन के नाम से फी बैलगाड़ी जो ग्रनाज का संचय करते हैं उसका हिसाब सरकार खरीदारों से लेने का विचार रखती है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---इन बाजारों में गल्ला के खरीदार गोशालाग्रों के नाम से किसानों से फी बैलगाड़ी जो ग्रनाज का संचय करते हैं वह पहले से ही "धर्मादा" के नाम से लिया जाता है। यह संचय गोशालाग्रों को दिया जाता है। ग्रब क्योंकि जिलों में गोसदनों की योजना स्वीकृत हो गई है ग्रतः गल्ला खरीदारों से इस संचय का हिसाब देने की प्रार्थना की जायगी, ताकि इस धनराशि का भी गोसदन की स्थापना एवं संचालन में उपयोग हो सके।

श्री रामसनेही भारतीय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय गोसदन में सरकार ने कितने एकड़ जमीन लेने की व्यवस्था की है ग्रौर गोसदन में कितने मवेशी रखे जायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसके लिए नोटिस की ग्रावश्यकता है। वे फिगर्स मेरे पास नहीं हैं।

श्री जगपतिसिंह (जिला बांदा)---क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि गोसदन में जो पिछला, बैलगाड़ियों से अनाज इकट्ठा किया गया था उसका भी हिसाब जंचवाने का विचार कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अभी तो हम आइन्दा वाली बात सोच रहे हैं ।

श्री वीरेंद्र वर्मा---क्या माननीय कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो पैसे या गल्ले की कटौती है वह गौसदन के लिए कटती है या गौशाला के लिए ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---धर्मादा में कटता है । जिसमें मुनासिब समझते हैं खर्च करते हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बांदा जिले में गोसदन कब से कायम है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कायम होने जा रहा है ।

श्री रामसनेही भारतीय---क्या सरकार बतायेगी कि रासिन में जब एक जनता का गोसदन पहले से है तो अब जो जिला गोसदन खुल रहा है उसको सरकार ने वहीं क्यों रखा ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---लोगों की सलाह से ।

*२१---श्री बाबूराम (जिला बरेली)---[१४ अक्तूबर, १९५७ के लिये प्रश्न ६७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*२२---श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---[४ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२३-२४---श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)---[४ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२५-२६---श्री रामायण राय---[४ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

वेश्याओं की सामाजिक दशा सुधारने के लिये प्रयत्न

*२७---श्री भजनलाल (जिला इटावा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में कितनी वेश्याएं हैं ?

समाज कल्याण उपमंत्री (श्रीमती प्रकाशवती सूद)---इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

*२८---श्री भजनलाल---क्या सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इन वेश्याओं की सामाजिक दशा सुधारने के लिये कोई उपाय कर रही है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---जी हां ।

श्री भजनलाल---क्या सरकार बतायेगी कि इटावा जिले की वेश्याओं की संख्या न मिलने का कारण क्या है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---इटावा जिले की ही नहीं, बल्कि सारे प्रदेश के जिलों की वेश्याओं की संख्या उपलब्ध करना मुश्किल है क्योंकि कोई भी लाइसेंस वेश्याओं को नहीं दिया जाता । इस लिये संख्या उपलब्ध करना कठिन है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीया मंत्रिणी जी बतायेंगी कि सरकार जो वेश्याओं का सामान्य सुधार करने जा रही है वे उपाय क्या हैं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---सेन्ट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की ओर से एक सोशल और मारल हाईजीन कमेटी बैठायी गयी थी उसकी रिपोर्ट में भी इसकी संख्या नहीं दी गयी । उसके १८० नम्बर के पृष्ठ पर यह दिया गया कि इटावा जिले में वेश्याओं की संख्या अधिक है इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार ने देहरादून के अन्दर नाबालिग लड़कियों का एक होम स्थापित किया है, ताकि उन्हें वेश्यावृत्ति से बचाया जा सके । उनको शिक्षा तथा दस्तकारी सिखाने का प्रबन्ध किया हुआ है । इसी प्रकार से कानपुर में वेश्यावृत्ति से बचाने के लिये उनको वहां से हटा कर उन होमों में रखने का सरकार की ओर से प्रबन्ध है, जहां उन्हें दस्तकारी तथा पढ़ाई की शिक्षा दी जा रही है ।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार ऐसा कोई कानून बनाने पर विचार कर रही है कि २० वर्ष से कम की कन्याओं को वेश्या बनने से रोका जा सके ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---जी नहीं, अभी तो कोई ऐसा प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

इलाहाबाद के क्षयरोग अस्पताल की चहार दीवारी का गिर जाना

*२९---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद राजयक्ष्मा अस्पताल का निर्माण चहार दीवारी सहित कितने रुपये में कब किया गया था ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---यह अस्पताल मार्च, १९५६ में बन कर तैयार हुआ। चहार दिवारी सहित । इस अस्पताल के निर्माण में १,७१,७४१ रु० व्यय हुआ ।

*३०---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अस्पताल की चहारदीवारी कब और क्यों धराशायी हो गई ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---इस चहार दीवारी का कुछ हिस्सा २ जून, १९५७ को एक तूफान में गिर गया ।

*३१---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त चहार-दीवारी के बनाने में कितना व्यय हुआ था ?

डाक्टर जवाहर लाल रौहतगी---४,२०० रु० ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि चहारदीवारी की ऊंचाई क्या थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कद्देआदम थी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चहारदीवारी की जुड़ाई मिट्टी से हुई थी या सीमेंट से ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चहारदीवारी से ऊंची अस्पताल की दीवार थी, वह इस तूफान से नहीं गिरी इसलिए कि वह मजबूत थी और यह कमजोर थी इसलिए गिर गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मुमकिन है कि उस पर तूफान की चोट सीधी न पड़ती रही हो ।

इलाहाबाद के क्षयरोग अस्पताल पर व्यय

*३२—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद में जो क्षय रोग का अस्पताल बना है उसको सरकार की ओर से चलाया जाता है या उसको सरकार द्वारा सहायता दी जाती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—क्षय रोग अस्पताल, इलाहाबाद को सरकार चलाती स्वयं है।

*३३—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उस अस्पताल में कितने Beds हैं और उन पर प्रत्येक वर्ष कितना व्यय होता है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—इस अस्पताल में कुल ४५ शय्याएं हैं और इन पर लगभग ९५,४०० रु० प्रति वर्ष व्यय होता है ।

हाथरस की कपड़ा और सूती मिलों को फिर से चालू करने की प्रार्थना

*३४—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस में जो दो सूती और कपड़ा मिलें बन्द पड़ी हैं पिछले पांच वर्षों में वे क्रमशः कितने दिन चलीं और कितने दिन बन्द रहीं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मेसर्स रामचन्द्र स्पिनिंग ऐंड वीविंग मिल्स हाथरस, जिसका नाम अब मेसस रामचन्द्र टेक्सटाइल्स, हाथरस है। ३० नवम्बर, १९५३ से १ नवम्बर, १९५५ तक बंद रही और ६ मई १९५७ से पुनः अनिश्चित काल के लिये बन्द है। मेसर्स लल्लामल हरदेवदास काटन मिल्स, हाथरस १ मार्च, १९५३ से बन्द है।

*३५—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त फैक्टरियों के चालू कराने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इन मिलों के चालू होने की संभावना पर समय-समय पर विचार किया गया, परन्तु कुछ विशेष कठिनाइयों के कारण ये मिलें नहीं चल सकीं।

*३६—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार इन मिलों को स्वयं चलाने का निर्णय कब तक कर सकेगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—इस समय यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन मिलों के बार-बार बन्द होने के कारण सूत तथा कपड़े का उत्पादन बन्द हो जाता है तो क्या सरकार ने इस उत्पादन का क्रम बराबर जारी रखने के लिए कोई कार्य-क्रम तैयार किया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—उत्तर प्रदेश और सारे प्रदेश में कपड़े का और सूत का उत्पादन पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य के अनुकूल रहा है। इन मिलों के अन्दर सूत और कपड़े की कमी के कारण उन लक्ष्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—जिन दिनों में ये मिलें बन्द रहीं उन दिनों की मजदूरों की मजदूरी कितनी-कितनी लोगों पर बाकी है और सरकार ने उसको दिलाने के लिए क्या कोशिश की है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—आज किस मिल के किन श्रमिकों की कितनी मजदूरी बाकी है यह तो हमारे पास सूचना इस वक्त नहीं है, लेकिन जब-जब इस तरह की सूचना हमारे पास आती है श्रमिकों को उनकी मजदूरी दिलाने के पूरे प्रयत्न सरकार की ओर से किये जाते हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वे विशेष कठिनाइयां क्या थीं जिनकी वजह से ये मिलें चालू नहीं करायी जा सकतीं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मिलों के पार्टनर्स के आपस के झगड़े, लिटिगेशन, उनके पास फाइनेंसेज की कमी, उनकी पुरानी मशीनरी और उनके स्पिंडिलेज और लूमेज का प्रापर रेशियो का न होना ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन मिलों के बन्द होने से कितने मजदूर प्रभावित हुए ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---निश्चित संख्या श्रमिकों की तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि उससे करीब-करीब ४ हजार के अन्दर संख्या में मजदूर अफेक्टेड हैं ?

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या माननीय श्रम मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त जिलों के मजदूरों ने सरकार से यह मांग की थी कि वह सहकारी ढंग से इस मिल को चलाने के लिए तैयार हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---दोनों मिलों के सम्बन्ध में यह बात ठीक नहीं है ।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ---सरकार वह कारण बताने की कृपा करेगी कि इन दोनो मिलों के लिए सहकारी रूप से चलाने की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने तो यह कहा कि दोनों मिलों के सम्बन्ध में यह बात ठीक नहीं है कि वहां के मजदूरों ने दरख्वास्त दी है । इस उत्तर से यह प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ---इन दोनों मिलों के लिए नहीं तो किसके लिए यह है यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---रामचन्द्र स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, हाथरस के सिलसिले में इस तरह की चर्चा चली थी, लेकिन मजदूरों की तरफ से या किसी सहकारी समिति की तरफ से कोई निश्चित कदम इस ओर नहीं उठाया गया और न अर्थ ही ऐसा एकत्रित किया गया है जिससे संभव हो सके कि वह मिल चल सकेगी ।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ये मिलें जिस वक्त गवर्नमेंट ने चलाई थी तो गवर्नमेंट के ऊपर ठेकेदारों का कुछ रुपया बकाया रह गया था ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---सरकार ने इन मिलों को कभी नहीं चलाया । एक बार आथोराइज्ड कंट्रोलर नियुक्त किया गया था जो कि सरकार का प्रतिनिधि नहीं होता ।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ---क्या सरकार को ज्ञात है कि ऐसी मिलें जो बार-बार बन्द हो जाती हैं उनको दूसरे प्रदेशों में सरकार स्वयं चलाने के लिये कदम उठाती है, तो हमारी सरकार ऐसा कदम उठाने के लिये क्यों तैयार नहीं है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---पहली बात जो प्रश्नकर्त्ता ने कही है वह खुद सही नहीं है । सभी प्रदेशों में जो मिलें बन्द होती हैं उन्हें सरकार चलाया नहीं करती । इन मिलों के सम्बन्ध में, मैं कह सकता हूं कि किसी भी हालत में, कोई भी उनको चलाना चाहे तो उनका आज जो ढांचा है स्पिंडिलेज व लूमेज का, वह जब तक बुनियादी तौर से बदला नहीं जाता, तब तक कोई भी उनको नहीं चला सकता ।

*३७-३८---श्री मदनगोपाल वैद्य---[४ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थानान्तरित किये गये ।]

श्रमिकों को त्योहारों की छुट्टियां

*३९—श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)—क्या यह सत्य है कि चीनी मिलों में श्रमिकों को एक साल में १८ त्योहारों की छुट्टियां (Festival holidays) मिलती हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—जी हां ।

*४०—श्री तेजासिंह—यदि हां, तो क्या सरकार इंजीनियरिंग कारखानों (Engineering industry) में भी ऐसी १८ छुट्टियां दिलवाने का प्रबन्ध करने पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इंजीनियरिंग मिलों के तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों के बीच छुट्टियों के संबंध में समझौता हो जाने पर ही सरकार इस प्रश्न पर विचार कर सकती है ।

श्री तेजासिंह—इसका संबंध प्रांत के तमाम कारखानों से है, केवल एक कारखाने से नहीं है तो क्या माननीय मंत्री जी यह संभव समझते हैं कि हर एक कारखाने वाले और यूनियन वाले अलग-अलग बात करके यह बात करवा सकते हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—कोई रुकावट हमारी तरफ से इसमें नहीं होगी ।

श्री भगवती सिंह विशारद—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की चीनी मिलों में सब जगह एक-सी छुट्टियां होती हैं या कहीं पर कम और कहीं पर ज्यादा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—चीनी मिलों के मालिकों और मजदूर प्रतिनिधियों में हुये समझौते के अनुसार छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन १८ से कम छुट्टियां कहीं नहीं मिलतीं ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मंत्री मेरे प्रश्न को पुनः सुनते हुए यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की चीनी मिलों में कहीं पर कम और कहीं पर ज्यादा छुट्टियां मिलती हैं ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने जो जवाब दे दिया, उससे आप अन्दाज लगा सकते हैं ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—जवाब दिया कि १८ से कम नहीं मिलती । मैं पूछ रहा हूं कि कम या ज्यादा मिलती हैं ?

श्री अध्यक्ष—अलहदा-अलहदा मिलों में समझौता होता है उसके अनुसार छुट्टियां यदि मिलती हैं तो कम या ज्यादा हो ही जायंगी ।

भूतपूर्व अपराधशील जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

*४१—श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सन् १९५५-५६ व १९५६-५७ में कितनी छात्रवृत्तियां भूतपूर्व अपराधशील जाति के विद्यार्थियों को दी गयीं ?

हरिजन सहायक राज्य मंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)—सन् १९५५-५६ में ५०२ और १९५६-५७ में ८२९ ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या सरकार बतलायेगी कि भूतपूर्व अपराधशील छात्रों को सन् १९५६ और १९५७ में कितनी सहायता दी गई ?

श्री मंगलाप्रसाद—सन् १९५५-५६ में ४१,९७३ रु० की और १९५६-५७ में ३६,०१४ रु० की सहायता दी गई ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या इसमें कोई रुपया केंद्रीय सरकार ने भी दिया है ?

श्री मंगलाप्रसाद—इसके लिये नोटिस की जरूरत है ।

खीरी जिले में भूतपूर्व अपराधशील जातियों के उपनिवेशों पर व्यय

*४२---श्री जगन्नाथप्रसाद---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि खीरी जिले में भूतपूर्व अपराधशील जातियों के लिये कौन-कौन सी कालोनीज हैं तथा उन पर १९५५-५६ व १९५६-५७ में कितना व्यय हुआ ?

श्री मंगला प्रसाद---जिला खीरी में भूतपूर्व अपराधशील जातियों के लिये भटपुरवा, कुसमी, सुग्राबोझ, सैदापुर, देवकली, कनहा-पिपरी तथा साहबगंज उपनिवेश सरकार द्वारा बनाये गये हैं। उनपर निम्नलिखित व्यय हुआ है---

		रु०
सन् १९५५-५६ में	..	६४,२२७
सन् १९५६-५७ में	..	३,५७,०३२
कुल योग		४,२१,२५९

*४३---श्री जगन्नाथप्रसाद---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भविष्य में कितनी और कालोनीज प्रदेश में खोलने का उसका विचार है और कहां-कहां ?

श्री मंगलाप्रसाद---भविष्य में उत्तर प्रदेश में इन जातियों की उपनिवेश योजना के हेतु केंद्रीय सरकार से यथोचित पत्र-व्यवहार हो रहा है। अभी स्थान निश्चित रूप से नहीं बताये जा सकते हैं।

श्री जगन्नाथ प्रसाद---क्या सरकार बतायेगी कि इन कालोनीज में कितने परिवारों के ऊपर रुपया खर्च किया गया ?

श्री मंगलाप्रसाद---परिवारों की कुल संख्या के लिये तो नोटिस चाहिये, लेकिन अभी तक खीरी जिले में २०१ परिवारों को बसने के लिये जगह दी गयी है और खेती आदि के लिये भी दी गयी है।

श्री वीरेंद्र वर्मा---माननीय हरिजन कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो चार लाख कुछ रुपया पिछले दो सालों में सरकार द्वारा खर्च हुआ है, वह किन विशेष कार्यों पर हुआ है--- काटेज इंडस्ट्री पर या किसी और बड़े उद्योग पर ?

श्री मंगला प्रसाद---यह तो बसाने पर खर्च हुआ है और जितने बसे हैं वह ज्यादातर खेती के सिलसिले में बसे हैं। ६-६, ७-७ बीघा जमीन हर परिवार को दी गयी है खेती के लिये, शिक्षा के लिये और इसी तरह के कार्यों के लिये, जिससे उनको लाभ हो सके। कोई कुटीर उद्योग वहां शुरू नहीं हुआ है।

श्री गनेशीलाल चौधरी---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने व्यक्ति प्रांत में अपराधशील हैं, जिनको किसी कालोनी में नहीं बसाया गया है ?

श्री मंगलाप्रसाद---यह तो बताना अभी मुश्किल है, इसका कोई इस वक्त सवाल भी नहीं था, लेकिन १,५०० घरों को बसाने की योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल है। उसके लिये जमीन ढूंढ़ी जा रही है। मुफ्त जमीन अगर नहीं मिलती तो उसको खरीदने की कोशिश की जाती है। उसके लिये प्रयत्न हो रहा है और मेरा खयाल है कि उसमें सफलता होगी।

श्री रामशरण यादव---क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्रिमिनल जातियों में कौन-कौन-सी जातियां रखी गयी हैं ?

श्री मंगला प्रसाद---यह तो नहीं मालूम है, नोटिस की जरूरत है।

श्री जगन्नाथ प्रसाद---क्या सरकार बतायेगी कि कितना रुपया जमीन खरीदने में खर्च किया गया ?

श्री मंगला प्रसाद---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

कथित हरिजन सहायक निधि

*४४---श्री बादामसिंह (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)---क्या हरिजन कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को हरिजन सहायक निधि से कुल कितना धन दिया गया ?

श्री मंगला प्रसाद---ऐसी कोई निधि नहीं है।

*४५---श्री बादामसिंह (अनुपस्थित)---क्या हरिजन कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने व्यक्तियों से यह धनराशि वापस करने का आदेश हुआ तथा कितने व्यक्तियों ने इस आदेश की अवहेलना की और धन वापस नहीं किया ? ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मंगला प्रसाद---प्रश्न नहीं उठता।

हरदोई जिले के चिकित्सालय

*४६---श्रीमती विद्यावती वाजपेयी (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में कितने एलोपैथिक व कितने आयुर्वेदिक अस्पताल हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---एलोपैथिक-२०, आयुर्वेदिक-१६।

*४७---श्रीमती विद्यावती वाजपेयी (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या ये अस्पताल सरकार की इस योजना के अनुसार बने हैं कि हर पांच-पांच मील पर अस्पताल खोले जायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां।

*४८---श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---[हटा दिया गया।]

बूढ़ों को पेन्शन देने के नियम

*४९---श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बुढ़ापे की पेंशन देने के विषय में सरकार ने क्या नियम बनाये हैं ?

*५०---यह भत्ता किन श्रेणी के बुड्ढों को दिया जायगा ?

आचार्य जुगल किशोर---ये प्रश्न अभी विचाराधीन हैं।

श्री टीकाराम पुजारी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बुड्ढों को पेंशन देने के विषय में सरकार ने क्या नियम बनाये हैं और बुढ़ापे का भत्ता किन श्रेणी के बुड्ढों को दिया जायगा ?

आचार्य जुगलकिशोर---श्रीमन्, प्रश्न समझ में नहीं आया।

श्री अध्यक्ष---आप वैसा ही न समझ में आने वाला उत्तर दे दीजिये।

आचार्य जुगलकिशोर---विचाराधीन है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह विचाराधीन विषय कब तक तय हो जायगा ?

आचार्य जुगलकिशोर---बहुत शीघ्र ।

*५१---श्री टीकाराम पुजारी---[४ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

समाचार-पत्रों द्वारा श्रम आयुक्त को आय का लेखा भेजना

*५२---श्री गौरीशंकर राय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्रमजीवी पत्रकार कानून के अन्तर्गत बने वेज बोर्ड के निर्णय के अनुसार प्रदेश के कितने समाचार पत्रों ने १९५२,१९५३, १९५४, इन तीन वर्षों का आय-व्ययक का लेखा श्रम आयुक्त (लेबर कमिश्नर) के यहां ११ जून, १९५७ तक दाखिल कर दिया था और कितनों ने नहीं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---११ जून, १९५७ तक ६ समाचार-पत्रों ने सन् १९५२, १९५३ एवं १९५४ की आय का लेखा श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश के यहां दाखिल कर दिया था तथा शेष १०३ ने नहीं दाखिल किया था। व्यय का लेखा दाखिल करने का कोई विधान नहीं है।

*५३---श्री गौरीशंकर राय---जिन समाचार-पत्रों ने उक्त लेखा निर्धारित समय के भीतर दाखिल नहीं किया उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की और ऐसे समाचार-पत्रों की संख्या क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---शेष १०३ समाचार-पत्रों को नोटिस दिया गया था कि उक्त वर्षों का लेखा श्रमायुक्त को १६ सितम्बर, १९५७ तक भेज दें।

*५४---श्री गौरीशंकर राय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत ५ वर्षों में श्रमजीवी पत्रकारों के कितने मामले ट्रिब्यूनल को भेजने के लिये सरकार के पास आये और उनमें से कितने भेजे गये ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---गत ५ वर्षों में श्रमजीवी पत्रकारों के १० मामले सरकार के पास आये जिनमें से आठ अभिनिर्णय के लिये भेजे गये।

श्री गौरीशंकर राय---जिन समाचार-पत्रों ने अपनी आमदनी का लेखा भेजा है उनका क्या नाम है और उनका वर्गीकरण क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---'डैली जागरण', कानपुर, "आज", बनारस 'अमृतबजार पत्रिका लिमिटेड, इलाहाबाद, "अमृत पत्रिका लिमिटेड", इलाहाबाद, "न्यूज पेपर लिमिटेड", इलाहाबाद और "ऐसोशियेटेड जर्नल्ल लिमिटेड", लखनऊ।

श्री मदन पांडेय---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन पत्रों ने इसको लागू नहीं किया है उनके मालिकों से मुख्य मंत्री जी ने कोई बातचीत की है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---मुख्य मंत्री जी के पास तमाम किस्म के लोग आया करते हैं और वे लोग मिलते हैं और मिल रहे हैं।

श्री गौरीशंकर राय---जिन लोगों ने लेखा भेजा है क्या सरकार ने जांचने का प्रयास किया है कि वह सत्य है या नहीं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---ऐसा कोई अधिकार श्रीमन्, हमको नहीं है।

*५५---श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)---[४ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

नोट---तारांकित प्रश्न संख्या ५४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

विमोचित जातियों के उद्धार के लिये केंद्रीय सहायता

*५६--श्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विमोचित जाति के उद्धार के लिये केंद्रीय सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने रुपये का अनुदान दिया है और कितना रुपया सरकार ने दिया है ? उपर्युक्त धन से विमोचित जाति के कल्याण के लिये सरकार ने कौन-कौन कार्य किये हैं ?

श्री मंगला प्रसाद--प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विमोचित जाति के उद्धार के लिये केंद्रीय सरकार से २३,५८,००० रु० अनुदान प्राप्त हुआ तथा प्रांतीय सरकार ने इसी अवधि में २३,३०,००० रु० अपने मद से व्यय किया ।

१--सुधार कार्य--उपनिवेशों और उन्नयन बस्तियों में रहने वाले विमोचित जातियों के कल्याण हेतु किये जाने वाले कार्य ।

२--शिक्षा ।

३--पुनर्वास ।

४--जन-स्वास्थ्य ।

५--विमोचित जातियों के रहन-सहन की दशा की सर्वे के लिये योजना ।

६--विमोचित जातियों को अपराधी प्रवृत्ति से हटाने की प्रणाली का अध्ययन ।

७--गृह उद्योग ।

८--प्रशासन ।

गोंडा जिले में विमोचित जातियों के उत्थान पर व्यय

*५७--श्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में कौन-कौन सी जातियां विमोचित जाति में आती हैं और प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उक्त जिले में कितना रुपया सरकार ने विमोचित जाति के उत्थान-कार्य में व्यय किया और कौन-कौन से उद्योग-धन्धे स्थापित किये हैं तथा क्या-क्या सुधार किये हैं ।

श्री मंगला प्रसाद--गोंडा जिले में निम्नलिखित जातियां विमोचित जातियों में आती हैं--

(१) बरवार
(२) खटिक
(३) हबड़ा
(४) पासी

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार ने उक्त जिले में विमोचित जाति के उत्थान कार्य के लिये जो रुपया व्यय किया है उसकी सूची (ब) संलग्न है । गोंडा जिले के अन्दर इस विभाग द्वारा कोई उद्योग-धंधे स्थापित नहीं किये गये हैं । जिन बातों के सुधार के लिये सरकार द्वारा रुपया गोंडा जिले में दिया गया है उन्हीं में सुधार किया गया है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४०३ पर)

*५८--श्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त धन में से कितना खर्च हुआ है और कितना बच गया है ?

श्री मंगला प्रसाद--उपरोक्त धन में से ९,००० रु० को छोड़कर, जो surrender कर दिया गया था शेष सब रुपया खर्च किया जा चुका है ।

*५९-६१--श्री उदयशंकर दुबे (जिला बस्ती)--[४ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६२—राजा यादवेंद्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—[४ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*६३-६४—श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)—[४ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

आयुर्वेदिक कालेजों तथा एलोपैथिक शिक्षा संस्थाओं को अनुदान

*६५—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पूरे प्रदेश में आयुर्वेदिक कालेजों को कितनी वार्षिक सहायता दी जाती है तथा एलोपैथिक शिक्षा संस्थाओं को कितनी सहायता दी जाती है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वार्षिक सहायता की धनराशि निर्धारित नहीं है। आवश्यकतानुसार घटा-बढ़ा दी जाती है। १९५६-५७ में प्रदेश के १३ आयुर्वेदिक कालेजों को ३,९७,५६३ रु० सहायता दी गई। उसी वर्ष लखनऊ मेडिकल कालेज को ८,६४,३०० रु० की सहायता दी गई।

प्रधान मंत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बाल-समारोहों के लिये सहायता

*६६—श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १४ नवम्बर को प्रधान मंत्री के जन्म दिवस पर बाल-समारोह प्रदेश में कहां-कहां होते हैं और सरकार उनमें किस प्रकार सहायता देती है?

आचार्य जुगलकिशोर—सम्पूर्ण प्रदेश में इसके लिये सरकार ने गत वर्ष ३१,१०० रुपये की आर्थिक सहायता दी थी और इस वर्ष के लिये भी २५,००० रु० की व्यवस्था कर दी गई है।

*६७—श्री अनन्तराम वर्मा—[४ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*६८-७०—श्री शिवप्रसाद नागर—[४ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*७१-७२—श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—[४ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

ऐंटी एपीडेमिक आपरेशन में लिये गये डाक्टरों के लिये डिप्लोमा पब्लिक हेल्थ की आवश्यकता

*७३—श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (जिला पीलीभीत)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एन्टी-एपीडेमिक आपरेशन के लिये १९४८ में जो डाक्टर लिये गये थे उनके साथ डिप्लोमा पब्लिक हेल्थ प्राप्त करने की शर्त थी या नहीं?

श्री हुकुम सिंह विसेन—सर्विस में लेते समय ऐसी कोई शर्त न थी किन्तु सर्विस रूल्स (Service Rules) में यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि बिना डिप्लोमा हासिल किये किसी अफसर का स्थायीकरण नहीं किया जावेगा।

हेल्थ तथा मेडिकल सर्विस के एकीकरण का विचार

*७४—श्री मुनीन्द्रपाल सिंह—क्या सरकार स्वास्थ्य विभाग में हेल्थ तथा मेडिकल सर्विस के एकीकरण का विचार कर रही है?

श्री हुकुम सिंह विसेन—जी हां।

बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की सिफारिशों के संबंध में विचार

*७५—श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि Backward Classes Commission ने उत्तर प्रदेश में कुछ Scheduled Tribes निर्धारित किये जाने के हेतु सिफारिश की है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री मंगला प्रसाद—जी हां, प्रदेश सरकार एवं केंद्रीय सरकार के बीच मामला विचाराधीन है।

*७६—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि Backward Classes Commission की कौन-कौन-सी सिफारिशों को उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है ?

श्री मंगलाप्रसाद—यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

कुमायूं डिवीजन में बैकवर्ड क्लासेज को सहायता

*७७—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि पिछले २ वर्षों में कुमायूं डिवीजन के किन-किन Backword classes को सरकार द्वारा क्या-क्या सहायता दी गई है ?

श्री मंगला प्रसाद—कुमाऊं डिवीजन के पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिये पिछले दो वर्षों में १ लाख ९५ हजार २३६ रु० की सहायता सरकार द्वारा दी गई है। इस सहायता का विवरण इस प्रकार है :

	रु०
शिक्षा संबंधी सुविधाएं	८०,१३७
कुटीर उद्योग	१६,६००
कृषि-विकास	२०,०००
भवन निर्माण व मरम्मत	७,०००
विशिष्ट योजनायें	७१,५००
योग ..	१,९५,२३७

गांधी मेमोरियल अस्पताल, लखनऊ के खर्च पर आय-व्यय निरीक्षक द्वारा आपत्तियां

*७८—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के १९५४–५५ के हिसाब में आय-व्यय निरीक्षक ने विशेष कर गांधी मेमोरियल अस्पताल में गलत तरीके पर खर्चा करने की शिकायत लिखी है ? यदि हां, तो क्या सरकार खास-खास शिकायतें सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—जी हां, यह सही है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के १९५४–५५ के हिसाब में आय-व्यय निरीक्षक ने विशेष-कर गांधी मेमोरियल अस्पताल में गलत तरीके पर खर्च करने की कई एक शिकायतें अपनी रिपोर्ट में लिखी हैं, जिनमें से खास-खास शिकायतें उस रिपोर्ट के निम्नलिखित अनुच्छेदों में दर्ज हैं। रिपोर्ट की खास-खास शिकायतों का सारांश इसके अनुच्छेद ६३, जो कि इस रिपोर्ट के ५६ से ५८ पृष्ठ तक में हैं, दिया गया है। निरीक्षक की रिपोर्ट के निम्नलिखित अनुच्छेदों में खास-खास शिकायतें लिखी हैं:—

८, ९, १०, ११, १३, १४, १५, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २५, २८, २९, ३०, ३१, ३४, ३९, ४०, ४५, ४६, ४७, ४८, ५०, ५१, ५२, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६० व ६१ ।

†इस रिपोर्ट की एक प्रति माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

† छापी नहीं गयी।

लखनऊ के मुहल्ला उदयगंज में डायमंड वुग्धशाला खोलने के लिये दी गई जमीन

*७९--श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ नगर के मुहल्ला उदयगंज में कुछ आराजी किसी सज्जन को डायमंड वुग्धशाला कायम करने के लिये दी गई थी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*८०--श्री त्रिलोकी सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त आराजी में किराये के मकानात बनवा लिये गये हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--सूचना एकत्रित की जा रही है ।

सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा में फार्माकालोजी विभाग के आर्टिस्टों का वेतन कम मिलना

*८१--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार जांच करके यह बताने की कृपा करेगी कि देश के दूसरे मेडिकल कालेजों की जैसे भोपाल-पटियाला व मथुरा वेटेरिनरी कालेजों के आर्टिस्ट के मुकाबिले में सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा में फार्माकालोजी विभाग के आर्टिस्ट या आर्टिस्टों की वेतन दर कम है या ज्यादा या बराबर ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--कम है ।

*८२--श्री श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल--क्या यह वेतन दर १९४७ के वेतन आयोग के मुताबिक है ? इन आर्टिस्टों को सालाना तरक्की क्या मिलती है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--फार्माकालोजी विभाग में आर्टिस्ट का पद १९४७ के बाद स्वीकृत हुआ था अतएव वेतन आयोग द्वारा इस पद के वेतन निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता । इस पद का वर्तमान वेतन क्रम ४५-२-६५-द-रो०-३-८० रु० है ।

*८३--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बतायेगी कि सन् १९४९ से लेकर अब तक सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा के आर्टिस्टों ने अपनी वेतन दर बढ़ाये जाने तथा बकाया दिये जाने के सम्बन्ध में कितनी दरख्वास्तें भेजीं तथा उनकी इन दरख्वास्तों व दूसरी कोशिशों के सिलसिले में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सन् १९४९ के पश्चात् इन आर्टिस्टों ने इस संबंध में १९५७ तक ७ प्रार्थना-पत्र दिये । धनाभाव के कारण वेतन बढ़ाये जाने का प्रश्न स्थगित कर दिया गया ।

महामारी रोगों के फैलने के संबंध में सूचना की मांग

*८४--श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--क्या सरकार ने इसका पता लगाने की कोई कोशिश की है कि जिन जिलों में महामारी रोगों द्वारा अधिक मौतें हुई हैं उसका क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*८५--श्री गेंदासिंह--उक्त रोग फैलने वाले जिलों में सबसे पहले इस वर्ष कहां से बीमारियां शुरू हुईं और उसके कारणों की कोई रिपोर्ट सरकार को जिला अधिकारियों द्वारा मिली है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--सूचना एकत्रित की जा रही है ।

बस्ती जिले की खलीलाबाद तहसील निवासी नाटे पठान की जायदाद

*८६—श्री धनुषधारी पांडेय—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि नाटे पठान, साकिन तहसील खलीलाबाद, जिला बस्ती, के पाकिस्तान चले जाने और उसकी सम्पत्ति पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में परगनाधीश, खलीलाबाद, जिला बस्ती के यहां शिकायती दरख्वास्त प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच भी हुई है? यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां। नाटेपठान १० वर्ष पहिले एक लड़की के साथ भाग गया तबसे उसका पता नहीं चला। यह कहा नहीं जा सकता कि वह पाकिस्तान चला गया या यहीं पर है। उसके बारे में कोई भी सूचना परगनाधीश को नहीं प्राप्त हुई है और न कोई शिकायती दरख्वास्त मिली है। नाटे की जायदाद भी निष्क्रांत संपत्ति नहीं घोषित हुई है।

राजकीय कृषि फार्म

*८७—श्री वीरेंद्र वर्मा—क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितने, कहां-कहां और कितने-कितने एकड़ के सरकारी कृषि फार्म हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना एकत्रित की जा रही है।

*८८—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या कृषि मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रत्येक फार्म का अलग-अलग आय और व्यय गत वर्ष १९५६-५७ का क्या है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना एकत्र की जा रही है।

आगरा टी० बी० क्लीनिक को बढ़ाने का विचार

*८९—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या सरकार आगरा में एक T. B. Clinic खोलने का विचार कर रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आगरा में एक २० शय्याओं की टी० बी० क्लीनिक स्थित है। द्वितीय पंच-वर्षीय योजनाकाल में इस क्लीनिक को बढ़ा कर भारत सरकार के ढांचे पर लाने का प्रस्ताव है।

सरोजनी मेडिकल कालेज, आगरा में बाल चिकित्सालय खोलने का आयोजन

*९०—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरे में यू० एन० ओ० की सहायता से जो Children Hospital खुलने वाला था उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१९५० से सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा में बाल चिकित्सालय खुलने का प्रश्न उठा था, जब कि UNICEF से साज-सज्जा इत्यादि के मिलने की आशा की जा रही थी, किन्तु भवन प्राप्त न हो सकने के कारण UNICEF ने अपनी सहायता लखनऊ मेडिकल कालेज तक ही सीमित कर दी।

अप्रैल, १९५७ में Director General of Health Services, भारत सरकार के निवेदन पर UNICEF ने सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा के लिये साज-सज्जा इत्यादि की सहायता देने के लिये स्वीकारात्मक आश्वासन दिया है। इस मेडिकल कालेज में एक बड़ा भवन बन रहा है। बन जाने पर ५० शय्याओं युक्त बाल चिकित्सालय के लिये स्थान उसी में प्राप्त हो सकेगा।

UNICEF को स्थान प्राप्ति का ज्ञान करा दिया गया है ताकि समय पर सहायता प्राप्त हो सके। आशा है कि १९५८-५९ में यह खुल सकेगा।

रायबरेली जिले में डेरी खोलने के लिये तकावी

*९१—श्री राम प्रसाद (जिला रायबरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५४ ई० से सन् १९५७ ई० तक कितने लोगों को जिला रायबरेली में डेरी खोलने के लिये तकावी दी गई और कितनी-कितनी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला रायबरेली में १९५४ से १९५७ तक केवल श्री चन्द्रमोहन लाल त्रिवेदी को १९५५-५६ में डेरी खोलने के लिये ५,००० रु० का तकावी ऋण दिया गया।

रायबरेली जिले के डलमऊ अस्पताल में मिडवाइफ का न होना

*९२—श्री रामप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली के अस्पताल डलमऊ में मिडवाइफ कितने दिनों से नहीं है और न होने के कारण क्या हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—डलमऊ अस्पताल में कोई मिडवाइफ की जगह ही नहीं है। स्थानीय जच्चा-बच्चा केन्द्र में अक्तूबर, १९५६ से मिडवाइफों की कमी के कारण कोई मिडवाइफ नहीं है। एक की नियुक्ति के आदेश गये हैं।

छुआ छूत निरोधक कानून की अवहेलना करने वालों पर मुकदमे

*९३—श्री बादाम सिंह—क्या हरिजन कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्षों में छुआ-छूत निरोधक कानून के लागू होने के पश्चात् मई, सन् १९५७ ई० तक कितने मुकदमे कानून की अवहेलना करने वालों पर चलाये गये और उनमें कितने सफल हुये ?

श्री मंगलाप्रसाद—अब तक प्राप्त सूचना के आधार पर मई, १९५७ ई० तक ४१ मुकदमे कानून की अवहेलना करने वालों पर चलाये गये और उनमें से ३ सफल हुये।

रायबरेली जिले में जगदीशपुर व कोटवा में भूतपूर्व अपराधशील जातियों को बसाने की योजना

*९४—श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)—क्या हरिजन कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला रायबरेली में शिवगढ़ के पास खौरताल में भूतपूर्व अपराधशील जातियों को बसाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री मंगला प्रसाद—जिला रायबरेली में खौर ताल में नहीं बल्कि शिवगढ़ के पास ग्राम जगदीशपुर व कोटवा में भूतपूर्व अपराधशील जातियों को बसाने की योजना शासन के विचाराधीन है।

*९५—श्री रामेश्वरप्रसाद—उक्त योजना के बारे में कितनी बार जांच हुई तथा क्या परिणाम निकला ? क्या सरकार इस विषय में एक विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री मंगला प्रसाद—इस योजना के बारे में भिन्न-भिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा सात बार जांच हुई है। उक्त जांच के फलस्वरूप इस पुनर्वास योजना को रद्द करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है। इस संबंध में विस्तृत विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४०४ पर)

*९६—श्री रामेश्वर प्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त योजना की जांच में टी० ए० आदि में क्या खर्चा हुआ ?

श्री मंगलाप्रसाद—इस योजना संबंधी जांच में टी० ए० आदि में लगभग २१० रु० खर्च हुआ है।

बदरीनाथ मंदिर के भूतपूर्व रावल श्री कृष्णनम्बूदरी का त्यागपत्र

*९७—श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार बदरीनाथ मन्दिर के भूतपूर्व रावल श्री कृष्णनम्बूदरी के त्याग-पत्र के कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

कृषि विभाग में कर्मचारियों का श्रेणियों में विभाजन

*९८—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कृषि विभाग में ग्रुप एक, दो और तीन के कर्मचारियों के कर्त्तव्यों और अधिकारों तथा श्रेणी का विभाजन कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति कृषि मन्त्री सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—सूचना एकत्र की जा रही है ।

*९९—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कृषि विभाग में क्लास १ व २ तथा ग्रुप १, २ व ३ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पद-वृद्धि का माप दण्ड अलग-अलग क्या है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—सूचना एकत्र की जा रही है ।

आगरा जिले में फतहाबाद के वेटरिनरी सर्जन के विरुद्ध शिकायत

*१००—श्री लक्ष्मीनारायण बंसल (जिला आगरा)—क्या सरकार के पास फतहाबाद (आगरा) के Veterinary Surgeon के विरुद्ध शिकायत आई है कि उन्होंने जून, सन् १९५७ के तूफान-ग्रस्त क्षेत्र में पशुओं की चिकित्सा नहीं की ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—जी हां ।

*१०१—श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस सम्बन्ध में उसने क्या कार्यवाही की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस संबंध में जांच करने पर उक्त वेटेरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन को निर्दोष पाया गया अतएव उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

एलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सालयों पर व्यय

*१०२—श्री रामसिंह चौहान वैद्य—क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सालयों की राज्य में पृथक-पृथक संख्या क्या है तथा उन पर अलग-अलग कितना वार्षिक व्यय होता है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—सूचना एकत्र की जा रही है ।

*१०३—श्री रामसिंहचौहान वैद्य—क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि एलोपैथिक डिस्पेन्सरीज व अस्पतालों की संख्या क्या है और उन पर कितना वार्षिक व्यय होता है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—सूचना एकत्र की जा रही है ।

अस्पृश्यता निवारण के लिये भारत सरकार से प्राप्त धन

*१०४—श्री बुलाकीराम (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५५-५६ तथा १९५६-५७ में भारत सरकार से अस्पृश्यता निवारण के लिये कितना रुपया अनुदान स्वरूप प्राप्त हुआ और उसमें से कितना-कितना रुपया किन-किन गैर सरकारी संस्थाओं को दिया गया ?

श्री मंगला प्रसाद—सन् १९५५-५६ तथा १९५६-५७ में भारत सरकार से क्रमशः १,०८,००० रु० तथा ५८,२५० रु० अस्पृश्यता निवारण हेतु प्राप्त हुआ।

इसमें से निम्नलिखित गैर सरकारी संस्थाओं को उनके सामने दिया हुआ अनुदान दिया गया :

१९५५-५६ में

	रु०
१—हरिजन सेवक संघ, देहरादून	४,०००
२—कस्तूरबा महिला उत्थान मंडल, अल्मोड़ा	६,१२०
३—समाज कल्याण निकेतन, लखनऊ	१,०००
४—भारत सेवक समाज, लखनऊ	२००
योग ..	११,३२०

१९५६-५७ में

	रु०
१—रामतीर्थ प्रतिष्ठान, वाराणसी	१,७००

हरदोई जिले में बावन ब्लाक को हरिजनों को मकान बनाने के लिये अनुदान

*१०५—श्री बुलाकीराम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले के बावन ब्लाक में ५०,००० रु० का अनुदान हरिजनों को मकान बनाने के लिये दिया गया है ?

श्री मंगला प्रसाद—जी हां। परन्तु ५०,००० रु० का नहीं वरन् ३७,५०० रु० का अनुदान दिया गया है।

बदायूं जिले के भदरोल ग्राम में औषधालय खोलने का विचार

*१०६—श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)—क्या सरकार जिला बदायूं, ग्राम भदरोल में इस वर्ष कोई औषधालय खोलने का विचार कर रही है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—जी हां। प्रश्न विचाराधीन है।

सदन की घड़ियों के समय में अन्तर होने पर आपत्ति

श्री मोतीलाल अवस्थी—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आपके सामने वाली घड़ी में और पीछे वाली घड़ी में एक मिनट का अन्तर रहता है और कभी-कभी विभाजन लाने में सदन का अधिकार छिन जाता है। इसलिये इसकी व्यवस्था आप कर दें।

श्री अध्यक्ष—मेरे सामने वाली घड़ी को वह देखा करें, यह व्यवस्था है।

१९ सितम्बर, १९५७ के प्रश्न ९४-९५ के उत्तर के संबंध में श्री गेंदा सिंह द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब माननीय गेंदा सिंह जी ने कल कहा था कि मैं विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित करूंगा। तो यह मेरे पास आया है। माल मंत्री जी ने जो कुछ प्रश्नों के उत्तर दिये हैं उनके संबंध में उन्होंने यह प्रश्न उठाने के लिये कहा है। मैं उनसे सिर्फ वैधानिक

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न पूछना चाहता हूं कि वे किस तरह से यह समझते हैं कि मंत्री अगर किसी प्रकार का उत्तर देते हैं तो उससे विशेषाधिकार की अवहेलना होती है, यह उन्होंने किस नियम के अनुसार प्रश्न उठाना उचित समझा ?

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियमावली के २२ वें नियम के उपनियम (२) के मुताबिक यह है कि :

"ऐसे प्रश्नों के उत्तर पढ़ कर सुनाये जायेंगे जिसके अनन्तर किसी भी सदस्य को किसी तथ्य को मालूम करने के प्रयोजन से जिसके बारे में मौखिक उत्तर दिया गया हो अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार होगा।"

एक तो मैं इस सिलसिले में आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि प्रश्न का उत्तर सदन में न दे कर के यह कहा गया कि कार्यालय में जा करके वह उत्तर देखा जा सकता है इसलिये उस पर कोई अनुपूरक प्रश्न करने का अवसर ही किसी सदस्य को नहीं मिलता। इसलिये एक तो यह यहां के नियम का उल्लंघन किया गया।

दूसरी बात इस सिलसिले में यह भी है कि नियम २७ में आप देखेंगे यह लिखा है :---

"विशेष अथवा अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण सम्बद्ध मंत्री की अनुपस्थिति की दशा में उसकी ओर से प्रार्थना किये जाने पर अध्यक्ष प्रश्न को किसी आगामी दिन के लिये स्थगित कर सकता है।"

इस संबंध में अगर आपकी इजाजत हो तो मैं संक्षेप में यह बता दूं कि यह प्रश्न अब किया गया।

श्री अध्यक्ष---यह तो मालूम है कि कब किया गया। सवाल सिर्फ इस बात का है कि उत्तर अगर मंत्री ने कुछ दिया तो उससे विशेषाधिकार की अवहेलना कैसे होती है यह आपने अभी तक नहीं बताया। आपने तो अपने अधिकार को बताया कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं, यह ठीक है।

श्री गेंदा सिंह---यह मैं अभी आपसे निवेदन करूंगा। मे की पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के अनुसार उसके पेज १११ पर आप देखेंगे कि यह लिखा है---

"Disobedience to Rules or Orders of either House.

Disobedience to the orders of either House, whether such orders are of general application or require a particular individual to do or abstain from doing a particular act, or contravention of any rules of either House, is contempt of that House."

इसके अनुसार मैं कहता हूं कि ये नियमों के उल्लंघन किये गये हैं। वह कन्टेम्ट आफ़ हाउस होता है और इस प्रकार से विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---पहली बात तो मैं यह अर्ज करूंगा कि जहां तक मुझे याद पड़ता है यहां इसका जवाब देने की शायद नौबत भी नहीं आयी।

अगर मैं सवालों का जवाब देता तो आप सप्लीमेंटरी कर सकते थे। अब आप यही कह सकते हैं कि क्यों आप जवाब नहीं दे सकते हैं ? क्यों नहीं १० साल की रिपोर्ट उठा कर लाते हैं भले ही बैलगाड़ी भर कर लाना पड़े ? तो उसकी तो नौबत ही नहीं आई। एक बात तो यह। इसलिये राइट आफ सप्लीमेंटरीज का प्रश्न उठता ही नहीं। आप कहते हैं कि सप्लीमेंट्री सवालों का हमारा राइट मारा गया। राइट मारा गया हो या न मारा गया हो, लेकिन उसके लिये मेरी या गवर्नमेंट की तरफ से कोई गलती नहीं हुई जिसकी वजह से आप का राइट मारा गया।

दूसरी बात यह है कि जवाब की मेचर पर आपका एतराज है । अगर मान लो कि मैं यही जवाब देता और उस से आप को तसल्ली नहीं होती, और सप्लीमेंट्री ज से भी आपकी तसल्ली नहीं होती, तब भी प्रिविलेज का क्वेश्चन नहीं उठता है । यह कैसे उठा, यह मेरी समझ में नहीं आया। प्रिविलेज का क्वेश्चन उठ ही नहीं सकता। अगर मैं जवाब न दे सकूं; केवल यही कह दूं कि पब्लिक इंटरेस्ट में मैं जवाब देना मुनासिब नहीं समझता तब भी उस पर विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि आगे चल कर रूल ४० के सब-रूल ३ में लिखा है :—

"If the Minister is of opinion that the information required by a Member cannotbe given in public interest, he will say so. The refusal of a Minister to supply the information on this ground cannot be raised as a matter of privilege nor can a motion for adjournment of the House be brought on this ground."

तो अगर मैं टोटल रिपयूजल भी कर दूं तब भी सवाल नहीं उठता था। फिर मैंने तो जवाब यह दिया था। आपने सवाल किया था कि पिछले १० वर्षों में जून से अक्तूबर तक साप्ताहिक वर्षा कितनी हुई थी और इस वर्ष जून तथा जुलाई की क्या है ? ५१ जिलों में, अगर इसका लिटरल अर्थ लगाया जाय तो, १ लाख १२ हजार गांवों में, हर गांव में इन दस वर्षों में जून से अक्तूबर तक कितनी-कितनी वर्षा हुई, इसका जवाब देना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष—मैं वैधानिक बात जानना चाहता हूं ।

श्री चरण सिंह—माननीय गेंदा सिंह जी ने जो मेज पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस से सवाल उठाया, उसके लिये मैं समझता हूं कि उन्होंने किसी से मशविरा नहीं किया। वह तो डिसओबीडियेंस आफ दि आर्डर आफ दि हाउस आर स्पीकर, के लिये है।

श्री अध्यक्ष—रूल्स के लिये भी है।

श्री चरण सिंह—तो रूल्स की डिस-ओबीडियेन्स तो कहीं होती नहीं।

श्री अध्यक्ष—मैं इस पर अपना फैसला दे देता हूं । प्रश्न ९४ का उत्तर यह दिया गया था कि अपेक्षित सूचना जो उपलब्ध है, कार्यालय में देखी जा सकती है। दूसरे प्रश्न ९५ का उत्तर यह दिया गया था कि "जी नहीं, क्योंकि पिछली रबी तथा खरीफ की फसल की मालगुजारी के संबंध में लगभग १०० आदेश जारी हुये हैं । उनकी प्रतियां तैयार कराने में बड़ा श्रम करना पड़ेगा। किन्हीं विशेष आदेशों की प्रतियां चाहिये तो उनको उपस्थित करना संभव हो सकेगा।"

दूसरे के बारे में स्पष्ट है कि कारण भी दे दिया था कि १०० आदेश के करीब होंगे। पहला कुछ जरूर गोल है कि जो अपेक्षित सूचना है वह कार्यालय में देखी जा सकती है। वह लम्बी है, या क्या है या क्यों नहीं रखी जा सकती, यह कुछ स्पष्ट नहीं है, यह बात सही है। तो मैनर आफ आन्सरिंग के बारे में रूल ४० में दिया हुआ है जो इस प्रकार है—

"Answers to questions shall be relevant to the subject matter of question and shall be given in such manner as the Speaker may, in his discretion, determine."

नियम यह है कि अध्यक्ष जिस प्रकार उत्तर मंत्रियों को देना चाहिये उसको स्पष्ट कर दें। यह डिस्क्रिशन अध्यक्ष को है। "

"Answers may take the form of laying statement on the table of the Assembly."

[श्री अध्यक्ष]

'असेम्बली की टेबिल पर उत्तर रख दिया गया है', यह उत्तर भी दिया जा सकता है।

एक यह बात है। अब इस उत्तर में यह कह दिया गया कि "हमारे कार्यालय में देख लिया जाय", तो मेरा ख्याल यह है कि ऐसे उत्तर के साथ-साथ यहां असेम्बली की टेबिल पर क्यों नहीं वह रखा जाता है, वह बहुत बड़ा है या कोई उसमें दिक्कत है, यह जिक्र कर देना ज्यादा उचित होगा। यह मैं आगे के लिये तरिका बताता हूं।

लेकिन जहां तक नियमों के भंग करने का सवाल है या जो वैधानिक प्रश्न उठाया गया है, उसके विषय में यह मेरा स्पष्ट मत है और मैंने अभी तक जो मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस की पुस्तक देखी और जो प्रश्न यहां की, लोक सभा की, और जो यहां पहले कौंसिल थी, उनके निर्णयों को देखा, और इस विधान सभा में भी कई दफा जो बात मैं कह चुका हूं उससे यह स्पष्ट है कि सरकार यह कह सकता है कि वह उत्तर नहीं देना चाहता या वह माननीय मंत्री जी केवल बैठे भी बैठा रह जाते हैं और उठते ही नहीं हैं और कोई इन्फारमेशन नहीं देते हैं और वे इस बात को कह भी सकते हैं।

लोक सभा में भी जब एक वैधानिक इस प्रकार का सवाल उठाया गया तो उसके विषय में १९३८ में अध्यक्ष ने यह कहा :—

"I do not know whether the Hon'ble Member who has raised the point of order wants the Chair to give a direction to the Member of Government how to answer a question like that. If that is the intention of the Hon'ble Member, I am appraised, the Chair is not in a position to give any such direction. If the Hon'ble Member of the Government is not in a position to give an answer to a question like this, and he will not do it, then I am afraid, the Chair has no authority in the matter and must leave it to the discretion of the Government whether they should answer such a question or not."

इस तरह के किसी प्रश्न के बारे में फलां उत्तर दो, या इस तरह का उत्तर दो, यह नहीं हो सकता। एक जनरल डाइरेक्शन मैंने बताई कि किस तरह का उत्तर होना चाहिये। अगर किसी को दफ्तर में बुलायें, और उसके कारण को बताते हुये कि बहुत बड़ा प्रश्न है या उत्तर देने में दिक्कत है, इस वजह से टेबिल पर नहीं रखा जा सकता, यह उत्तर हो सकता है। एक दफा यह उत्तर दिया गया था कि "लाइब्रेरी में वह चीज रखी है", और वह उचित समझा गया लोक सभा में भी यह बात एक दफा हुई थी:

"In answer to a question regarding pay and savings of Indian sepoys, reference was made to a communique which had been placed in the Library whereupon a member wanted it to be laid on the table; but the President remarked :

'I think it is sufficient if it is placed in the library?"

क्योंकि लायब्रेरी से उसे हटाना दिक्कत तलब बात थी। वह खराब हो जाता या इस तरह की चीज के गायब होने का भी डर था। यहां पर कौंसिल में भी इस तरह की रूलिंग सन् १९२४ में हुई है :

"The Council cannot compel the Government to give information. It is a very common practice in the House of Commons for the Government to refuse to give information but if it refuses consistently to give information in the House of Commons, it would find itself very quickly outside."

उस समय जिम्मेदार सरकार नहीं थी इसलिए उन्होंने यह कहा कि:—

"Here that is not the case but the principle is the same. The Government cannot be forced to give information."

कई दफा सरकार उत्तर देने से इनकार कर दे तो क्या आदरणीय सदन अविश्वास का प्रस्ताव पास करके उसको निकाल देगा ? अगर इस प्रकार का अधिकार सदन को है यह दूसरी बात है। इसलिये यह नियमों का उल्लंघन नहीं है बल्कि नियमों के अनुसार ही उन्होंने उत्तर दिया। अब मैंने इस विषय में एक जनरल डाइरेक्शन नियम के अनुसार दिया है कि अगर ऐसा उत्तर दफ्तर में बुलाने का हो तो उसके साथ कारण भी बताना आवश्यक है। नहीं तो 'उत्तर कुछ भी न दें' यह भी ठीक है, "हम इस प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं समझते हैं।" यह उत्तर भी ठीक है लेकिन दफ्तर में आने के लिये कहना हो तो उसके लिये कारण बता देना चाहिये उपस्थित प्रश्न में कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता। इसलिये मैं इसे उठाने की इजाजत नहीं देता हूं।

श्री चरण सिंह---अध्यक्ष महोदय, सवाल नंबर ९५ तो ठीक ही है सवाल नंबर ९४ के मुताल्लिक यह लिखा हुआ है कि अपेक्षित सूचना दफ्तर में रख दी गयी है, देखी जा सकती है। आपने बताया कि इसका कारण देना चाहिये था। मैंने यह समझा कि जो सवाल आया है वह पिछले दस वर्षों के मुताल्लिक है और उसमें जून से अक्तूबर तक कितनी वर्षा हुई, इसकी सूचना मांगी गई थी। यह सवाल बजाते खुद इस बात को स्वीकार करता है कि जो इसके मुताल्लिक इनफारमेशन होगी वह बहुत ज्यादा होगी और रेवेन्यू बोर्ड से मंगानी पड़ेगी। इसलिये मैंने उसमें इसको लिखने की जरूरत नहीं समझी।

श्री अध्यक्ष---मैंने यह कहा कि हर एक सदस्य उससे अंदाज नहीं लगा सकता।

श्री गेंदा सिंह---अध्यक्ष महोदय, अब चूंकि आपने माननीय मंत्री जी को प्रश्न ९४ के संबंध में एक मिनट का समय दिया तो प्रश्न ९५ के संबंध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैं इस संबंध में आपको यह बता देना चहता हूं कि मैं क्यों इस प्रश्न को लाने के लिये मजबूर हुआ। इस प्रश्नों के नोटिस १३ और १६ जुलाई को दिये गये थे और दोनों अल्प-सूचित प्रश्न किये गये थे।

श्री अध्यक्ष---वह तो इसमें दिया हुआ है, वह पोस्टपोन होते रहे। पहले उन्होंने कहा कि वह सूचना हासिल कर रहे हैं और बाद में जब उन्होंने सूचना हासिल कर ली तो कहा कि दफ्तर में आइये।

श्री गेंदा सिंह---मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि अगर उनको यही सूचना देनी थी तो माननीय मंत्री जी को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के उत्तर में ही कहना चाहिये था कि हम उत्तर नहीं देंगे। यह १४ अगस्त को भी नहीं बतलाया। ५–६ सितम्बर को कहा गया कि १४ दिन का और मौका चाहिये, सूचना एकत्रित कर रहे हैं। जो सूचना एकत्रित की गयी वह सूचना यह है कि हमें कार्यालय में जाना चाहिये और रबी और खरीफ की फसलों के जो गवर्नमेंट आर्डर्स भेजे गये हैं वह १०० हैं। क्या वे यह सूचना पहले नहीं दे सकते थे ?

श्री अध्यक्ष---वे दोनों के बारे में सूचना इकट्ठी करते रहे। जैसी सूचना आपने चाही, वे इकट्ठी करते रहे। सिर्फ बात यह है कि उन्होंने यहां उत्तर नहीं दिया। यहां लाने में कुछ दिक्कत थी इसलिये वे चाहते थे कि आप उनके दफ्तर में जाकर देख लें।

श्री गेंदासिंह---मैं आपकी सेवा में यह कह रहा हूं कि दोनों सूचनायें उनके पास एकत्रित थीं और उस दिन एकत्रित थीं जब माननीय मंत्री जी ने उसके लिये समय मांगी। दरअसल दोनों कागजात उनके दफ्तर में मौजूद थे।

श्री अध्यक्ष---यह तो आप आक्षेप कर रहे हैं।

श्री गेंदासिंह---अध्यक्ष महोदय, इस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिये अगर यह होता तो मुझे कोई शिकायत नहीं होती, लेकिन सबसे बड़ी शिकायत की बात यह है कि उनके पास सचिवालय में ही ऐसी सूचना मौजूद थी और यह उन्होंने केवल इसलिये किया कि हमको पूरक प्रश्नों का कोई अवसर न मिले।

श्री अध्यक्ष---आप नीयत पर हमला कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आप उसको और आगे न बढ़ायें।

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, दूसरे सवाल का जवाब यह नहीं दिया गया है कि दफ्तर में यह देखा जा सकता है बल्कि यह कहा है कि अगर वे कापी मांगें तो दी जा सकती है।

सेक्रेटेरियट रिआर्गेनाइजेशन के फलस्वरूप चपरासियों के कार्यमुक्त किये जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक कामरोको प्रस्ताव माननीय प्रताप सिंह का है। उनका कहना है कि रिआर्गेनाइजेशन की नीति की वजह से बहुत से चपरासियों को अलहदा किया जा रहा है। यह कोई नयी चीज नहीं है। बजट के समय भी इस विषय पर वादविवाद हो चुका है तथा आज भी प्रश्नों में इसका जिक्र हो चुका है। कोई अरजेंसी का सवाल इसमें नहीं है। आज भी इस विषय पर बहुत से सवाल हो चुके हैं। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

ईसन और काली नदी की बाढ़ के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---दूसरा कामरोको प्रस्ताव गंगा प्रसाद वर्मा जी का है कि ईसन और काली नदी में बाढ़ आ गयी है। बाढ़ के ऊपर भी काफी बहस हो चुकी है। बार-बार बाढ़ आने से बार-बार बहस नहीं होगी। इसलिये इसकी भी मैं इजाजत नहीं देता।

पूर्वी जिलों की स्थिति के सम्बन्ध में सर्वदलीय समिति के कार्य के विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---श्री मदन पांडेय जी को विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हुआ है कि सर्वदलीय समिति में सरकारी पक्ष की ओर से लगान, पंचायत कर एवं सहकारी समितियों के बकायों की वसूली जारी रखने का निश्चय प्रकट किया गया है, आदि-आदि। समिति की जब कार्यवाही चल रही हो और उसमें विश्वस्त सूत्र वाले बीच ही में रोक लगा दें, इस तरह से किसी खुफिया को उस समिति के पीछे लगा देना मैं समझता हूं यह कोई उचित बात नहीं है। सदन यह इच्छा प्रकट करे कि एक सर्वदलीय समिति बने, और मैं समझता हूं कि यह वही समिति है जिसके लिये आदरणीय गेंदा सिंह जी ने अनशन किया था और उसके ऊपर इतनी जद्दोजहद के बाद जो कमेटी बनी, और उस कमेटी में क्या चीजें हो रही हैं उसके पीछे खुफिया लगा कर जो मालूमात हों, उनके आधार पर कामरोको प्रस्ताव आवे, यह मैं बहुत अनुचित समझता हूं और इसके लिये भी मैं इजाजत नहीं देता हूं।

बनारस जिले के दुलहीपुर ग्राम में सोडा ऐश फैक्टरी खोलने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक कामरोको प्रस्ताव बनारस जिले में बेंचूपुर स्टेशन के पास दुलहीपुर ग्राम में एक सोडा ऐश फैक्ट्री खोलने के संबंध में श्री गौरीशंकर राय का है। इसको मैं पहले भी नामंजूर कर चुका हूं। कल भी मैंने सूचना दी थी। फिर भी यह आज आ गया है। इसमें कोई अर्जेन्सी की बात मैं नहीं देखता, इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—श्रीमन्, इसमें लाठी चार्ज हुआ है।

श्री अध्यक्ष—लाठी चार्ज तो उसमें भी हुआ था। उस वक्त भी यह आ चुका था और वह रिजेक्ट हो चुका था। यह बहुत दिन की बात हो गयी।

शाहजहांपुर जिले में रामगंगा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित लोगों के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक और कामरोको प्रस्ताव जिला शाहजहांपुर में बरिया रामगंगा और बरिया गंगा में बाढ़ आने के संबंध में है। इसकी भी मैं इजाजत नहीं देता।

श्री रूमीसिंह (जिला शाहजहांपुर)—श्रीमन्, यह बाढ़ के संबंध में नहीं है बल्कि बाढ़ से पीड़ित लोगों के संबंध में है।

श्री अध्यक्ष—पीड़ितों के लिये सरकार कार्यवाही कर रही है।

श्री रूमीसिंह—हमें सरकार बतला तो दे कि वह क्या कार्यवाही कर रही है? हम तो मरे जा रहे हैं, सैकड़ों आदमी बेघरबार हो गये, कितने लोग और कितने पशु मर गये, लेकिन सरकार उस संबंध में कुछ भी तो नहीं कर रही है।

श्री अध्यक्ष—मैं कह चुका हूं कि सरकार उस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर रही है और बाढ़ के सम्बन्ध में एक दिन बराबर बहस होती रही है जिसमें कहा गया था कि क्या कार्यवाही हो रही है।

श्री रूमीसिंह—वह तो पिछले सैलाब के बारे में बहस हुई थी। अभी जो सैलाब आया है उसके संबंध में मैं कह रहा हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, यह आजकल की बाढ़ के बारे में है।

श्री अध्यक्ष—लेकिन उसके लिये कामरोको प्रस्ताव नहीं आ सकता।

श्री उग्रसेन—आज की बाढ़ के बारे में भी नहीं आ सकता?

श्री अध्यक्ष—बाढ़ तो इन दिनों रोज आती रहती है।

श्री उग्रसेन—बाढ़ रोज आयेगी तो उसके लिये हम लोग रोज कामरोको प्रस्ताव नहीं ला सकते?

श्री अध्यक्ष—इसके लिये सरकार काम कर रही है, जो उसके लिये जिम्मेदार है।

श्री रूमीसिंह—हमें यह तो बतला दिया जाय कि सरकार क्या काम कर रही है?

श्री अध्यक्ष—माननीय माल मंत्री जी, क्या आप के पास रामगंगा की बाढ़ के सम्बन्ध में कोई सूचना आयी है?

श्री चरण सिंह—जी नहीं, मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष—कोई सूचना नहीं है?

श्री चरण सिंह—जी हां।

श्री उग्रसेन—सूचना मंगा ली जाय।

श्री अध्यक्ष—माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि वे इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री गौरीशंकर राय--अध्यक्ष महोदय, इतने गम्भीर विषय पर भी कामरोको प्रस्ताव लाने की आज्ञा नहीं दी जाती।

श्री अध्यक्ष--मैंने पहले चार पांच जिले के बारे में जब एक कामरोको प्रस्ताव आया था तो उसके लिये इजाजत दे दी थी और उस पर बहस हो चुकी थी । अब यहां पर और जिलों की बात है ।

श्री रूपसिंह--मैं एक बात कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--आप कृपा कर के बैठ जायं ।

श्री गौरीशंकर राय--माननीय मंत्री जी ने उस दिन कहा था कि अगर समय होगा तो इस सम्बन्ध में बहस हो जायगी । इस महत्वपूर्ण विषय पर कल सदन बैठ कर विचार कर ले तो क्या बात है ?

श्री अध्यक्ष--उन्होंने तो इनकार कर दिया है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला मैनपुरी)--अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी सूचना देने से इनकार कर रहे हैं । बाढ़ का प्रश्न बहुत ही अर्जेन्ट है, उनको चाहिये कि इस सम्बन्ध में सूचना दें । लेकिन वे इनकार कर रहे हैं, इसके विरोध में हम सदन का त्याग करते हैं ।

(इसके पश्चात् सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा) (जाते हुये)--मैं कह रहा हूं कि सदन में हमारी सुनवाई नहीं होती, यह अन्याय है, अलीगढ़, हाथरस, एटा में लोग बाढ़ से मर रहे हैं लेकिन सरकार की तरफ से उनके लिये कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है । यह अन्याय नहीं चल सकता ।

श्री अध्यक्ष--आप कृपा कर के जायं ।

(श्री टीकाराम पुजारी भी सदन त्याग कर चले गये ।)

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली में किये गये संशोधन*

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियमावली (निर्वाचन नियम) में पंचयात राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ८२ (१) -प/३३ (९०)-४७-५५, दिनांक १६ जुलाई, १९५७ द्वारा प्रख्यापित संशोधनों को यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों के लिये केंद्रीय सहायता तथा रिहंद डैम के काम की समाप्ति के संबंध में जानकारी

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)--अध्यक्ष महोदय, आप ने मुझे कामरोको प्रस्ताव के बाद के लिये कहा था, यदि आप आज्ञा दें तो मैं अब कहूं ।

मुझे यह कहना है कि हमें सूचना मिली है कि माननीय मुख्य मंत्री जी केन्द्र से ढाई करोड़ रुपया बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों की सहायता के लिये लाये हैं । मैं जानना चाहता हूं कि यदि यह सूचना ठीक है तो वह रुपया केवल पूर्वी जिलों में ही व्यय होगा या समचे प्रदेश में ?

---

*छापे नहीं गये ।

साथ ही एक सूचना यह भी मिली है कि रिहन्द डैम का काम समाप्त हो रहा है इस कारण से कि केन्द्र से सहायता नहीं मिल रही है । इसके ऊपर माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया प्रकाश डाल दें कि यह सूचनायें क्या सही हैं ।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, मैंने भी अखबारों में इस तरह की कोई चीज पढ़ी थी और जहां तक कि रिहन्द डैम वाली बात है मैं नहीं जानता कि उसका आधार क्या है। एक अखबार में मैंने ५ कालम का हेडिंग ऐसा देखा था, उसके सम्वाद-दाता को यह इत्तला है, मुझे इस सम्बन्ध में कोई इत्तिला नहीं है ।

जहांतक कि ढाई करोड़ रुपये वाली बात है मुझे ठीक याद तो नहीं कि मैंने सदन में जिक्र किया था या नहीं, लेकिन कुछ दिन हुये मैंने प्लानिंग कमीशन को लिखा था कि प्लान में तो नहीं है । लेकिन इन जिलों की कुछ खास समस्याओं को देखते हुये अगर प्लानिंग के बाहर कुछ रुपया हमको मिल जायगा तो उससे उनकी बड़ी मदद हो सकती है। हमने उनसे करीब साढ़े ५ करोड़ रुपया मांगा था । एक तो इस तरह से कि फ्लड कंट्रोल के लिये प्लानिंग कमीशन से उत्तर प्रदेश को बहुत कम रुपया मिला है । पहले शुरू में हमको यह विश्वास दिलाया गया था कि उत्तर प्रदेश को २७ करोड़ से ज्यादा रुपया मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्य से जो रकम हमें एलाट हुई वह केवल ९ करोड़ ही हुई और वह जो यहां की जरूरत है उसको देखते हुये बहुत ही कम है । इस साल हमने ३ करोड़ से कुछ ऊपर की स्कीम बनाई थी और केन्द्र से करीब डेढ़ करोड़ रुपया ही मिला । एक तो हमने लिखा था कि १ करोड़ ६० लाख के करीब कम होता है, वह मिल जाय तो हमारा फ्लड कंट्रोल का काम हो जाय, इस साल तो जो होना था वह हो चुका, लेकिन अगले साल के लिये कुछ रोकथाम हो जायगी और कुछ लोगों को इसी बहाने कुछ काम भी यहां मिल जायगा । इसी कारण से कुछ निम्न इर्रीगेशन वर्क्स ४० लाख रुपये के थे उसके लिये भी हमने लिखा था और कुछ उद्योगों के लिये भी खास तौर से अम्बर चर्खे के प्रचार के लिये हमने ५० लाख के वास्ते लिखा था । इसी तरह से ३ करोड़ सड़कों के लिये मांगा था । यह काम ऐसे थे कि अगर रुपया मिल जाता तो वह स्वत: हो जाते और उनको चला कर कुछ लोगों को काम भी मिल जाता । बाकी इसके बारे में अभी मुझे कोई आज्ञा नहीं मिली और कोई सूचना नहीं मिली, मुझे केवल इतना ही मालूम है कि कुछ रुपया मिलेगा, कितना मिलेगा यह अभी नहीं कहा जा सकता.. .. .. .

श्री अध्यक्ष---वह यह जानना चाहते थे कि वह रुपया पूर्वी जिलों में व्यय होगा या समूचे प्रदेश में ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, खास तौर से पूर्वी जिलों में ।

कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था विधेयक की संयुक्त प्रवर समिति के लिये विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन

श्री अध्यक्ष---उस दिन एक चीज रह गयी थी । कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था विधेयक की संयुक्त प्रवर समिति के लिये इस आदरणीय सदन से १६ सदस्य चुने जाने हैं । अभी माननीय माल मंत्री जो उसकी फेहरिस्त पेश करेंगे, उसका प्रस्ताव पहले पेश करेंगे और उसके बाद वृहत् जोत-कर विधेयक पर विवाद शुरू होगा ।

श्री चरण सिंह---

१---श्री खुशीराम
२---श्री नरेन्द्र सिंह (अल्मोड़ा)
३---श्री गोविन्द सिंह
४---श्री हरीदत्त

[श्री चरण सिंह]

५—श्री घनश्याम
६—श्री चन्द्र सिंह
७—श्री राम प्रसाद
८—श्रीमती विनय लक्ष्मी सुमन
९—श्री सूरत चन्द
१०—श्री नारायणदत्त तिवारी
११—श्री लक्ष्मणदत्त
१२—श्री हरदयाल सिंह (शाहजहांपुर)
१३—श्री रामलखन मिश्र
१४—श्री बलदेव सिंह आर्य
१५—श्री रामजी लाल सहायक
१६—श्री चन्द्रजीत यादव

श्री अध्यक्ष—इनको आप प्रस्तावित कर दें।

श्री चरण सिंह—जी हां। मैं इनको प्रस्तावित करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि १९५७ के कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था विधेयक की दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के लिये विधान सभा से निम्न सदस्य चुने जायं:—

१—श्री खुशीराम
२—श्री नरेन्द्र सिंह (अल्मोड़ा)
३—श्री गोविन्द सिंह
४—श्री हरीदत्त
५—श्री घनश्याम
६—श्री चन्द्र सिंह
७—श्री रामप्रसाद
८—श्रीमती विनय लक्ष्मी सुमन
९—श्री सूरतचन्द
१०—श्री नारायणदत्त तिवारी
११—श्री लक्ष्मणदास
१२—श्री हरदयाल सिंह (शाहजहांपुर)
१३—श्री रामलखन मिश्र
१४—श्री बलदेव सिंह आर्य
१५—श्री रामजी लाल सहायक
१६—श्री चन्द्रजीत यादव

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—इसके लिये मैं माननीय माल मंत्री को सभापति मनोनीत करता हूं। इस संयुक्त प्रवर समिति के वह सभापति होंगे।

उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर विधेयक, १९५७

†खन्ड ३ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---अब माननीय माल मंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर विधेयक, १९५७, पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय, विवाद जारी होगा।

श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)---श्रीमन्, इस विधेयक के सम्बन्ध में आप से कुछ निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष---कहिए।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---वैसे जहां तक समय निर्धारण की बात है वह शिरोधार्य है कि भाषणों के लिये समय निर्धारण कर दिया जाय, लेकिन आप आज्ञा दें तो आप की मौजूदगी में मैं यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि यह सदन आज तब तक बैठे जब तक वृहत् जोत-कर विधेयक, १९५७ पारित न हो जाय। मैं चाहता हूं कि आप के सामने फैसला हो जाय।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---मुझको वैसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वक्त मुकर्रर हो जाय तो बहुत सम्भव है कि पांच बजे तक यह हो जाय, क्योंकि इसमें कोई बहुत वाद-विवाद की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष---किस बात का वक्त मुकर्रर हो जाय?

श्री चरण सिंह---भाषण करने का।

श्री अध्यक्ष---वह तो शायद मुकर्रर हो गया।

श्री चरण सिंह---कल नहीं हुआ था। एक दिन तो इसमें हो ही चुका है। दूसरा दिन पूरा बाकी है। तीस खंडों का छोटा सा विधेयक है। अगर आप कुछ वक्त मुकर्रर कर दें.....

श्री अध्यक्ष---दोनों चीजों के लिये समय निर्धारित कर दें। एक तो जिसका संशोधन होगा उसके लिये दस मिनट का समय काफी है और जो उस संशोधन पर अन्य सदस्य बोलेंगे उनके वे सात मिनट लेंगे।

और यह कब तक चलेगा आज का कार्यक्रम?

श्री चरण सिंह---मैं यह अर्ज कर रहा था कि बहुत मुमकिन है कि पांच बजे तक हो जायगा, लेकिन अगर न हो तो मेरा सुझाव है कि छः बजे के बाद न बैठें। छः बजे गिलोटिन कर दें।

श्री अध्यक्ष---तो मैं दोनों पर राय ले लेता हूं।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---मुझे आप से सिर्फ यह निवेदन करना है कि जहां तक उनके विधेयक का प्रश्न है वह तो आज पारित ही हो जायगा। इसमें अपोजीशन को भी तो उतना ही कष्ट है। हम वक्त खराब करने के लिए प्रस्ताव नहीं कर रहे हैं। कल तक केवल तीन खंड हो पाये हैं। आज ३५ मिनट का वक्त और कामों में सर्फ हो गया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह करा दीजिये वर्ना हम लोग अपना मत न प्रकट कर पायेंगे।

---

†१९ सितम्बर, १९५७ से।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि अगर दस मिनट और सात मिनट का समय रखें और माननीय सदस्य बिला वजह न बोलें और अगर आज ही इसे समाप्त करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि पांच बजे तक भी वह समाप्त हो सकता है। नहीं तो छः बजे तक तो काफी समय हो जाता है।

लेकिन मैं दोनों प्रस्तावों पर राय ले लेता हूं। यह तो मैंने स्वयं निर्धारित कर दिया कि दस मिनट संशोधन लाने वाले का भाषण का समय होगा और अन्य सदस्य सात मिनट बोलेंगे। इसके लिये राय लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---वह भी आप ही निर्धारित कर दीजिये जिसमें मत लेने का सवाल ही मन हो।

श्री अध्यक्ष---तो मैं सिर्फ इतना कंसेशन देता हूं साढ़े छः बजे तक, अधिक से अधिक साढ़े छः बजे तक इस विधेयक को पारित करने के लिये समय निश्चित करता हूं। यदि संशोधन पर विवाद समाप्त न हुआ ६ बजे तक तो उसके बाद गिलोटीन इसके लिये होगा और ६ बजे जितने संशोधन बाकी रह जायंगे उनके ऊपर बिना वाद किये ही राय ले ली जायगी और तीसरा वाचन शुरू हो जायगा और साढ़े ६ बजे तक इसको पारित कर दिया जायगा यदि उसके पहले समाप्त न हुआ तो।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---इतना और ओपिन रख दिया जाय कि अगर सवा ६ बजे तक कोई कठिनाई हो तो पुनः आप से निवेदन कर दें।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं बार-बार इस तरह कहना कुछ उचित नहीं प्रतीत होता। एक चीज जब आप ने मेरे ऊपर छोड़ दी और उस पर मैंने निर्णय दे दिया तो फिर से पुनः विचार के लिये वही प्रश्न मेरे सामने आये, जब कि आप खुद चाहते हैं कि यह आज ही खत्म हो जाय तो आध घंटा इधर उधर हो जाय तो कोई हर्ज नहीं होता। मैं समझता हूं इस निर्णय का परिपालन सहर्ष होगा और आज यह विधेयक पारित हो जायगा।

†श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से श्री शिवराज बहादुर ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे आप से केवल यह कहना है कि इसमें यह संशोधन पेश किया गया है कि जो दान में दी गई भूमि हो या जो दूसरे प्रकार से सामाजिक कार्यों में दी गई हो उसे कर मुक्त कर दिया जाय।

(इस समय १२ बज कर ३८ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री बेजनराम गुप्त, पीठासीन हुये।)

श्रीमन्, जब मैं इसे देखता हूं तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि जो बिल प्रस्तुत है उसके अध्याय १ में नियम २ के उपनियम (१४) में जहां काश्तकारों की किस्में गिनाई गई हैं, उसको मैं जरा आप की अनुमति से पढ़ना चाहता हूं।

"(१४) "मध्यवर्ती" का तात्पर्य किसी स्वामी, मातहतदार, अदना मालिक, ठेकेदार, अवध का पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी, दवामी काश्तकार अथवा हिस्सेदार से है;"

श्रीमन्, आप के द्वारा इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि अपनी सरकार को स्थापित हुए १० वर्ष हो गए, जनता का आशीर्वाद इस सरकार को प्राप्त है फिर भी क्या कठिनाई है कि भूमि सम्बन्धी कानून के लिये एक श्रेणी न बना दी जाय और एक तरह का कानून न बना दिया जाय। अगर एक तरह के अधिकार, एक तरह की श्रेणी काश्तकारों की नहीं बनायी जाती है तो फिर चाहे कोई कानून हो, चाहे वृहत् जोत-कर विधेयक हो, या खेती की तरक्की के सिलसिले में कोई कानून हो, अगर उसके अधिकार समान नहीं हैं तो उसका फ़ायदा सब के लिये नहीं हो सकता।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब जहां तक इसके उद्देश्य और कारण का प्रश्न है उसमें साफ़ तरीके से यह दिया गया है कि बड़ी जोत पर कर लगाने का यह भी अर्थ है कि सरकार के पास ज्यादा से ज्यादा रकम आवे और उससे जनता की भलाई का काम सरकार करे। तो श्रीमन्, आप के द्वारा यह कहना चाहता हूं.....

श्री अधिष्ठाता---मैं एक बात बतला दूं। आप कल बोल चुके हैं वह समय भी इसमें शामिल हो जायगा और ५ मिनट आप के और हैं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---खैर, तो इसके उद्देश्य में यह बतलाया गया है कि अधिक से अधिक टैक्स ले कर जनता की भलाई के कामों में खर्च करना चाहते हैं। श्रीमन्, एक बात आप के द्वारा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अब भी तो आप संतोष करें आपने इस विषय को लेकर जमींदारी अबालिशन के बाद ७ करोड़ की जगह पर २७ करोड़ अपनी मालगुजारी कर ली, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव छोटे काश्तकारों पर क्या पड़ा? कुछ भी नहीं। जमींदारी अबालीशन के बाद आप ने नया अधिकार अधिवासी के नाम से दिया लेकिन लगान ढाई गुना कर दिया और इसमें भी यह कहा गया कि बड़ी जोत वालों पर टैक्स लगाया जा रहा है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो पहले का एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स है उससे कम टैक्स इससे सरकार को मिलेगा। साथ ही जो खर्चे का हिसाब किताब है और टैक्स बढ़ाने का प्रश्न है यह तो सुरसा के पेट की तरह बढ़ता जाता है। मालूम नहीं कि कितना टैक्स लगाने के लिए सरकार सोच रही है, और किन-किन चीजों पर। और जहां तक उसके अमल का सवाल है, अमल करने के बारे में कोई निश्चित योजना नहीं है।

इसमें यह भी लिखा गया है कि असमानता दूर करने के लिये भी इस प्रकार का प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। तो मैं आप से यह निवेदन करूंगा कि अगर वह बेंचने के लिए मजबूर हों बड़े-बड़े जोत वाले तो क्या वह उन गरीबों के हाथ में उसको बेचेंगे जिनके पास पैसा नहीं है? ऐसी बात नहीं है। तो फिर वह उन्हीं लोगों के पास जमीन जायगी जिनके हाथ में पैसा है। गरीबों के पास किसी तरह वह जाने वाली नहीं है। यह भी कहा जाता है कि इस हुकूमत में ३० एकड़ से अधिक कोई नहीं खरीद सकता। लेकिन अधिष्ठाता महोदय, मैं आप के द्वारा यह साफ जाहिर कर देना चाहता हूं कि इसी हुकूमत के अन्दर कम्पनी ऐक्ट आफ इंडिया के अन्दर अगर किसी फर्म का शेयरर है तो वह ५० एकड़ से अधिक खरीद सकता है। तो दोहरी नीति, दो तरह के कानून, दो तरह के नियम, इस द्वैध नीति से जो गरीब देहाती हैं जिनके पास जोत कम है उनके पास जमीन इस विधेयक के बाद भी आने वाली नहीं है।

मैं तो यह भी चाहता था कि जो उद्देश्य सामने रखा गया है कि असमानता को दूर करेंगे तो अच्छा तो यह होता कि एक निश्चित हदबन्दी करते और उसके बाद जो अधिक भूमि होती उसका ठीक ढंग से बटवारा करते, ताकि जो भूमिहीन किसान हैं उनको वह भूमि मिल जाती। यह भी कहा गया है.....

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य संशोधन पर आ जायं। आप संशोधन का समर्थन करते हैं उसी के बारे में कुछ कहें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---अधिष्ठाता महोदय, अधिकार का सवाल है, जिसमें दान का शब्द कहा गया है। मेरा कहना यह है कि जब किसी को अधिकार ही नहीं रहेगा अपनी भूमि दान देने का या किसी दूसरे ढंग से उपयोग करने का तो उसके ऊपर छूट कैसे आप देंगे। मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप का अधिकार है, जनता का आशीर्वाद आप को प्राप्त है, तो आप क्यों इस तरह का लीपापोती का कानून बनाते हैं? क्यों नहीं एक निश्चित हदबन्दी करते हैं, क्यों नहीं काश्तकारों की एक श्रेणी बनाते हैं, क्यों नहीं काश्तकारों के लिये एक निश्चित रकम तय करते हैं और क्यों नहीं उनकी बेदखली के लिए गारंटी देते हैं?

[श्री ब्रजनारायण तिवारी]

श्री मन्, मैं आप के द्वारा माल मंत्री से यह आग्रह करूंगा कि आप ने जो नियम, जो विधान बनाये हैं, जो भूमि सम्बन्धी कानून बनाये हैं उनमें दरिद्र होने की इजाजत भली प्रकार से दी है, बेदखल होने की छूट दी है, क्योंकि ५ गटठा जमीन भी जिसके पास है वह भी इस हुकूमत के जमाने में उसे बेंच कर भिखारी हो सकता है और उसके लिए कोई प्रबन्ध नहीं है कि यह सरकार उसकी रक्षा कर सके।

श्रीमन्, मैं आप के द्वारा इस सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि आज के पहले जो जमींदारों की मिनिस्ट्री कही जाती थी, उस मिनिस्ट्री ने भी २५० रुपये से कम मालगुजारी देने वाले जमींदारों के लिए यह प्रतिबन्ध रखा था कि अगर उनको अपनी सीर की आराजी बेचनी हो तो बिना इजाजत कलेक्टर वह अपनी सीर का बयनामा नहीं कर सकते थे। मैं पूछना चाहता हूं कि माल मंत्री जी इस प्रकार जिनके पास कम जमीन है उनकी जमीन की रक्षा करने का कोई उपाय क्यों नहीं सोचते? उसके लिये आप कानून क्यों नहीं बनाते हैं? इन्हीं सब बातों की वजह से मैंने कल कहा था कि वे यह कानून और देर में प्रस्तुत करते तो अच्छा था क्योंकि फिर इसमें संशोधन की जरूरत पड़ेगी। बार-बार अनिश्चित तरीके पर हदबन्दी करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इस तरह कैसे आप अधिक जोत वालों से उन गरीबों को जमीन दिला पायेंगे जिनके पास कि आज जमीन नहीं है या बहुत कम जमीन है? इसके लिये कोई, नियम नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, तो फिर आप के लिये मजबूरी है कि या आप फिर संशोधन लायें और जब बार-बार केन्द्रीय सरकार भी ध्यान आकर्षित करती है कि भूमि समस्या के समाधान के बिना, उसके बारे में एक निश्चित योजना के बिना हम देश की तरक्की नहीं कर सकते तो क्यों नहीं एक रास्ता पकड़ कर, एक नियम से, जिसका प्रभाव सारे समाज पर पड़े, उस तरह का कानून बनाते?

यह जो जमीन के ऊपर टैक्स लग रहा है मैं चाहता हूं कि यह क्रमशः और अधिक बढ़ता जाय। जिनके पास ज्यादा खेती है अगर वह खेती नहीं कर सकते तो बिना वास्ता जमीन क्यों अपने पास रखें? लेकिन इसमें मंशा यह है कि वह मजबूर हो कर बेचें। श्रीमन्, इस प्रकार की मंशा ठीक नहीं है। मंशा तो यह होनी चाहिये कि मैं इसलिये टैक्स लगा रहा हूं कि इससे गरीबों की भलाई होगी जमीन का बटवारा होगा, जिनके पास जमीन नहीं उनके पास जमीन जायगी। तो श्रीमन्, यह उद्देश्य और कारण से मेल नहीं खाता है। इसलिये मैं श्रीमन्, आप के द्वारा निवेदन करूंगा कि माननीय माल मंत्री पुनः विचार कर के फिर से भूमि सम्बन्धी कानून पेश करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री प्रताप भानप्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—अधिष्ठाता महोदय, जो रिलीजस और चेरिटेबिल ट्रस्ट या सोसाइटी हैं उनके लिये कुछ रकम जरूर माफ होनी चाहिये। जिस तरह से कम्पनीज टैक्स में कांग्रेस सरकार ने यह चालू किया है कि अगर वह किसी पार्टी को चन्दा देती है तो वह रकम टैक्स से मिनहा कर दी जाती है, तो कम से कम इसमें भी यह मान लिया जाना चाहिये कि चैरिटी के परपज के जो इंस्टीट्यूशन्स हों उनको इस टैक्स से सरकार को बरी कर देना चाहिये। इन अल्फाज के साथ मैं इस संशोधन की ताईद करता हूं।

†राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—जो संशोधन माननीय शिवराज बहादुर जी ने रक्खा है उसका मैं समर्थन करता हूं। सरकार ने जमींदारी अबौलीशन बिल में भी यह संशोधन रक्खा था कि जो चेरिटेबिल संस्थाएं हैं उनके ऊपर सरकार यों कर माफ करेगी कि वे सरकार का कुछ काम करती हैं और गरीबों के फायदे के लिये वे चलायी जाती हैं। उन संस्थाओं में कोई व्यक्तिगत सवाल होता नहीं है और भारतीय संस्कृति व परम्परा के हिसाब से भी जो संस्थाएं धार्मिक या पुण्य का काम करती हैं उनमें लोग अपनी जायदाद लगा देते हैं। सरकार

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी उन्हें सहायता देती है ताकि वे बनी रहें और जीवित रहें। अगर आप टैक्स लगा देंगे तो उसका नतीजा यह होगा कि जो धार्मिक संस्थाओं को जायदाद से आमदनी होती है वह टैक्स देने में खत्म हो जायगी। अगर उनको टैक्स देना पड़े तो सबसे पहले वे जायदाद को बेच डालेंगी और शायद बेचने का अधिकार है नहीं। इस तरह से उनकी बड़ी मुसीबत होगी और कोई अन्य आमदनी जो होगी उससे वे टैक्स अदा करेंगी। तो श्रीमन्, यह उनके ऊपर पेनाल्टी हो जायगी। वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कह दिया है कि हमको टैक्स लगाना है तो सब मंत्री टैक्स लगा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—उन्होंने कहा था कि इस तरह की चीजों पर विचार कर रहे हैं। शायद कुछ एग्जेम्पशन दें।

राजा वीरेन्द्रशाह—मंत्री जी अगर कह देते तो इतने वाद विवाद की जरूरत न होती। अगर आप को रूल्स में करना है तो यहीं एग्जेमट कर दीजिये, रूल्स में रखने की क्या जरूरत है? रूल्स से हम बड़े घबराते हैं।

श्री अधिष्ठाता—वे तो आपके ही सामने आयेंगे।

राजा वीरेन्द्र शाह—उसमें देर लगती है। फिर गोलमाल भी हो जाता है। जो मकसद होता है वह स्पष्ट नहीं हो पाता है। यहां सरकार की नीयत भी साफ होगी। इस प्रान्त में बड़ी-बड़ी संस्थायें चल रही हैं। अगर ये धार्मिक संस्थायें न हों तो गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं है कि इतनी शिक्षा संस्थायें जो प्रान्त में चल रही हैं वे चलाई जा सकें और सरकार सारे भार को संभाल सके। अगर प्रान्त में प्राइवेट और चेरिटेबिल संस्थायें न चलें तो सरकार की हिम्मत नहीं है कि वह पूरे सूबे भर को शिक्षा दे सके। फिर हर बिल में ऐसी संस्थाओं को एग्जेम्पशन दिया गया है। मैं नहीं समझता कि माननीय मंत्री जी ने इस बिल में इतनी कृपा क्यों नहीं की कि इनको छोड़ दिया जाता? जिनको सरकार को देना चाहिये अगर उनसे भी टैक्स लिया जाता है तो सरकार उन पर पेनाल्टी लगा रही है। यह बिल का मकसद हर्गिज नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

†श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जहां तक इस संशोधन का ताल्लुक है, इस पक्ष के और उस पक्ष के बैठने वालों ने इसकी स्पिरिट को बहुत अच्छा ही समझा है। कल जो माननीय मंत्री ने अपना वक्तव्य दिया उससे एक बात और भी जाहिर हुई कि इससे पूर्व भी वह अपने विचारों को प्रकट कर चुके थे और इसको वह जरूरी समझते हैं और इसके लिए दूसरे उपाय कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए मुनासिब जगह तो यही हो सकती थी जहां पर मैंने अमेंडमेंट दिया है। उन्होंने उपखंड (२) का सहारा लिया है जिसमें यह है कि—

"The State Government may, by notification in the official Gazette, reduce, remit or exempt in whole or in part, for such period as it may think fit and as often as it may consider necessary, the holding tax chargeable under sub-section (1)."

इसमें जो यह आया है कि "for such period as it may think fit." यानी सार्वजनिक हित के लिए जो चीजें हैं वह तो परमानेंट नेचर की चीजें हैं, मुस्तकिल हैं, केवल साल दो साल के लिए गजट के जरिये से तो इसकी आवश्यकता पूरी नहीं होगी। चूंकि कल अधिष्ठाता जी आप टोक भी चुके हैं, इसलिए दोबारा तो अर्ज नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर है कि जितने ऐक्ट्स हैं उनको सेल्फ सफिशियेंट होना चाहिये। हर जगह, ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स और इनकम टैक्स में इन चीजों को मुस्तस्ना कर दिया गया है और आप भी मुस्तस्ना करने का विचार कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपने अपने हाथ में ताकत रखी है कि हम जैसा चाहें अपने डिस्क्रेशन के मुताबिक वैसा करें, जब चाहें उसको बदल

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवराज बहादुर]

दिया करें। यह भी उनके लिए जरूरी नहीं है, हालांकि लफ्जों में यकीन दिलाया है लेकिन यहां शब्द "may" का इस्तेमाल किया गया है, उसमें जरूरी नहीं है कि ऐसा करें ही। तो इस मुकाम पर इस अमेंडमेंट की बड़ी जबरदस्त जरूरत है और मैं मुनासिब समझता हूं कि इसको इसी जगह पर मंजूर कर लिया जाय।

†श्री चरण सिंह—अधिष्ठाता महोदय, मैंने जो कल अर्ज किया था उसके बाद कुछ कहने को रह तो नहीं जाता है....

श्री अधिष्ठाता—मगर फिर भी कह देंगे तो वीरेन्द्रशाह जी की तसल्ली हो जायगी।

श्री चरण सिंह—आपका हुक्म शिरोधार्य। तो मैंने यह अर्ज किया था कि मैं खुद यह इरादा रखता हूं कि इस प्रकार के जो जेनुईन ट्रस्ट्स और इंस्टीट्यूशंस हों उनको इस टैक्स के भार से मुक्त किया जाय।

(राजा वीरेन्द्रशाह ने मेज थपथपाई।)

मैं इन चीयर्स को डिजर्व नहीं करता, क्योंकि इसी बात को मैं पहले कई बार कह चुका हूं।

अब यह बहस रह जाती है कि यहीं क्यों नहीं करते? वह इसलिए कि फिर हमको नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि रेलीजस और चेरिटेबिल इंस्टीट्यूशंस की जमीन के अलावा भी और जमीन इस प्रकार की हो सकती है जिसका अपवाद करना आवश्यक हो। मसलन मुझे मालूम हुआ है कि एक ऐसी जमीन भी कुछ जगह होती है जो केवल खलिहान के काम आती है। फिर मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि बागात की जमीन भी हम आगे को जो लेंगे, उनको मुस्तसना करने की सोच रहे हैं। सब बागात को तो नहीं, लेकिन करीब-करीब सभी बागात को कर रहे हैं। तो उसके लिए भी जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा ऐसी भी हो सकती है जिस पर बालू पड़ गयी हो, खादर और कछार की ऐसी जमीन हो जो डैमेज्ड हो जाय या जमीन कट कर नदी के गर्भ में चली गयी हो। तो ये सब चीजें, तजुर्बे के बाद मालूम हो सकती हैं जिन पर टैक्स का लगाना अन्यायपूर्ण कहा जायगा और उसको टैक्स से मुक्त करना इन्साफ का तकाजा है और उन सब सरकमस्टैंसेज को हम एन्विसेज नहीं कर सकते। तो फिर अगर नोटिफिकेशन के द्वारा मुक्त करने की यह पावर गवर्नमेंट अपने पास नहीं रखती है, तो हमारे हाथ बंध जायंगे और नोटिफिकेशन के द्वारा मुक्त करने का अधिकर गवर्नमेंट को अपने पास रखना चाहिये। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय शिवराज बहादुर ने एक अच्छी तकरीर की, उसकी क्या आवश्यकता थी, कि आपका इरादा है और गवर्नमेंट करे या न करे। उनको मालूम होना चाहिये कि गवर्नमेंट जब कोई बात कहती है तो कोई ऐसा व्यवहार नहीं होता है जो मछली बेचने के बाजार में किया जाता है, अंग्रेजी में जिसको फिश मार्केट कहते हैं। गवर्नमेंट के जो डिक्लरेशन्स होते हैं वह गवर्नमेंट के लिये बाइंडिंग होते हैं।

अधिष्ठाता महोदय, हमारे यहां तो यह प्रथा है कि इतनी तफसील के साथ अधिनियम बनाये जाते हैं। दूसरे देशों में सिवाय ब्रिटेन के और कहीं ऐसा नहीं है। दूसरे देशों में टेंडेंसी यह है कि छोटे विधेयक बनाये जायं और ज्यादा से ज्यादा पावर्स गवर्नमेंट के पास रहे। इसलिये अगर हम इस कयास को लेकर चलें कि गवर्नमेंट ईमानदार नहीं है तब तो कोई बात नहीं है। अगर मेरी नीयत खराब है तो मैं आज ही इसको टर्न डाउन किये देता हूं, मुझे कौन रोकता है? इसलिये इतनी छोटी बात कहना, मैं समझता हूं कि सदन के किसी माननीय सदस्य को शोभा नहीं देता है। एक माननीय सदस्य जो कल से बोल रहे थे और आज भी उनकी तकरीर हुई तो मैं सोचता रहा था कि आपका उनका वास्ता

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुछ संशोधन से हैं या नहीं। ऐसा मालूम होता है कि भूमि व्यवस्था के सिलसिले में उनके कुछ विचार थे, उनको उन्होंने कह दिया एक बार में ही शायद बाद को मौका मिले या न मिले। इसलिये उनके जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती है। इन शब्दों के साथ में अपनी असमर्थता प्रगट करता हूं और मैं मजबूर हूं और इसको स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) के पश्चात् निम्नलिखित दूसरा प्रतिबंध जोड़ दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि उस जोत पर ऐसा कर नहीं लगाया जायगा जो पूर्णतया किसी सार्वजनिक संस्था (Religious or Chartiable Trust or Society) की हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

†श्री चित्तर सिंह निरंजन (जिला जालौन)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) के प्रथम प्रतिबंध के उपरांत निम्नलिखित दूसरा प्रतिबंध जोड़ दिया जाय:—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि यू० पी० के ट्रांस-यमुना क्षेत्र और मिर्जापुर जिले के कुछ भाग में उस जोत पर ऐसा कर नहीं लगाया जायगा जिसका क्षेत्रफल ६० एकड़ से अधिक न हो।"

मान्यवर, यह एक ऐसी चीज है कि हमारी जनप्रिय सरकार ने बहुत पहले से तय कर रखा है कि बुन्देलखंड की जमीन इस किस्म की है कि वहां की दो एकड़ जमीन एक एकड़ मानी जायगी। बुन्देलखंड की स्थिति ऐसी है कि वहां की जमीन पथरीली है और वहां एक काश्त के अलावा दूसरी नहीं हुआ करती है। हम लोग आसमान की ओर ताका करते हैं। जब जल वृष्टि हो जाती है तो काश्त के लिये तैयार होते हैं। अगर बीच में कई मर्तबा पानी बरस जाता है तो हम मजबूर हो जाते हैं और वहां हल बैल नहीं पहुंच पाते हैं। ज्यादातर बुन्देलखंड की जमीन मार और काबर है। मार और काबर वह जमीन है जिसकी वजह से अगर जरा भी देर हुई और काश्तकार न पहुंच सका तो वह पत्थर हो जाती है। नतीजा यह होता है कि वह खेत हाथ से निकल जाता है। यद्यपि मैं यह मानने को तैयार हूं कि यदि वह जमीन सही वक्त पर जोती जाय तो उसमें अच्छी फसल हो सकती है तथापि इतना तो निश्चित है कि एक फसल से दूसरी फसल हम नहीं कर सकते। हमारी जनप्रिय सरकार ने जब कृषि आय-कर तय हुआ था तो यह तय कर दिया था कि बुलन्देलखंड में ३० एकड़ की जगह पर ६० एकड़ होगा। हम समझते हैं कि तमाम परिस्थितियों का अध्ययन करने वाले हमारे माल मंत्री जी इस चीज को खूब जानते हैं और उन्होंने इस बात पर सोचा भी है और ऐग्रेरियन रेवोल्यूशन नाम की जो बुक्लेट उन्होंने निकाली है उसमें उन्होंने यह सिद्धान्त निर्हित किया है कि बुंदेल-खंड की जमीन दूसरी जगह के मुकाबले में दुगुनी मानी जाय। उसमें उन्होंने लिखा है:

"Owing to inferiority of soil two acres in Jhansi Division, trans-Jamuna tracts of Mathura, Agra and Etawah districts and part of Mirzapur district have always counted as one acre for the purpose of valuation."

श्री अधिष्ठाता—इसका हिन्दी में अनुवाद कर दीजिए।

श्री चित्तरसिंह निरंजन—जमीन की किस्म खराब होने की वजह से झांसी डिवीजन, मथुरा का कुछ हिस्सा, आगरा और इटावा डिस्ट्रिक्टस और मिर्जापुर का कुछ हिस्सा, इनकी जमीन २ एकड़ की जगह पर १ एकड़ समझी जाय।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चित्तरसिंह निरंजन]

मैं यह अर्ज कर रहा था कि जहां की जमीन का जिक्र मैं कर रहा हूं उसका इन्हीं से सम्बन्ध है। सन् १९३९ के ऐक्ट में भी इस बात का जिक्र आया है कि बुन्देलखंड की जमीन दूसरी जगह के मुकाबले में दुगुनी मानी जायगी। इसी तरह से १९०६ के ऐक्ट में भी यही कहा गया है और जो कृषि आय-कर कानून आप रिपील करने जा रहे हैं उसमें भी इसी तरह का जिक्र है। ज्यादा बहस करने की इस पर जरूरत नहीं है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय माल मंत्री अगर इस पर गौर करें तो ज्यादा अच्छा हो। इसके अलावा जब हम आबपाशी पर निगाह डालते है तो उसका जरिया भी वहां बहुत कम है और कई-कई मवाजियात तो ऐसे है जहां पर आबपाशी का कोई जरिया है ही नहीं। अभी जालौन जिले में एक हिस्सा जोड़ दिया गया है जो पहले दतिया रियासत में था। वहां आबपाशी का कोई जरिया नहीं है और सर्किल रेट इतना ज्यादा है कि अगर वह मान लिया जाय तो मेरा ऐसा खयाल है कि उस पर बड़ी आपत्ति आ सकती है। यह दूसरी चीज है कि हमारी जनप्रिय गवर्नमेंट ने माताटीला का जो बांध बनाया है उससे २, ४ साल के बाद हमें पानी मिलेगा, लेकिन जब तक हमें १२ महीने पानी नहीं मिलेगा तब तक तो हम एक फसल से दूसरी फसल पैदा कर ही नहीं सकते। इसलिये मैं माननीय माल मंत्री जी से उम्मीद करूंगा कि वे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

*श्री चरण सिंह---अधिष्ठाता महोदय, संशोधन को स्वीकार करने में मुझको कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन यह नितान्त और निपट अनावश्यक है। वह इसलिये कि टैक्स जो लगेगा वह तो ऐनुअल वैलुएशन पर लगेगा। ३६०० रुपया जिसकी जायदाद का ऐनुअल वैलुएशन होगा उस पर टैक्स लगेगा। तो बुलन्देलखंड में ही नहीं, ट्रान्स-यमुना ट्रैक्ट है, मथुरा-आगरा का इलाका है, तराई का इलाका है, कोई भी इलाका हो वहां हमने ऐनुअल वैल्यूशन तय की है सर्किल रेट के जरिये। तो जहां जमीन खराब है वहां सर्किल रेट कम है और उससे जमीन का रकबा ज्यादा आता है जैसे बुन्देलखंड में है। मैं उतनी खराब नहीं मान रहा हूं जितनी वह कह रहे हैं, लेकिन फर्ज कर लो कि वह बढ़िया किस्म की जमीन नहीं है और उसका सर्किल रेट बहुत कम है, तो सर्किल रेट जमीन की किस्म के मुताबिक तय होता है। जब सर्किल रेट से उसकी ऐनुअल वैल्यूएशन निकालेंगे तो जमीन की किस्म रेफलेक्ट होगी, लिहाजा अगर जमीन खराब है तो वैल्यूएशन कम आयेगी और ३६०० ऐनुअल वैल्युएशन के लिये तो बुन्देलखंड में औसतन १०० एकड़ चाहिए। तो आप ६० एकड़ रखवा कर क्या करना चाहते हैं? अगर किसी गांव बांदा में, हमीरपुर में या झांसी में या इलाके विशेष में ६ रुपया फी एकड़ जमीन हो, तो वह जमीन क्यों न इसमें आयें? कोई वजह नहीं कि उसको इससे बरी किया जाय। अगर तीन रुपया फी एकड़ सर्किल रेट है तो १०० एकड़ से ज्यादा जमीन होनी चाहिये। लिहाजा जो मौजूदा ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स है उसमें भी ३० एकड़ रखा है, उसकी जरूरत नहीं है। किसी और जगह का एक एकड़ बुन्देलखंड के दो एकड़ के बराबर होगा। यह जरूरत वहां पड़ती है कि जहां सवा ६ एकड़ या तीस एकड़ की हद मुकर्रर की जाती है। यहां बेसिस है ऐनुअल वैल्यूएशन, रकबा नहीं। हमने तो यह कर दिया है कि अगर कहीं ३० एकड़ से कम पर ३,६०० रुपया आ जाय तो हम ३० एकड़ को छोड़ देंगे, लेकिन आप के यहां तो ५० एकड़ से कम के किसी खाते पर भी यह नहीं है जब कि सूबे में बहुत से ऐसे खाते हैं कि जो ५० एकड़ से कम के हैं और वह इस टैक्स में आ जायंगे। मेरी कमिश्नरी में ही ८,८०० ऐसे खाते हैं। तो जहां जमीन अच्छी है वहां कम रकबे पर यह टैक्स लगेगा और जहां खराब है वहा ज्यादा रकबे पर यह टैक्स लगेगा, तो इसलिये यह अनावश्यक है। अगर बुन्देलखंड के लिये हम इसको मानें तो हमें यही प्रदेश के दूसरे इलाकों के लिये, ट्रान्स-यमुना ट्रैक्ट के लिये, आगरा-मथुरा के लिये, मिर्जापुर और तराई भावर के लिये सोचना पड़ेगा, और भी कितनी जगहें हो सकती हैं। तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--मैं एक इन्फार्मेशन चाहता हूं। अभी माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में बार-बार ३० एकड़ और ३६०० से अधिक आमदनी पर टैक्स लगाने की बात कही, लेकिन जो अनुसूची है, श्रीमन्, उसमें देखिये, लिखा है कि वार्षिक मूल्यांकन के पहले १,८०० रुपये पर कुछ नहीं, आदि-आदि यह सब क्या है फिर ?

राजा वीरेन्द्रशाह--श्रीमन्, जो संशोधन हमारे मित्र ने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने श्रीमन्, मंत्री जी का भाषण सुना। यह मैंने माना कि सर्किल रेट के हिसाब से जमीन का रकबा ज्यादा आयगा और पहले के ५० एकड़ पर वहां कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, लेकिन जब ऐसा होगा तो वहां के लिये उनको ६० एकड़ की बात मानने में क्या हर्ज है ? इस में यह है कि नोटिस भेज दिये जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि वहां भी ३० एकड़ वालों को नोटिस भेज दिये जायेंगे और इस तरह से वे लोग परेशान होंगे। इस तरह से उनको परेशान किया जायगा। तो जब आप इसको मानते हैं तो उसको लिख देने से कोई हर्ज नहीं मालूम होता और वहां के तमाम लोग बहुत सी परेशानी से बच जायेंगे। इस वजह से मैं चाहता हूं कि अगर आप इस संशोधन को स्वीकार कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। इतना तो वहां वैसे ही छूटा हुआ है।

श्री चित्तरसिंह निरंजन--मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

†श्री चरण सिंह--अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी इजाजत से राजा वीरेंद्रशाह जी को जवाब देना चाहता हूं। यह पुरानी बात थी जो उनको याद रखनी चाहिये। ओरिजिनल ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स की हर चीज के लिये नोटिस लोगों के पास जाया करता था, क्योंकि हमारे यहां दफ्तर में कोई रकम कायदे के मुताबिक लिखकर नहीं भेजी जाती थी कि इतनी रकम देनी होगी। वास्तव में सर्किल रेट का साढ़े १२ गुना मानकर उनसे रकम देने के लिये नोटिस होता था। अगर वह नोटिस में उज्रदारी कर देता था कि इतनी रकम मान ली जाय तो फिर उसको लिखा जाता था कि बतलाइये आपकी इन्कम क्या है। उसके लिये उसको आना पड़ता था और इससे लोगों को परेशानी होती थी। २ साल से यह चीज बिलकुल नहीं है। वीरेंद्रशाह जी कहते हैं कि ३० एकड़ का नोटिस निकाला गया। आप मुझे दिखायें कि जालौन में ऐसा नोटिस कैसे निकला। मेरे पास शिजरा मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है कि हर जिले में कितना टैक्स है। ५० एकड़ वालों पर एक पैसा भी टैक्स नहीं है तो फिर सिर्फ बुन्देलखंड में यह नोटिस कैसे चला गया और अगर गया होता तो वह बतलायें, उस अहलकार को सजा दी जायगी कि उसने नोटिस कैसे दे दी।

मैंने कहा कि आम ऐवरेज ३ रुपया फी एकड़ है। कुछ भागों में ५ और ६ रुपया भी है लेकिन ऐवरेज ३ रुपया ही है। अगर ५,६ रुपया है तो ५०,६० एकड़ वालों पर भी इसका असर आयेगा, लेकिन ऐवरेज १०० एकड़ वाले पर भी हम टैक्स नहीं लगा रहे हैं।

श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)--मेरा प्रस्ताव यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) की पंक्ति २ में शब्द 'लगाया जाने वाला जोत-कर' के स्थान पर शब्द 'लगाये जाने वाले जोत-कर में' रख दिये जायं।

इस पर मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। यह त्रुटि रह गई है। इसको शुद्ध कर लिया जाय। बस मुझे यही निवेदन करना है।

श्री चरण सिंह--अशुद्धि की कोई बात है तो स्वीकार हो ही जानी चाहिये। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है और यह स्वीकार है।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) की पंक्ति २ में शब्द "लगाया जाने वाला जोत-कर" के स्थान पर शब्द "लगाये जाने वाले जोत-कर में" रख दिये जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नेकराम शर्मा के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नागेश्वर प्रसाद---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (३) में आये हुये शब्द 'अकलित' के स्थान पर शब्द 'आकलित' रख दिया जाय।

श्रीमन्, यह शब्द गलती से रह गया है। मैं समझता हूं यह छपाई की भूल है। इसको सुधार देने की आवश्यकता है। आशा है माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री चरण सिंह---श्रीमन्, मुझे यह मंजूर है।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (३) में आये हुये शब्द "अकलित" के स्थान पर शब्द "आकलित" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

†श्री अवधेशप्रताप सिंह---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (३) की पंक्ति ३ में अंक '२॥' के स्थान पर अंक '५' रख दिया जाय।

मैं आपकी आज्ञा से जो विधेयक में खंड है उसको भी पढ़ देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है:---

"(३) उप-धारा (१) के प्रतिबंधक के अधीन भूमि का क्षेत्रफल आकलित करने के लिये ऐसी भूमि को, जिस पर इमारत हो, उससे संलग्न भूमि सहित, किन्तु २॥ एकड़ से अनधिक, गणना नहीं की जायगी।"

श्रीमन्, मैं इस संशोधन के द्वारा यह निवेदन कर रहा हूं कि २॥ के स्थान पर ५ कर दिया जाय। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि वे इस उपखंड की शब्दावली पर ध्यान देंगे तो वे देखेंगे कि जिस पर इमारत हो उसकी संलग्न भूमि के सम्बन्ध में इसके अन्दर यह है कि यदि किसी भूमि पर ढाई एकड़ में इमारत हो और सिर्फ सवा एकड़ जमीन ऐसी बचती हो जो कि उसके कम्पाउन्ड में हो तो ऐसी स्थिति में तो ठीक है लेकिन जहां पर इमारत भी काफी रकबे में हो और साथ ही साथ उसका हाता भी काफी लम्बा चौड़ा हो तो मैं समझता हूं यह जमीन बहुत कम साबित होगी। नयी इमारत के लिये तो ढाई एकड़ ठीक हो भी सकती है। शायद माननीय मंत्री जी आगे चल कर कहें कि इसमें आबादी की बात भी दर्ज है। यह मैं मानता हूं कि यदि आबादी दर्ज है तो न कल्टीवेटेड लैंड में वह आराजी आयेगी और न अनकल्टीवेटेड लैंड में वह आराजी आयेगी। लेकिन ऐसे भी बहुत से स्थान हैं जहां पर लेखपालों की गलती से जब कि पंचायत इलेक्शन के सिलसिले में मर्दुमशुमारी हुई या सन् १९५१ में जनरल इलेक्शन के पहले मर्दुमशुमारी हुई, तो यह हो सकता है कि बहुत से लोग अपनी आराजी, जो उनकी भूमिधरी रही हो, उसमें उन्होंने मकान बनवाया और मकान के साथ-साथ उसमें काफी लम्बा मकान भी हो सकता है और साथ ही साथ उसके अगल बगल बहुत सी जमीन हाते की भी हो सकती है, जो न खेती के काम आती है, न चारागाह या और किसी काम आती है। सिर्फ हाता है लेकिन उससे कोई लाभ नहीं उठाता है।

अब प्रश्न यह पैदा होता है कि शहर में तो जमीन की न्यूनता है, लेकिन देहातों में भूमिधरी के खेत हैं, जोत हैं जिसमें एक लम्बा चौड़ाघर भी लोग बनवाये हुये हैं, लेकिन उससे

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसी को कोई फायदा नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा हो सकता है कि उनके घरों को भी कर देना हो। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय का भी यह इरादा नहीं होगा। इसकी शब्दावली है कि "ऐसी भूमि को, जिस पर इमारत हो" इसके माने साफ हो गये। अगर कोई संशोधन इस तरह का होता कि इस भूमि को छोड़ कर जो हाते के अन्दर हो, तब तो बात ठीक होती। लेकिन मैं समझता हूं कि यहां पर "२।। एकड़" के स्थान पर "५ एकड़" होना चाहिये। देहातों में बहुत से घर काफी लम्बे चौड़े होते हैं, हमारे बहुत से माननीय सदस्य जो इस सदन के हैं, उनके घर २, २।। और ३ एकड़ तक में हैं, महज इमारत ही इमारत उसके अन्दर है, और उसके बाद लम्बा चौड़ा हाता भी है जिससे उनको कोई लाभ व फायदा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मैं यह समझता हूं कि घर एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर इस तरह का टैक्स न होना चाहिये। मैंने यह माना कि उसके पास आराजी है, जोत है और उसको वह परती छोड़े है तो वह नेशनेल लास हो सकता है लेकिन किसी मकान के लिये ऐसा नहीं कहा जा सकता है। माननीय मंत्री महोदय शायद कुछ आश्वासन देना चाहते हैं इसलिए पहले कि मैं कुछ कहूं मैं उनकी सुन लूं कि वे क्या कहते हैं।

श्री चरण सिंह--अधिष्ठाता महोदय, मुझे श्री अवधेशप्रताप सिंह जी का यह संशोधन स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (३) की पंक्ति ३ में अंक "२।।" के स्थान पर अंक "५" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मदनमोहन (जिला फैजाबाद)--अधिष्ठाता जी, मैंने कोई संशोधन तो उपस्थित नहीं किया है आपके सामने, लेकिन चूंकि वकालत के सिलसिले में बहुत कुछ ऐक्सप्लेनेशन देने पड़ते हैं इस वजह से मैं एक संशोधन सजेस्ट करना चाहता हूं। अगर माननीय माल मंत्री जी उसे स्वीकार कर लें तो रखूं, वरना नहीं।

श्री अधिष्ठाता--तो पहले आप माननीय माल मंत्री जी से बात कर लें, उसके पश्चात् समय रहा तो आपका संशोधन ले लिया जायगा।

श्री चरण सिंह--अधिष्ठाता महोदय, जैसा कि मैंने सुबह माननीय शिवराज बहादुर के संशोधन के समय अर्ज किया था कि सरकार का विचार है कि जो जमीन मुस्तकिल तौर पर खलिहान के तौर पर इस्तेमाल होती हैं वह नोटिफिकेशन के द्वारा मुस्तस्ना कर दी जायेंगी। मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमारा इरादा इस प्रकार का है।

श्री मदनमोहन--श्रीमन्, आप देखें कि उपखंड (३) में इमारत या बिल्डिंग शब्द का प्रयोग हुआ है, एक स्थान पर मकान है वह भी इमारत है, थोड़ी दूर पर एक कोठरी है वह भी मकान है और कुछ दूर पर एक ....

श्री अधिष्ठाता--आप पहले माल मंत्री जी से बात कर लें उसके पश्चात् आप कहें।

श्री बृजबासी लाल (जिला फैजाबाद)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (३) की पंक्ति ३ में शब्द "अनधिक" के बाद व शब्द "गणना" के पहले निम्नलिखित शब्द और जोड़ दिये जायं--

"और वह जमीन जो केवल खलिहान के तौर पर इस्तेमाल होती है।"

मैं समझता हूं कि जो तरमीम सेलेक्ट कमेटी ने की थी कि ढाई एकड़ जमीन जहां मकान हो वहां मुस्तसना कर दी जाय और जिसको अभी तरमीम में ५ एकड़ मान लिया गया है। अब आप देखें कि खलिहान की जमीन भी जरूरी होती ह, खेती बाड़ी के संबंध में जो फसल

[श्री बृजबासी लाल]

कटती है तो वह काम में आती है, वैसे तो और किसी काम में नहीं आती। इसलिये मंत्री जी से प्रार्थना है कि जो खलिहान की जमीन है और खलिहान के तौर पर इस्तेमाल होती है उसे मुस्तस्ना कर दिया जाय तो अच्छा होगा।

श्री शिवशंकर सिंह (जिला रायबरेली)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे मित्र बृजबासी लाल जी ने जो यह संशोधन रखा है कि जो जमीन खलिहान के तौर पर इस्तेमाल की जाती है उस पर यह कर न लगाया जाय यह जमीन ज्यादातर ऐसी है कि जिस पर बंजर लिखा रहता है और जो ज्यादातर खलिहान लगाने के काम में आती है चाहे छोटे काश्तकार हों या बड़े काश्तकार हों, खलिहानों को अनाज माड़ने के लिये इस्तेमाल करते हैं उनसे किसी को कोई आय उपलब्ध नहीं होती। वह इसी काम आते हैं कि चैत या क्वार में जब फसल कटती है तो उसमें रखकर माड़ी जाती है और उसके बाद वह जमीन खाली हो जाती है। इसलिये जो संशोधन श्री बृजबासी लाल जी ने रखा है वह बहुत आवश्यक है और मैं चाहूंगा कि खलिहान भी इस कर से मुक्त कर दिये जायं।

श्री चरण सिंह---अधिष्ठाता महोदय, अभी जो मैं माननीय मदन मोहन जी के संशोधन की बात पर कह रहा था उस वक्त मैं समझा कि श्री बृजबासी लाल जी का संशोधन पेश हो गया है, उस वक्त मैं वह गलती से कह गया था। अब वही बात कहना मुनासिब होगी कि खलिहानों की जमीनों को मुस्तस्ना करने का सरकार का इरादा है। जो जमीनें मुस्तकिल तौर पर बतौर खलिहान के इस्तेमाल होती हैं वह मुस्तस्ना कर दी जायंगी। इसलिये इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिये से इसको करने का विचार रखती है।

राजा वीरेन्द्रशाह---श्रीमन्, मैं माननीय माल मंत्री से जानना चाहता हूं कि बाज-बाज खलिहान ऐसे भी है कि अपनी निजी जमीन पर खलिहान रखते हैं उनके लिए क्या करेंगे। जो खलिहान एक व्यक्ति के हैं तो कम से कम जब खलिहान आप मुस्तस्ना कर रहे हैं तो उनका भी खलिहान मुस्तस्ना होना चाहिए, क्योंकि वह भी खलिहान में ही यूज होता है।

श्री चरण सिंह---अधिष्ठाता महोदय, अब खलिहान कहां-कहां डाला जाता है, किसको खलिहान कहा जाय, एक साल एक खेत में डाल दिया, दूसरे साल दूसरे खेत में डाल दिया, तीसरे साल तीसरे खेत में डाल दिया, जहां ऐग्रीकल्चरल क्राप्स बोयी जाती हैं वहीं खलिहान डाल दिया तो मुस्तस्ना करने का विचार नहीं है। ऐसी साइट्स जहां खालिस खलिहान होते हैं, उनकी कोई मुकर्रर जगह होती है, एक एकड़ की ज्यादा से ज्यादा साइट होगी, दो एकड़ की होगी। ऐसी जगह मुस्तस्ना करने का सवाल है। पहले से यह मेरे विचार में है। संशोधन करना अनावश्यक है।

श्री बृजबासी लाल---माननीय मंत्री जी के आश्वासन पर मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रामनाथ पाठक (जिला बलिया)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से मैं एक संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ३ के उपखंड (३) के पश्चात् उपखंड (४) निम्न रूप से रख दिया जाय---

"(४) उपधारा (१) के प्रतिबन्धक के अधीन भूमि का क्षेत्रफल आकलित करने के लिए ऐसी भूमि जो नदियों के पेट में है और जो भूमि बाल पंचट और बीजमार है, गणना नहीं की जायगी।"

अधिष्ठाता महोदय, हमारे माल मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जहां जमीन नदियों से कट जायगी और जहां बालू पड़ जायगी उसमें वह विचार कर रहे हैं कि जब वह नोटिफिकेशन करें तो उसको मुस्तस्ना कर दें। बात तो ठीक है और इस आश्वासन पर हम अपना यह संशोधन वापस तो लेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि माननीय माल मंत्री जी जो नदियों के कट जाने या बालू पड़ जाने से, नोटिफिकेशन में हमारी बात मानने के लिए तैयार हैं उसको थोड़ा सा बढ़ा दें।

हमारे पूर्वी आंचल में नदियों के काटने से जो नदियों की करारें हैं, वह एक मील से लेकर सात मील तक हो जाती हैं। यही नहीं कभी-कभी नदियां अपना पेटा छोड़कर दूसरी अपनी करेंट बना लेती हैं। उसका नतीजा यह होता है कि हमारे उन इलाकों में जहां घाघरा और गंगा बह रही हैं, एक रिवाज है कि अगर वहां पर से नदी हट भी गयी हो तो भी लगान में बीज मार और बाल पंचट की मिनहाई होती है। बाल पंचट का मतलब बालू और पानी से है, बीज-मार से मतलब यह है कि देखने में जमीन अच्छी हो लेकिन बीज डाला जाय तो बीज न उगे। इस तरह की और भी जमीनें गंगा और घाघरा की साइड में यू० पी० के पूर्वी अंचल में हैं जहां यह रिवाज है और वहां की मिनहाई होती है। हमारे मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया कि बालू से ढक जाने वाली और नदी से कट जाने वाली जमीनों की जरूर मिनहाई करेंगे। हमारे यहां वह रिवाज ही नहीं है बल्कि ऐग्रीकल्चरल टिनैंट्स अक्वीजीशन आफ प्रिविलेजेज ऐक्ट जो बना है उसमें भूमिधरी रेट को सेटिल करने के सम्बन्ध में दिया है कि अगर बाल पंचट वाली जमीन हो तो उसका दस साल का ऐवरेज निकाला जाय और उसके बाद जो रेट आयेगा उसका दस गुना करके भूमिधर को देना होगा। हमारे मंत्री महोदय उस बाल पंचट के रिवाज को मान लें। और नदी के पेटे वाली जो बात है उसके लिए कहना है कि उसका रेकार्ड जमींदारी एबालिशन होने के पहले ही पटवारियों के कागज में अलग से खतौनी में रेकार्ड होता आया है। इस वक्त की बात मैं नहीं बता सकता। जब तक जमींदारी थी तब तक वह रेकार्ड होता था। इस तरह की परिस्थिति पूर्वी जिलों में है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रार्थना करेंगे कि बीजमार और बाल पंचट जमीन को चाहे नदी हट भी गयी हो अगर वह रेकार्ड में दर्ज हो तो उसको मुस्तस्ना होना चाहिये। लेकिन आपके द्वारा हमारा यह प्रोटेस्ट है कि मंत्री जी ने सेलेक्ट कमेटी में एक ऐग्जेम्प्शन क्लाज मन्जूर कर लिया है, वह ढाई एकड़ वाली जमीन जो इमारतों के साथ हो। दूसरे ऐग्जेमप्शन के लिये हम लोगों को केवल आश्वासन मिल रहा है। हमारा कहना है कि जब ढाई एकड़ वाली जमीन के ऐग्जेम्प्शन की बात है तो आखिरकार उसको क्यों माल मंत्री जी मानने को तैयार हैं? ऐसी कौन सी खास चीज है कि जिससे आप इसको ऐक्ट में मुस्तस्ना कर रहे हैं और जो हमारी तरफ बाल पंचट और बीजमार जमीन है उसको आप इसमें एग्जेम्प्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि नोटीफिकेशन द्वारा उसको ऐग्जेम्प्ट करने का आश्वासन दे रहे हैं? उनके आश्वासन से मैं अपना अमेंडमेंट वापस लेता हूं।'

श्री अधिष्ठाता—अभी तो आपने पेश किया है।

श्री रामनाथ पाठक—मैं अपना अमेंडमेंट वापस लेता हूं और मन्त्री जी बतावें कि वह आखिरकार ऐग्जेम्प्शन वाला क्लाज क्यों मान रहे हैं और हम लोगों का संशोधन ऐक्ट में क्यों नहीं लेते हैं।

श्री चरण सिंह—अधिष्ठाता महोदय, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि किस ढंग का आश्वासन मेरे मित्र चाहते हैं। मैं तो पहले अर्ज कर चुका था कि इस प्रकार की जमीन को छोड़ देने का विचार है, जिस पर बालू पड़ गई हो या जिसको पानी चाट गया हो, यानी जो पानी के अन्दर चली गई हो या जिस पर बालू पड़ गया हो। वह तो जमीन ही नहीं रही। तो उस पर तो टैक्स नहीं लगेगा। तो यह तो बहुत माकूल संशोधन है और मैं उसकी स्पिरिट को मानता हूं और नोटीफिकेशन में ऐसी जमीन को छोड़ देने का विचार है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि यह संशोधन वापस लिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ४

४—(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये "जोत" (land holding) का तात्पर्य ऐसी समस्त भूमि के समुच्चय से है जो प्रत्येक वर्ष में जुलाई के प्रथम दिनांक पर किसी क्षेत्रपति द्वारा उपभुक्त (held) या अध्यासित (occupied) हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि स्वयमेव क्षेत्रपति अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा उपभुक्त या अध्यासित भूमि, यदि भूमि का प्रबन्ध अथवा उस पर खेती पृथक् रूप से न होती हो, उस क्षेत्रपति की जोत का भाग समझी जायगी ।

स्पष्टीकरण—

इस धारा के प्रयोजनों के निमित्त, किसी भी परिवार के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं—

(क) माता
(ख) पत्नी
(ग) अविवाहित पुत्री अथवा पौत्री (grand daughter)
(घ) पुत्र या पुत्र का पुत्र या पुत्र का पौत्र
(ङ) पुत्र की पत्नी अथवा पौत्र की पत्नी,

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों के अधीन यदि भूमि दो या अधिक व्यक्तियों अथवा किसी सहकारी समिति द्वारा उपभुक्त हो तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का अथवा सहकारी समिति के प्रत्येक सदस्य का भूमि में हिस्सा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त पृथक रूप से उपभुक्त समझा जायगा और यथास्थिति ऐसे व्यक्ति की अथवा सदस्य का जोत का भाग होगा ।

ऐक्ट सं० २१, १८६० ।

(३) किसी निगमित एसोसियेशन (incorporated association) द्वारा जिसके अन्तर्गत सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १८६० के अधीन रजिस्टर्ड सोसाइटी अथवा ऐसोसियेशन भी है, या कम्पनी अथवा फर्म द्वारा उपभुक्त भूमि एक जोत समझी जायगी ।

श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव (जिला बहराइच)—मान्यवर, कल इसके कि मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करूं कुछ श्रीमन्, इसमें छपने में गलतियां हो गई हैं मैं पढ़ रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता—आप लिख कर मुझे भेज दें ।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—एक कापी हम लोगों को भी मिल जाय ।

राजा वीरेन्द्रशाह—श्रीमन्, मुझे विरोध है कि इतना बड़ा संशोधन उनका खुद ही है और उसमें आप संशोधन करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—कुछ प्रिन्टिंग मिस्टेक्स हैं ।

श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव---मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन उपस्थित कर रहा हूं कि खंड ४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"४---(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त "जोत" (land holding) का तात्पर्य ऐसी समस्त भूमि के समुच्चय (The aggregate of all land) से है जो प्रतिवर्ष बुलाई के प्रथम दिनांक पर किसी क्षेत्रपति (land holder) के अधिकार या अध्यासन में हो, चाहे स्वयं क्षेत्रपति के नाम में या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम में, और ऐसी समस्त भूमि उक्त क्षेत्रपति की जोत का भाग समझी जायगी:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी भूमि जो क्षेत्रपति के परिवार के किसी सदस्य के अधिकार या अध्यासन में हो, उक्त क्षेत्रपति की जोत का भाग नहीं होगी यदि उसका प्रबन्ध और उस पर खेती पृथक् रूप से की जाती हो।

स्पष्टीकरण---(१) इस धारा के प्रयोजनों के निमित्त किसी परिवार के अन्तर्गत निम्नलिखित है :

(क) भ्राता,
(ख) पत्नी,
(ग) अविवाहिता पुत्री या पौत्री,
(घ) पुत्र, या पौत्र या प्रपौत्र,
(ङ) पुत्र की पत्नी या पौत्र की पत्नी,

स्पष्टीकरण (२)---ऐसी भूमि जो किसी ऐसे निगमित संघ (incorporated association) के, जो सहकारी समिति (Co-operative society) से भिन्न हो, किन्तु जिसके अन्तर्गत सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १८६० के अधीन निबन्धित (registered) संस्था (society) या संघ (association) है या किसी कम्पनी या किसी फार्म के अधिकार में हो, एक ही जोत समझी जायगी।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों को, बाधित न करते हुए, यदि भूमि दो या अधिक व्यक्तियों के या किसी सहकारी समिति (Co-operative society) के अधिकार या अध्यासन में हो तो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, ऐसे व्यक्ति का या सहकारी समिति के किसी सदस्य का उस भूमि में हिस्सा पृथक रूप से उसके अधिकार में समझा जायगा और ऐसे व्यक्ति की या सदस्य की, जैसी भी स्थिति हो, जोत का भाग होगा।

स्पष्टीकरण---सहकारी फार्म (Co-operative farm) की दशा में पद 'भूमि में हिस्सा' का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो उक्त फार्म के किसी सदस्य द्वारा या उसकी ओर से अंशदान के रूप में, फार्म को दी गई हो"।

मान्यवर, यह संशोधन एक प्रकार का हमारा आल्टरनेटिव ड्राफ्ट है। इसकी आवश्यकता यों पड़ी कि यदि जो विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है उसकी यह धारा पहली देखी जाय तो उससे यह जाहिर हो जायगा कि जिस सम्बन्ध में वह प्रतिबन्ध लगा है उसका कोई सम्बन्ध मूल धारा से नहीं है और यह नियम है कि जब तक कि कोई फैक्ट या कोई विषय का इंनसियेशन मूल धारा में न हो तो उसके ऊपर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता। इसलिए यह आवश्यक मुझे प्रतीत हुआ कि जो प्रतिबन्ध उसमें दिया हुआ है उसको हम मूल धारा में सम्मिलित कर दें ताकि यह जो गलती ड्राफ्टिंग की है यह न रह जाय और उसको इस प्रकार, जैसा कि मैंने अभी पढ़ा है, रख दिया जाय।

इसके अतिरिक्त श्रीमन्, उसका एक स्पष्टीकरण के मिली का क्या होगा, वह आपके सामने प्रस्तुत है। फिर दूसरा स्पष्टीकरण इनकार्पोरेटेड एसोसियेशन इत्यादि के संबंध में जो रखा है वह पहले सेक्शन ३ में था। उसकी वहां आवश्यकता न थी, उसको वहां से उठा करके इसका स्पष्टीकारण नम्बर २ रख दिया है, इस कारण कि इसका घनिष्ट संबंध मूल धारा से है।

[श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव]

इसके अतिरिक्त स्पष्टीकरण (२) जैसा का तैसा है। यह कोआपरेटिव सोसाइटी या ज्वाइन्ट टेंनेंसी से संबंध रखता है। चूंकि कोआपरेटिव सोसाइटी और कोआपरेटिव फार्मिंग में कुछ अन्तर है इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि कोआपरेटिव फार्मिंग का एक अलग स्पष्टीकरण दे दिया जाय। मैं समझता हूं कि कोई विशेष हेरफेर नहीं है। केवल कुछ वैधानिक संकट उठ जाने के ख्याल से यह आल्टरनेटिव ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया है और आशा है कि माननीय मंत्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे।

श्री चरण सिंह—अधिष्ठाता महोदय, मुझे यह संशोधन स्वीकार है और मैं इस संबंध में कुछ अर्ज नहीं करना चाहता और उम्मीद है कि माननीय अवधेश प्रताप जी इस पर कुछ न कुछ भाषण अवश्य करेंगे तो अन्त में जवाब दूंगा।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह—मान्यवर, जहां तक इस संशोधन का प्रश्न है मैं इसका विरोध करता हूं। पहली शिकायत मुझे यह है कि माननीय सदस्य जिन्होंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है उन्होंने इस विषय में कुछ नहीं कहा कि कोआपरेटिव फार्म और कोआपरेटिव सोसाइटी में जो अन्तर है उसका भविष्य में जो यह अधिनियम बन कर रहेगा उस पर क्या असर पड़ता है। उन्होंने केवल इतना ही कहा कि छापने की कुछ गलतियां हो गई हैं, क्या गलतियां हो गई और उनका क्या अभिप्राय था इस पर भी कुछ प्रकाश नहीं डाला गया। माननीय मंत्री ने भी उसे सहर्ष क्यों स्वीकार कर लिया इसे भी मैं नहीं समझ पाया।

श्रीमन्, मुझे इस संबंध में कुछ मौलिक प्रश्न करने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट में भी यह अधिकार था कि कोई भी खातेदार अपनी आराजी मुन्तकिल कर सकता था, पट्टे पर दे सकता था और कांग्रेस सरकार द्वारा ही यह कानून बनाया गया था।

दूसरी महत्त्वपूर्ण चीज यह है कि कांस्टिट्यूशनल प्वाइन्ट आफ व्यु से भी हमको भूमि अर्जित करने का और उसको बिक्री करने का अधिकार मिला है। लिहाजा टेंनेंसी ऐक्ट और कांस्टिट्यूशन की रूह से अगर कोई खातेदार अपनी आराजी पट्टे पर दे या उसको बेंचे तो यह उसको पूर्णाधिकार था। यही नहीं, जमींदारी एबोलीशन में भी जब यह कानून १९४७ में एक प्रश्न के संबंध में इसी सदन में आया तो उस समय से लेकर १९५१ तक कोई रोकथाम इसके लिये नहीं थी। यह केवल ५२ के पहले, जब जमींदारी टूटने वाली थी तो उन्होंने यह प्रतिबन्ध लगाया कि जो पब्लिक यूटिलिटी की जगह हों उनपर किसी तरह का ट्रांस्फर न किया जाय। केवल एक प्रतिबन्ध था जो कि सन् १९५२ की पहली जुलाई को जब जमींदारी टूट रही थी तब लगाया गया। तो वह कौन सी आफत हो गयी कि अगर किसी ने अपनी पत्नी, मां, या अविवाहित लड़कियों को, या अपने लड़के को या पौत्र को, या प्रपौत्र की बहू को दे दिया? वह कौन सा पाप है? नेचुरल जस्टिस और ईक्विटी यह डिमांड करती है कि अगर कानून था और उसने दिया, तो वह जायज है। अब उस राइट को सरकमवेंट करना चाहते हैं विधेयक के द्वारा, तो सदन फैसला दे कि यह कहां तक उचित है। मुझे इस पर सदैव आपत्ति रहेगी। यह आपत्ति माननीय अवधेश प्रताप नहीं कर रहे हैं, बल्कि दुनिया का हर व्यक्ति इस कानून के ऊपर आपत्ति करेगा। यह ठीक है कि विशाल बहुमत है। मैं मंत्री महोदय का नाम नहीं लेता, मैं उनके दल को कहता हूं, वह चाहें तो घंटे या दो घंटे में उसको पारित करा सकते हैं, लेकिन देखना यह है कि वह कितनी आराजी है और क्या उस आराजी से फायदा हो रहा है, जिसके कारण उनके ऊपर इस तरह के टैक्स लगाये जायं।

मैंने माना कि बाद को ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स में भी कुछ ऐसी दफायें आई हैं, लेकिन यह न भूलिये कि जब सन् ऐक्ट १९४८ में ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स विधेयक आया था तो इस तरह की कोई चीज नहीं थी। मेरा अधिकार था कि मैं ट्रांस्फर करूं। जबकि तीन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तीन कानून हमारे साथ थे तो हमने ट्रांस्फर किया, हमने किसी की जायदाद नहीं छीनी है। जो हमारी चीज थी, वह हमने दी और अगर यह कहा जाय जैसा कि उदाहरण मंत्री जी दे रहे थे कि मिल मालिकों ने तो द्रव्य खर्च करके एक चीज खड़ी की है, तो आज इस सूबे में ऐसे लोगों के पास जायदादें हैं और खेती हैं जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई का रुपया देकर जमींदारियां खरीदी थीं। मैं न होऊं उनमें से, लेकिन और बहुत से लोग हैं। वह एसा वक्त था जब कि यह सबसे भारी इनवेस्टमेंट माना जाता था और शहर के लोगों ने या जिनके पास रुपया था उन्होंने यह इनवेस्टमेंट किया। यह कहा जाय कि किसी की खुशामद दरामद में या तलवार के बदौलत मिला था तो वह भी सर्वथा अन्याययुक्त था, मैं इन सब बहसों को छोड़ कर यह कहता हूं कि मिल मालिकों ने ही द्रव्य नहीं लगाया है, और लोगों ने भी लगाया है। चूंकि समय कम है, मैं अब समाप्त करता हूं और बाद को जब थोड़ा समय मिलेगा तो और कुछ कहूंगा।

*श्री राघवेंद्रप्रताप सिंह (जिला गोंडा) अधिष्ठाता महोदय, यह जो संशोधन आया है, यह सिलेक्ट कमेटी से जो रिपोर्ट पेश हुई है और जो बिल के शब्द हैं उनमें थोड़ा सा अन्तर है। उसी अन्तर का मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहता हूं। जैसा मेरा विचार है और माननीय मंत्री महोदय भी उसको स्पष्ट करेंगे कि इस बिल का भावार्थ उस वक्त यही कहा गया था कि जो परिवार के लोग हैं, अगर वह उसका प्रबन्ध, उसकी जोत का कारोबार अलग करेंगे तो वह पृथक समझी जायगी। यहां तक मुझे कोई आपत्ति नहीं थी परन्तु इन दो चार लाइनों के बढ़ जाने से मस्लन धारा ४ की उपधारा (१) है, उसमें आखिरी तीन लाइन बढ़ा दी गई हैं कि "चाहे स्वयं क्षेत्रपति के नाम में या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम में" यह शब्द ऐसे हो गये हैं कि जो असेसिंग अथारिटी होगी, अगर उनके परिवार का कोई सदस्य अलग प्रबन्ध करता है, अलग नाम दर्ज है, तब भी वह एक ही में लगा देगी और इस धारा का जो उद्देश्य था, जो मतलब था, वह मेरे ख्याल में इसके विपरीत हो जाता है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं कि इन शब्दों के जोड़े जाने से मुझे डर है और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी माना था और कमेटी का भी सेंस था कि अगर वह अलग प्रबन्ध करता है तो उसको अलग छूट होनी चाहिये, लेकिन अगर यह शब्द जुड़ जायेंगे तो चाहे वह अलग हो गया हो, बंटवारा हो गया हो मुझे डर है कि वह उसी में शामिल कर दिया जायगा।

श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो संशोधन माननीय शिवशरण लाल जी ने पेश किया है कि "चाहे स्वयं क्षेत्रपति के नाम में या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम में, और ऐसी समस्त भूमि उक्त क्षेत्रपति की जोत का भाग समझी जायगी" उसके लिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था सिर्फ देहातों में लागू हो सकती है जहां चाहे वह स्वयं करे या उसके परिवार का कोई सदस्य करे लेकिन अगर खेती का व्यवसाय नहीं करता है और दूसरा व्यवसाय करता है तो वह शामिल नहीं किया जायगा। चाहे कोई और बिजनेस करता रहे या नौकरी करता रहे और उसके परिवार में आठ व्यक्ति हों तो वह सब अलग अलग समझे जायेंगे और अगर कोई खेती करता है और उसका लड़का, लड़की, मां, बाप खेती करते हैं तो सबकी आमदनी एक ही में जुड़ जायगी और उसको क्षेत्रपति में असेस किया जायगा। इसकी क्या व्यवस्था हो सकती है?

इसके आगे जो दिया हुआ है कि "उक्त क्षेत्रपति की जोत का भाग नहीं होगी यदि उसका प्रबन्ध और उस पर खेती पृथक रूप से की जाती हो।" इसका निर्णय कौन करेगा कि वह खेती पृथक रूप से करता हो? वह आपका लेखपाल करेगा और उसकी पूजा करनी होगी और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि स्टेट को तो कोई लाभ नहीं होगा, राज्य को कोई कर नहीं मिलेगा लेकिन राज्य कर्मचारियों का पेट भर जायगा। इसलिये इसको अस्पष्ट रूप से रखना कहां तक उचित होगा। सब लोग गड़बड़ कर देंगे, दो चूल्हे बना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलदेवसिंह]

लेंगें और लेखपाल लिखेगा। इसलिये मैं इसका जोरदार शब्दों में विरोध करता हूं और सरकार इस भयंकर अभिशाप से बचना चाहती है तो इसको कतई न रखा जाय और सरकार इस बवाल में न पड़े। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय मैं इस संशोधन का हृदय से समर्थन करता हूं। इस विधेयक में यही प्राणस्वरूप है। इसको अवश्य रहना चाहिये। माननीय बलदेव सिंह जी ने जिधर संकेत किया है उसकी स्पिरिट से तो मैं सहमत हूं लेकिन उनके कांक्लूजन से मैं सहमत नहीं हूं। राजस्व मंत्री को चाहिये कि कोई ऊंचा अधिकारी इन्वेस्टीगेटिंग अथारिटी के रूप में रखें, लेखपाल, कनूनगो और नायब तहसीलदार न हो, लेकिन टैक्सेशन परपजेज के लिये यह आवश्यक है कि इसको रखा जाय। यदि यह निकाल दिया जाय तो यह प्राणहीन हो जायगा। यह स्वाभाविक सी बात है कि लक्ष्मी पुत्र बनने की कामना से या प्राचीन संस्कार के दृष्टिकोण से जो नये समाज की रचना हो रही है मैं वह शब्द न कहूं तो अच्छा है, अर्थ पिशाच नहीं कहना चाहता—वे उससे सहमत नहीं हो पाते हैं और आज जब कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के यज्ञ में हमारे राजस्व मंत्री जो एक आहुति चाहते हैं और चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का पथ प्रदर्शक बने तो ऐसी परिस्थिति में टैक्स को परखने के लिये यह आवश्यक है कि यह संशोधन रहे।

राजा वीरेन्द्रशाह—अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन अभी उधर से पेश हुआ है उसका मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने कई भाषण सुने और हमारे मित्रों ने भी बहुत सी बातें बतलाई कि इसको रखने से कितनी हानि होगी। जमींदारी अबालीशन के बाद कुछ को बांड्स दिये गये, कुछ को हिस्से में जमीनें मिलीं, परिवार का बंटवारा हुआ। अब आप अपने मतलब के लिये उस परिवार को फिर एक साथ लाना चाहते हैं। उधर तो आप कहते हैं कि परिवार अलग-अलग बंट जायं और अब आप उन सबसे टैक्स लेना चाहते हैं। श्रीमन्, जो विधवायें हैं जिन्होंने अपने बांड्स बेंच कर या पैसा जमा करके अपने गुजारे के लिये जमीन खरीदी है उनका भी उसके साथ नाता जोड़ते हैं जिसकी वजह से सब बरबाद हुआ। सरकार टैक्स वसूल करे इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन यह कफ़न घसोटी सरकार क्यों कर रही है? यह उसके लिये शोभा की बात नहीं है और इस तरह से सरकार का कोई ज्यादा खजाना भी नहीं भर जायगा। इससे अगर कोई योजना चल जाती तो यह भी मंजूर था लेकिन कोई योजना चलने वाली नहीं है। एक करोड़ रुपया तो मंत्री जी स्वयं कहते हैं और फिर उसमें बकाया वगैरह भी रहेगा। मेरे ख्याल से ७०–८० लाख रुपये से ज्यादा आमदनी नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि इस पूरे क्लाज को डिलीट कर दिया जाय तभी कल्याण होगा।

*कुंवर श्री बालसिंह (जिला जौनपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे कुछ विशेष नहीं कहना है। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अब तक भारतवर्ष में हिन्दुओं म संयुक्त परिवार की एक प्रथा थी। आप उसको चाहते हैं कि वह खत्म हो।

मैं मानता हूं, ठीक है, लेकिन उस में जो मुझे एतराज है वह महज इतना है कि संयुक्त परिवार आप कुछ लोगों का खत्म करना चाहते हैं। आप सब का संयुक्त परिवार खत्म कीजिये, वह हम लोगों को सहर्ष स्वीकार है। आप लैण्ड की सीलिंग कीजिये। आप एक व्यक्ति के लिये यह निर्धारित कीजिये कि एक व्यक्ति की आमदनी चाहे वह जमीन से हो या और किसी जरिये से वह इतनी होनी चाहिये, मैं मानता हूं। आप एक आदमी के लिये डेढ़ एकड़ या डेढ़ बीघा जमीन निश्चित कर दीजिये आबादी को देख कर, अपने सूबे की जमीन का रकबा देख कर उसका बंटवारा कर दीजिये। आप यह कर दीजिये कि जितने बड़े

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बड़े मिल ओनर्स हैं उनका सारा रुपया जबरदस्ती ले लीजिये और डेढ़ सौ रुपया माहवार उनको दीजिये। आप आमदनी की डेढ़ सौ रुपया माहवार लिमिट रख दीजिये और उसके ऊपर जितनी जिसकी आमदनी हो उससे टैक्स नहीं बल्कि उस की जितनी ज्यादा है वह सारी की सारी आमदनी ले लीजिये। मगर यह जो आप कर रहे हैं उससे तो संयुक्त परिवार मजबूर हो जायेंगे कि टैक्सों से बचने के लिये वह अलग-अलग हो जायं। जो शब्द आपने रखे हैं उनसे यह साफ साबित होता है कि अगर कोई आदमी बयनामा कर दे तो आप मान लेंगे, लेकिन अगर संयुक्त परिवार में वह जमीन रखता है और उसका लड़का अलग है, माता अलग है तो आप नहीं मानेंगे। तो यह चीज समझ में नहीं आती। तो अगर खत्म करना है तो सबके लिये खत्म कीजिये। हम उसके लिये तैयार हैं। जो कुछ भी हम लोगों के पास था वह गया। उसके लिये हमने कुछ नहीं किया, कोई दंगा फसाद, अनशन, बावेला नहीं किया, अब भी हम इसके लिये तैयार हैं। आप अगर इस चीज को मानिये तो हम आप से आगे रहेंगे। उस डेढ़ एकड़ या डेढ़ बीघा की काश्त के लिये हम आप से आगे रहेंगे, आप इसको आजमा कर देख सकते हैं। मैं उस पर नहीं बोलना चाहता था, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसमें मंत्री लोग ज्यादा फंसेंगे, क्योंकि जमींदारी ऐबालीशन के समय में जो रियासतें कोर्ट आफ वार्ड्स में थीं उस समय मंत्रियों ने उन कोर्ट आफ वार्ड्स से बहुत सारी जमीनें बना ली हैं और मालूम नहीं कितने मंत्रियों के पास.....

श्री अधिष्ठाता---इस तरह के आक्षेप आप न करें।

कुंवर श्रीपालसिंह---मैं किसी एक व्यक्ति पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, किसी का नाम भी नहीं ले रहा हूं। जिन मंत्रियों ने ऐसा किया होगा वह अपने मन में समझ सकते हैं। दो दो ढाई, ढाई सौ, पांच, पांच सौ, एक एक हजार एकड़ की जमीनें उनके पास हैं। मैं इसीलिये नहीं बोलना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि मंत्री लोग भी हमारी बिरादरी में आ गये हैं और अगर फंसेंगे तो वह लोग हम से ज्यादा फंसेंगे। मगर चूंकि यह एक ऐसा संशोधन है कि जो संयुक्त परिवार के ऊपर एक आघात है और यह हमारी हिन्दू प्रथाओं के ही विरुद्ध है इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं कि यह चीज हटा दी जाय बजाय इसके कि अगर आप जमीन पर सीलिंग लगाइये और चाहे सब की सब चीज ले लीजिये, उसमें हम आप के साथ हैं।

श्री मदनमोहन---अधिष्ठाता महोदय, हमारे सामने इस संशोधन के सम्बन्ध में एक बड़ा अजीबो गरीब तर्क उपस्थित किया जा रहा है। पहले हम लोगों को संयुक्त परिवार क्या है, कैसे टूटता है, उसकी व्याख्या क्या है और उससे हम समझते क्या हैं इसको समझ लेना चाहिये। वह पहले जानना अच्छा होगा। संयुक्त परिवार में अगर कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रखता हो तो समस्त संयुक्त परिवार उसका मालिक माना जाता है और चाहे वह जायदाद लड़के के नाम हो, चाहे वह लड़की के नाम हो, चाहे प्रपौत्र के नाम हो, वह सब जायदाद परिवार की समझी जाती है और इन्कम टैक्स उस पर लगता है। संयुक्त परिवार की सम्पत्ति का मतलब यह है कि वह न तो व्यक्तिगत किसी की सम्पत्ति है और न किसी का निश्चित हिस्सा उस जायदाद में है। यह हमारे हिन्दू शास्त्र और संयुक्त परिवार सम्पत्ति का एक मौलिक नियम है। इस दृष्टि कोण से अगर कुछ कहा जाय तो यही कि यह जो कानून है वह संयुक्त परिवार को पुष्ट करता है और कहता है कि अगर लड़के की जायदाद होगी तब भी वह जो घर का मालिक है उसकी ही समझी जायगी। तो संयुक्त परिवार पर कैसे आघात होता है? अगर आप मेरे तर्क का उत्तर दे दें तो यह ज्यादा अच्छा होगा बजाय इसके कि इस तरह से युक्तिहीन बातें कहें।

हमारे अवधेशप्रताप सिंह जी कहते हैं कि हमें पहले से अधिकार था कि हम अपनी जायदाद को पट्टे पर लिख दें, हमें अधिकार था कि हम अपनी बीबी के नाम या किसी के नाम

[श्री मदनमोहन]

कुछ लिख दें। अवधेश प्रताप सिंह जी अगर यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट की धारा २९ को देखें तो उनको मालूम होगा कि उसमें एक ऐक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। वह यह कहता है कि अगर कोई परिवार की संरक्षता में हो, या रिलेशन हो, न भी संरक्षता में रहता हो, तो भी अगर उसके नाम पट्टा हो गया है तो वह पट्टा बोगस माना जायगा जब तक कि यह सिद्ध न हो जाय कि वह पट्टा वस्तुतः उसके भरण पोषण के लिये दिया गया है और उस भूमि से पट्टा के दाता के परिवार से कोई ताल्लुक नहीं है। यह कानून था। प्रश्न केवल यह है कि अगर आपने पट्टा लिखा है या आप ने कोई जायदाद किसी परिवार के व्यक्ति को दे दी है, जो घर में रहता है, तो क्या उसके नाम जायदाद केवल बरायनाम है? जो कुछ अख्तयार हैं वह स्वयं भोक्ता है या नहीं? अगर वह अपने लिये भोग नहीं करता है, भोग करने वाला परिवार है उसकी जो आमदनी है वह परिवार के हाथ में जाती है, वही उसका व्यय करता है, तो फिर टैक्स कौन देगा? परिवार उस टैक्स से क्यों मुस्तस्ना किया जाय....

कुंवर श्रीपालसिंह---जो आमदनी क्षेत्रपति के पास जाती है उसको वह परिवार वालों के लिये लगाता है। तो फिर वह कहां से खर्च करता है?

श्री मदनमोहन---अगर आप टैक्सेशन पर कोई किताब पढ़ लें तो आपको पता चल जायगा। आप के लिहाज से, अगर मैं १० लाख रुपये कमाऊं और उसमें से ९,९९,९९९ रुपये खर्च कर दूं तो फिर मेरे ऊपर टैक्स नहीं पड़ना चाहिये। इसलिये कि मेरे ऊपर वह सारा खर्चा है और मेरे ऊपर वह भार है। लेकिन यह टैक्सेशन का नियम नहीं है। टैक्सेशन खर्च को ध्यान में नहीं रखता? Expenditure Tax और है, इन्कम टैक्स और चीज है, प्रोपर्टी टैक्स और इन्कम टैक्स और चीजें हैं और वेल्थ टैक्स और चीज है। तो मैं निहायत नम्रता से निवेदन करूंगा, कि हमें टैक्सेशन से उसूल को देखना चाहिये, कि किन सिद्धान्तों पर हम क्या तय कर रहे हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि न तो अवधेशप्रताप सिंह जी के तर्क में और न हमारे मित्र के तर्क में कोई बात है। हम सिर्फ यहां पर यह देखते हैं कि कैसी आय है और किसके पास जाती है, और किसकी सम्पत्ति है। उस सम्पत्ति का जो वास्तविक मालिक है उस पर हमको कर लगाना चाहिये। उसे कर से सुरक्षित नहीं रखना चाहिये। यही कानून का मन्शा है।

*श्री रघुराज सिंह चौधरी (जिला बुलन्दशहर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे अभी एक हिन्दू मुश्तर्का खानदान की तारीफ बतलायी गयी। मैंने गौर किया कि हिन्दू मुश्तर्का खानदान में लड़का पैदायशी हक़ ले कर आता है। अगर उसका अलहदा हिस्सा नहीं है तो बाप के बेजा कर्म पर एतराज करके उसको हासिल कर सकता। हिन्दू मुश्तर्का खानदान एक अजीबोगरीब चीज है। वह एक जगह भी है और उसका जायदाद में अलग-अलग हिस्सा भी है। उस वक्त सिर्फ एक ही उसूल था और वह यह कि जायदाद मेम्बर के खानदान ही में रहे, लेकिन लड़की भी अपना हक़ लेती थी--शादी में, गौने में, मातम में, भात में, छूछक में, और उम्र भर उस जायदाद में से हिस्सा लेती रहती थी, लेकिन यह जो संशोधन उधर से पेश हुआ है, उसके माने तो मैं यह समझता हूं कि एक चीज एक हाथ से देकर दूसरे से ली जा रही है। इस बिल के अन्दर साफ तरीके से यह था, यह बिल सेलेक्ट कमेटी में भी हो आया जिसके सदर हमारे मंत्री जी खुद थे, उसके बाद भी जब यह तरमीम आती है तो मुझे हैरत और ताज्जुब होता है। अगर अपोजीशन की तरफ से या उन लोगों की तरफ से तरमीमात पेश की जातीं, जिन्होंने प्रवर समिति में नोट आफ डिसेंट लगाया है, तब तो किसी हद तक ठीक भी था।

श्री अधिष्ठाता---प्रवर समिति की कोई बात डिस्कशन में न लाइये।

श्री रघुराज सिंह चौधरी---आज गवर्नमेंट की जानिब से इस तरमीम का लाना मैं हैरत समझता हूं। जब कि इस बिल में एक खास रियायत दी गयी है कि अगर अलहदा इन्तजाम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काश्त का होगा या बटवारा हो गया होगा तो वह काश्तकार अलहदा समझी जायगी। तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि वह दूसरी इस तरह की तरमीम घुमा फिरा कर लाने की क्या जरूरत थी ? मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इससे रिश्वत का बाजार गर्म होगा जैसा कि आज तक टैक्सों के सिलसिले में होता रहा है। मैं ही नहीं सदन के सब लोग जानते हैं कि किस तरह से टैक्स लगाया जाता है और किस तरह से करप्शन होता है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस अमेंडमेंट की कोई जरूरत मालूम नहीं होती। एक मां के चार लड़के हैं, उसके पास बहुत सी जमीन है तो आप ही बताइये वह किसके नाम के साथ जोड़ी जायगी। मैं इन शब्दों के साथ इस अमेंडमेंट का घोर विरोध करता हूं। माननीय मन्त्री जी ने कहा था कि यह बहुत ही इन्नोसेंट बिल है, लेकिन मैंने कहा था कि "भोली भाली सूरतों में होते हैं जल्लाद भी"। यह उसकी मिसाल है जो हमारे सामने आ रही है।

श्री नागेश्वर प्रसाद (जिला जौनपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो संशोधन माननीय शिवशरन लाल जी ने उपस्थित किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने यह कहा कि इस संशोधन के स्वीकार हो जाने से हिन्दू परिवार में जो संयुक्त परिवार प्रथा है उसको क्षति पहुंचेगी। इस संशोधन के स्पष्टीकरण में यह साफ कर दिया गया है कि क्षति पहुंचने का खतरा कब होगा। संशोधन में यह रक्खा गया है कि परिवार की परिभाषा में निम्नलिखित आते हैं—

माता, पत्नी, अविवाहिता पुत्री या पौत्री, पुत्र या पुत्र का पुत्र या पुत्र का पौत्र, पुत्र की पत्नी या पौत्र की पत्नी। इनकी गणना संयुक्त परिवार में की गयी है। मैं नहीं समझता कि व्यवहारतः एक परिवार के अन्दर वे नहीं रहेंगे। हां, यह बात जरूर है कि जब जमींदारी टूटने लगी तो बहुत से भूतपूर्व जमींदारों ने अपनी स्त्री के नाम, अपने लड़के के नाम अपने नाती के नाम और अपने परिवार के भिन्न-भिन्न लोगों के नाम जमीन का पट्टा किया या जमीन का बटवारा किया। वह इसलिये कि जाते जवाते कुछ जमीन हाथ लग जाय और कृषि आय-कर से बच जायं या उनके सीर खुदकाश्त पर जो शिकमी थे जिनके मौरूसी काश्तकार बन जाने का खतरा था उससे उनकी रक्षा हो जाय। तो श्रीमन्, इस तरह से अलग-अलग नामों को चढ़बाया गया और ऐसी अवस्था कर दी गयी कि यह मालूम हो कि वे सब सम्मिलित रूप से नहीं हैं। मैं नहीं समझता कि ये क्षेत्रपति के परिवार में नहीं गिने जायेंगे तो किसके परिवार में गिने जायेंगे ? ३० एकड़ जमीन जो बचायी जा रही है तो क्या ३० एकड़ जमीन की आमदनी को वे केवल अपने ही ऊपर खर्च करेंगे ? कवल उनके और उनके परिवार के भरणपोषण की दृष्टि से ही तो इतनी जमीन को सुरक्षित किया जा रहा है। और परिवार में ये ही लोग आते हैं—माता, पत्नी, अविवाहिता पुत्री या पौत्री, पुत्र या पुत्र का पुत्र या पुत्र का पौत्र पुत्र की पत्नी या पौत्र की पत्नी, इनके अलावा और कौन बचता है ? मैं समझता हूं कि यह जो संशोधन आया है इससे इस बात की व्यवस्था हो जाती है कि व्यवहारतः तो वे एक परिवार के अन्दर रहते ही हैं लेकिन कागज के अन्दर केवल बचने के लिये, कि उनके पास जमीन बच जाय या कृषि आय-कर न देना पड़े इस भावना से जो अपने को संयुक्त परिवार के अन्दर नहीं दिखलाते हैं, यह चीज रुक जाय। अगर यह संशोधन पास हो जाय तो इस तरह की गलत चीज लोग करने की कोशिश नहीं करेंगे।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। मैं समझता हूं कि अगर यह संशोधन नहीं पास होगा तब भ्रष्टाचार बढ़ेगा क्योंकि लोग अपने फर्जी नाम कागजात में दर्ज कराने लगेंगे और फर्जी तौर पर अपनी जमीन का बटवारा दिखला कर, कर से बचने की कोशिश करेंगे। इससे बचने के लिये वे भ्रष्टाचार का मार्ग जरूर अपनायेंगे। लेकिन अगर उनको संयुक्त परिवार का माना जायगा तो इससे भ्रष्टाचार किसी भी हालत में नहीं हो सकेगा।

एक बात और है कि इसको कोई कैसे साबित करेगा कि हमारा नाबालिग लड़का या अविवाहित पुत्र या पुत्री या पौत्र या पौत्री नाबालिग है ? लेकिन अलग-अलग इन्तजाम

[श्री नागेश्वर प्रसाद]

कर रहे हैं इसलिये यह साबित करना कठिन होगा कि व किस तरह से अलग अलग खेती बारी अलग अलग रहते हुये कर रहे हैं। मान लिया जाय कि यदि साबित भी कर दें कि हमारा लड़का बालिग है और अलग रह कर खेती करता है, या पत्नी अलग है और वह खेती करती है, या माता अलग है और वह अलग खेती करती है तो ऐसी अवस्था में सरकार मान ही लेगी और इस संशोधन में उसकी व्यवस्था की ही गई है। कोई हानि होने का डर नहीं है। फर्जी तौर से इसको साबित करना बहुत मुश्किल हो जायगा और कोई किसी तरह से बच नहीं पायेंगे। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि इससे कोई हानि नहीं है और सरकार की वह मंशा पूरी हो जाती है कि बिना सीलिंग किये हुए जमीन कुछ निकल आयेगी और जो वास्तव में काश्तकार हैं उनके हाथ में जमीन चली आयेगी। इससे हमारे यहां खेती की काफी तरक्की होगी और पैदावार भी बढ़ेगी। राजा साहब जगमनपुर की दूसरी राय हो सकती हो, भले ही उनकी राय से ७०, ८० लाख का ही लाभ हो, लेकिन फिर भी कुछ आय तो हो जायगी और इससे हमारे देश और प्रदेश का कुछ कल्याण हो जायगा। इस तरह से जो संशोधन माननीय शिवशरनलाल जी ने रखा है, मैं समझता हूं कि बहुत समझ सोच कर रखा है और वह बहुत ठीक है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिये। इस संशोधन का विरोध किसी तरह से भी नहीं करना चाहिये।

*श्री आनन्द ब्रह्म शाह (जिला मिर्जापुर)—अधिष्ठाता महोदय, अगर यह संशोधन नहीं माना जायगा तो इस कानून के पास हो जाने के बाद जो मनुष्य देहात में बसते हैं उनके लिये आगे का रास्ता अन्धेरा हो जायगा। वे एलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, वे अपना मत नहीं दे सकेंगे और अपने बच्चों को यथार्थ शिक्षा भी नहीं दे सकेंगे। उनके लिये आगे सिर्फ यही रह जायगा कि वे शहर में चले आवें और यहीं चूल्हा चौका कर के अपना पेट भरें। उनके लिये कोई स्कोप नहीं रह जायगा। इसलिये माननीय मंत्री महोदय को इस संशोधन को मान लेना चाहिये।

श्री शिवशरन लाल श्रीवास्तव—अधिष्ठाता महोदय, इस सम्बन्ध में काफी बहस हो चुकी है और उस पक्ष वालों ने भी अपने विचारों का इजहार किया है और इस तरफ से भी इसकी पुष्टि की गई है। यह संशोधन जनता के हित में है और इसमें किसी का नुकसान नहीं है, यह भी सिद्ध कर दिया गया है। जो उधर से दिखाया गया कि जो हमारा संयुक्त परिवार है वह टूट जायगा, उस की इसमें कोई गुंजायश नहीं है, हमारे परिवार वैसे ही बने रहेंगे। यह तो हमने इसलिये रखा है कि सेलेक्ट कमेटी से जो ज्वाइंट विवाद होने के बाद एक चीज आयी थी उसमें कुछ वैधानिक त्रुटि मालूम हुई और वह यह कि दूसरी हालत में अगर कोई प्राविजो जोड़ा जाता है तो वह बेकार हो जाता है। इसलिये हमें जरूरत हुई कि एक आल्टरनेटिव संशोधन प्रस्तुत किया जाय और उसे माना जाय। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री चरण सिंह—अधिष्ठाता महोदय, हमारे इस बिल का सिद्धान्त यह है कि एक एकानामिक यूनिट पर, एक आर्थिक इकाई, जो हो, उस पर टैक्स लगे ख्वाह वह एक व्यक्ति हो, खान्दान हो, चाहे ईसाई का हो मुसलमान का हो, या हिन्दू का हो, ख्वाह वह इनकारपोरेटेड असोसियेशन हो या को-आपरेटिव सोसाइटी हो (एक आवाज ख्वाह विधवा का हो।) विधवा सधवा का कोई सवाल नहीं है। माननीय अवधेशप्रतापसिंह ने उसका ठीक उत्तर दे दिया। सवाल यह है कि जिसका अलग काम हो रहा है, आर्थिक इकाई से बाहर कोई चीज नहीं है। फिर सवाल यह है कि उसके कांस्टीएन्ट्स कौन हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि खंड ४ के उप-खंड (१) के स्पष्टीकरण (२) में कि इन्कारपोरेटेड

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

असोसियेशन के पास जमीन हो, जिसके अन्तर्गत सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १८६० के अधीन रजिस्टर्ड सोसाइटी अथवा असोसियेशन, कम्पनी अथवा फर्म भी हैं, उनकी उपभुक्त भूमि एक जोत समझी जायगी। अब एक इन्कारपोरेटेड एसोसियेशन में गांव के मुख्तलिफ आदमी, मुख्तलिफ गांवों के मुख्तलिफ आदमी हो सकते हैं और इस तरह से एक जगह जो आदमी काम कर रहे हैं ख्वाह इत्तफाक ऐसा हो जाय कि वह बाप बेटे हों, मां हो, बेटे की बहू हो अगर उनकी एक जगह खेती हो रही है तो उनको एक इकाई माना जायगा। इसलिये इसमें शिकायत की कौन सी बात है, चमकने की इसमें क्या बात है, सिवाय इसके कि मन के अन्दर कुछ और भरा पड़ा हो जिसको आप किसी वजह से साफ नहीं कर सकते।

एक सदस्य---वह साबित कैसे करें कि अलग हैं ?

श्री चरण सिंह---कानून शहादत की बात पूछना हो तो जैसे श्री मदनमोहन वर्मा से वह फैजाबाद में जाकर पूछ रहे हैं या जैसे मनकापुर वाले सज्जन पूछ रहे हैं। जब ऐक्ट बन जायगा तो उसके मातहत जब कार्यवाही हो तो वह शहादत दे सकते हैं और कह सकते हैं कि वह मां हमारी जरूर है लेकिन हम अलग खेती करते हैं। तब उस हालत में उनके हिस्से की जो जमीन अलग होगी वह निकल जायगी। स्त्री हमारी जरूर है लेकिन मकान पर सम्बन्ध है और जब खेत में जाते हैं तो अलग हो जाते हैं, अलग खेती करते हैं। मतलब यह कि घर की खेती एक है और बाहर की खेती अलग है। अगर जनाब यह साबित कर सकें तो उनकी जमीन अलग हो जायगी। उनका हल अलग चलेगा और आपका हल अलग चलेगा, अगर आप यह साबित कर देंतो ठीक है। जमीन मुश्तरका नहीं मानी जायगी। एक इकाई नहीं होगी, मुख्तलिफ इकाइयां हो जायगी। इसलिये मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या सख्ती है।

पहले यह कहा जाया करता था कि ज्वाइंट हिन्दू फैमिली को तोड़ा जा रहा है। अब तक हमारे यहां ज्वाइंट हिन्दू फैमिली हैं और ऐक्टों में भी हैं, एकानामिक यूनिट मानी जाती है, लेकिन हमने लफ्ज हिन्दू रखा ही नहीं। हमारा आधार यह है कि एक आदमी के पास अगर जमीन है, उसकी मां, उसकी धर्म पत्नी, उसकी अविवाहित लड़की, या लड़का की लड़की, लड़का, पौत्र, प्रपौत्र, लड़के की बहू, पौत्र की बहू, प्रपौत्र की बहू को हमने नहीं रखा क्यों कि आदमी का इतने दिन जिन्दा रहना मुश्किल है कि प्रपौत्र की बहू के दर्शन कर ले। तो हमने उनको एक इकाई फर्ज किया है चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान तावक्ते कि अदालत में वह साबित न कर दें कि हम अलहदा अलहदा खेती करते हैं। तो मुसलमान या कोई हो, जहां तक एक ज्वाइंट अंडरटेकिंग है वह भी इस के अन्दर आ जायेंगे। पहले मुसलमान और मुसलमान के लड़के उनके पोते या वह एक जगह काम करते थे तो वह बच जाया करते थे। ऐसे ही क्रिश्चियन फैमली थी। मतलब यह कहने का है कि हमने कोई इस बात का भेद नहीं रखा। हमने इकानामिक अंडरटेकिंग रखा है। अगर सगे भाई हैं और बाप उनका जिन्दा नहीं है तो उनको अलग-अलग माना है। प्राबेबिलिटीज क्या हैं ? सगे भाई आमतौर पर बाप के मरने के बाद अलग-अलग होते हैं। हालांकि वह मुश्तरका भी रह सकते हैं और कुछ फैमलीज मुश्तरका सगे भाईयों की भी हैं, लेकिन अगर वह मुश्तरका भी होंगे तब भी हमने उनको अलग अलग मान लिया है क्योंकि जेनरैलिटी में वह अलग-अलग होते हैं। अगर बाप जिन्दा है तो बाप के लड़के, अविवाहित लड़की, पुत्र, पुत्र वधू, हमने उनका एक एकनामिक यूनिट माना है। इस प्रिजम्पशन के साथ चले, लेकिन अगर दरवाकय अलग अलग हैं तो बर्डन आफ प्रूफ उनके ऊपर है, क्योंकि जेनरैलिटी में बेटा, बेटियां, पुत्र-वधू एक साथ रहते हैं। तो इस कयास से चलते हैं। अगर-अलग हैं तो साबित करें कि अलग हो गये हैं। लेकिन बर्डन आफ प्रूफ उसके ऊपर होगा। पार्टीशन हो गया, इस से काम नहीं चलेगा। रजिस्टर्ड नोटिस दे दिया कि पार्टीशन हो गया। मैनेजेज ऐंड कल्टीवेट्स सेपेरेटली, अगर यह साबित किया जायगा कि प्रबन्ध उस भूमि का और उसकी काश्त अलग-अलग

[श्री चरणसिंह]

ती जाती है तो अलग-अलग वह काश्त होगी। इतनी साफ बात, इतनी सरल बात और उसके ऊपर चिरागपा हों मेरे दोस्त। फंडामेंटल राइट्स कौन डिनाई कर रहा है? लेकिन स्टेट का भी फंडामेंटल राइट है कि इवेजन को रोके टैक्स देना कड़ुवा काम है। हर आदमी फिक्र में है। अगर यह प्राविजन निकाल दिया जाय तो जैसा माननीय रामलखन जी ने कहा तो इस बिल के अन्दर कुछ नहीं रह जायगा और कल ही सब जमीन तकसीम हो जायगी। लेकिन जो मेरे भोले भाले भाई उधर हैं उनको बिठाने की कोशिश हो रही है इसलिये मुझे समझाने की जरूरत पड़ी। ऐसी ऐसी इंस्टैंसेज हम को मालूम हैं कि जब जमींदारी के खात्मे का मामला चल रहा था तो रकबे के रकबे धर्म-पत्नियों के नाम हो गये। (व्यवधान) धर्मपत्नियां कह रहा हूं, मैं धर्मपत्नी नहीं कह रहा हूं, तो उनके नाम सब रकबा हो गया और एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स से बचे रहे। अब नहीं बचेंगे जब तक यह साबित न करदें कि धर्मपति और पत्नी में अनबन है, रोजगार अलग-अलग चल रहा है। तो अधिष्ठाता महोदय, अब जो आपत्ति की गई उनका मैं एक एक का जवाब देता हूं।

मेरे मित्र मदनमोहन वर्मा जी ने एक बात स्पष्ट करदी कि टेनेन्सी ऐक्ट में भी अगर जमींदार अपने किसी रिश्तेदार को काश्तकार बनालें, तो यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट नम्बर १७,१९३९ की धारा २९ का स्पष्टीकरण मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं।

मूल धारा में लिखा है कि हर सब-टेनेन्ट, हर शिकमी उप-काश्तकार, हेरीडेटरी टेनेन्ट आगे से माना जायगा और आगे चल कर लिखा है वह आदमी सब-टेनेन्ट नहीं माना जायगा :

"*Explanation* : For the purposes of this section 'sub-tenant' does not include a person who holds land from a relation, dependant or servant of the landholder, unless such relation, dependant or servant proves to the satisfaction of the Court that he is a genuine tenant of such land and has not been admitted to prevent the accrual of heraditary rights in favour of such person."

अधिष्ठाता महोदय, जैसा आपको भी विदित होगा जमींदार लोगों ने अपनी स्त्री के नाम जमीन कर दी और काश्तकार बना लिया और स्त्री के हक में पट्टा लिखा, अब वह शिकमी हो गया। तो हमने पिछली बार टेनेन्सी ऐक्ट में यह तय किया कि स्त्री ही नहीं, चाहे कोई रिश्तेदार हो सब इसमें आगये। तो बहुत वाइड था और कोई आश्रित जन हो और कोई मुलाजिम भी हो अगर जमींदार ने पट्टा उसके नाम लिख दिया है और फिर पट्टा उनके नाम लिया गया है जो खेती कर रहा है तो वह शिकमी नहीं बल्कि असली काश्तकार माना जायगा और यह पट्टा रिश्तेदार के नाम फर्जी माना जायगा। स्त्री मालिक है, रहेगी, लेकिन टैक्सेशन की गरज से इस कानून के मातहत हम उसको एक इकाई मानेंगे।

अधिष्ठाता महोदय, अब माननीय मित्र शिकारपुर, मेरा मतलब माननीय रघुराजसिंह से है, वह नहीं हैं। खैर, मैं आपको साफ़ किये देता हूं कि इसमें जो लोग मेहनत करने वाले हैं जो वाकई खेती करेंगे उनको कोई नुक्सान नहीं है। वह तो जो आइडलर्स हैं उनको नुकसान है, उनकी जमीन जरूर जायगी और जैसा मैंने कहा कि उनकी जमीन अगर चली जाय तो कोई अफ़सोस की बात नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं आप के संशोधन को स्वीकार करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है खंड ४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"४—(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त "जोत" "land holding" का तात्पर्य ऐसी समस्त भूमि के समुच्चय 'The aggregate of all land' से है जो

प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम दिनांक पर किसी क्षेत्रपति (land holder) के अधिकार या अध्यासन में हो, चाहे स्वयं क्षेत्रपति के नाम में या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम में, और ऐसी समस्त भूमि उक्त क्षेत्रपति की जोत का भाग समझी जायगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी भूमि जो क्षेत्रपति के परिवार के किसी सदस्य के अधिकार या अध्यासन में हो, उक्त क्षेत्रपति की जोत का भाग नहीं होगी यदि उसका प्रबन्ध और उस पर खेती पृथक् रूप से की जाती हो ।

स्पष्टीकरण---(१) इस धारा के प्रयोजनों के निमित्त किसी परिवार के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं :

(क) माता,
(ख) पत्नी,
(ग) अविवाहिता पुत्री या पौत्री ,
(घ) पुत्र, या पौत्र या प्रपौत्र,
(ङ) पुत्र की पत्नी या पौत्र की पत्नी ।

स्पष्टीकरण---(२) ऐसी भूमि जो किसी ऐसे निगमित संघ (incorporated association) के, जो सहकारी समिति (Co-operative Society) से भिन्न हो, किन्तु जिसके अन्तर्गत सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १८६० के अधीन निबन्धित (registered) संस्था (society) या संघ (association) है, या किसी कम्पनी या किसी फर्म के अधिकार में हो, एक ही जोत समझी जायगी ।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों को, बाधित न करते हुये, यदि भूमि दो या अधिक व्यक्तियों के या किसी सहकारी समिति (Co-operative Society) के अधिकार या अध्यासन में हो तो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, ऐसे व्यक्ति का या सहकारी समिति के किसी सदस्य का उस भूमि में हिस्सा पृथक् रूप से उसके अधिकार में समझा जायगा और ऐसे व्यक्ति की या सदस्य की, जैसी भी स्थिति हो, जोत का भाग होगा ।

स्पष्टीकरण---सहकारी फार्म (Co-operative farm) की दशा में पद 'भूमि में हिस्सा' का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो उक्त फार्म के किसी सदस्य द्वारा या उसकी ओर से अंशदान के रूप में, फार्म को दी गई हो ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री ब्रजवासी लाल---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर । यह जो अभी माननीय शिवशरणलाल जी का संशोधन दफा ४ में एक्सेप्ट हुआ है उसके बाद तो यह जितने संशोधन दफा ४ में हैं वह नहीं लिये जा सकते ।

श्री अधिष्ठाता---जी हां, वह हो सकते हैं ।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (१) के स्पष्टीकरण को निकाल दिया जाय । श्रीमन्, वह स्पष्टीकरण यह है कि इस धारा के प्रयोजनों के निमित्त किसी परिवार के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं : माता, पत्नी और अब तो मैं इसमें से पढ़ दूं जो अमेंडमेंट हुआ है, अविवाहिता पुत्री या पौत्री, पुत्र या पौत्र, या प्रपौत्र, पुत्र की पत्नी या पौत्र की पत्नी .....

श्री मदनमोहन वर्मा---प्वाइन्ट आफ आर्डर । अधिष्ठाता महोदय, अभी श्रीमन् ने यह व्यवस्था दी है कि यह जो संशोधन अभी स्वीकृत हुआ है उसके स्वीकार हो जाने के बाद अन्य जो इस सम्बन्ध में संशोधन हैं वह नहीं लिये जा सकते । इनके ऊपर तो वादविवाद हो चुका है कि मदर, वाइफ यह सब इसके अन्दर रहें । लेकिन अब मा० सदस्य वही पेश कर रहे हैं कि यह सब निकाल दिया जाय और यह पास हो चुका है ।

श्री अधिष्ठाता—अमेंडमेंट के अन्दर दूसरा संशोधन हो सकता है। प्रक्रिया नियमावली के अनुसार जो अमेंडमेंट हो गये हैं उनमें दूसरे अमेंडमेंट हो सकते हैं।

श्री चरणसिंह—अधिष्ठाता महोदय, अगर उस अमेंडमेंट को वोट न करें तो अमेंडमेंट में अमेन्डमेन्ट हो सकता है, लेकिन जब अमेंडमेंट स्वीकार हो चुका, बिल का हिस्सा बन चुका तो उसे फिर कैसे निकाला जा सकता है ?

श्री अधिष्ठाता—खंड अभी बिल का हिस्सा नहीं बना। अमेंडमेंट हो सकता है।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह—खंड पूरा पारित ही नहीं हुआ। आपने यह इजाजत दी थी कि यह सशोधन हो सकता है और उसको मिस रिप्रेजेंट करके प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज कर दिया गया और माननीय मंत्री जी उसे सपोर्ट करके उसमें गम्भीरता उत्पन्न कर रहे हैं।

मैं माननीय मदन मोहन जी को अवश्य बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत सी बातों पर प्रकाश डाला जिसके वादविवाद का स्तर ऊंचा हो सका। उनके तर्कों से असहमत होते हुये भी मैंने उनकी भाषा को पसन्द किया।

मुझे अब केवल इतना कहना है कि उन्होंने यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट का हवाला दिया। कुछ रूलिंग्स हुईं जिनके आधार पर यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट में संशोधन किया गया यह बिलकुल ठीक है। सन् १९३९ में यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट बना और ४७ में संशोधन हुआ। सन् ५१ में हमारे मुल्क का संविधान बना। अगर माननीय मंत्री और मदन मोहन जी आर्टिकिल १९ (एफ) को पढ़ें तो उसका आशय समझ जायेंगे। उसके अनुसार कोई भी कानून जो संविधान के विरुद्ध हो वह अवैध है। यह हमारे मौलिक अधिकार हैं कि हम भूमि अर्जित कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं और उसका विक्रय कर सकते हैं। लिहाजा यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट में जो प्राविजन १३ था वह ५१ में अनकांस्टिट्यूशनल, इल्लीगल और अल्टरावायरस आफ दी कांस्टीट्यूशन हो गया। माननीय मदन मोहन जी मैं मानता हूं कि फैजाबाद के बहुत बड़े वकील हैं, लेकिन जिस रूप से वे यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट का हवाला दे रहे थे मैं उनसे तथा माननीय माल मंत्री से उस सम्बन्ध में केवल इतना ही निवेदन करता हूं कि कांस्टिट्यूशन आने के बाद अल्टरावायरस हो गया। जमींदारी टूटने के बाद जब माननीय चरणसिंह जी माल मंत्री थे तो यह प्रतिबन्ध लगाया कि पट्टे न दिये जा सकें। मेरे माननीय मित्र ने एतराज किया कि जमींदारी टूटने के पूर्व लोगों ने पट्टे दे दिये, तो, श्रीमन्, मैं आपके द्वारा, इस सदन से यह निवेदन करूंगा कि जब यह मौलिक अधिकार उनको था तो यदि उन्होंने पट्टे दिये या ट्रांसफर किया तो कौन-सी अवैधानिक चीज उन्होंने कर डाली, श्रीमन्, दूसरे की चीज तो उन्होंने पट्टा नहीं की। उस समय तक वह उनकी जायदाद थी और आर्टिकिल ३१ के अनुसार उसका जो कुछ भी मुआविजा और प्रतिकर हो सके, आपने दिया जिसकी शिकायत भले ही हमको यह हो कि मुआविजा नहीं था, अपहरण था, लेकिन वह सरकार ने भी स्वीकार किया। मंत्री महोदय अपनी समझ में बिलकुल ठीक कह रहे हैं कि जहां तक इस कानून का सवाल है, मैं, फार दि परपजेज आफ दिस ऐक्ट, उस ट्रांसफर को वैध नहीं मानता हूं इसके सम्बन्ध में उन्होंने थोड़ा-सा हवाला दिया और घर में धर्मपत्नी की बात कही, पर मैं तो कहता हूं कि धर्मपत्नी के लिये खेत और ऊख का सवाल नहीं पैदा होता, वह यह भलीभांति जानते हैं और मुझसे वह ज्यादा इस फन में माहिर होंगे और मैं यह कहूंगा कि धर्मपत्नी से ऊख और खेत का सम्बन्ध ही नहीं होता, तो ऐसे सम्बन्ध तो दूसरे हुआ करते हैं।

श्री चरणसिंह—आप ही अलग मान रहे हैं।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—श्रीमन्, फिर पुनरावृत्ति होगी। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कहते लेकिन उनका राजनीतिक सिद्धांत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह है कि "मूंदहु आंख कतहुं कछु नाहीं" और उसके बाद कहां-कहां उसका क्या प्रभाव होता है इससे कोई मतलब नहीं है। अब श्रीमन्, आफत इसमें यह थी, मैंने यह माना कि पत्नी के लिये उनको आपत्ति हो सकती है विधवा और सधवा के लिये .....

श्री अधिष्ठाता---माननीय अवधेश प्रताप सिंह, आप बैठ जायं। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के अनुसार नियम यह है कि ऐक्ट में अगर कोई एडीशन हो तो आप इस प्रकार से संशोधन ला सकते हैं, डिलीट करने के लिये संशोधन पेश नहीं कर सकते। इसलिये मैं यह निर्णय देता हूं कि आपने चूंकि ऐड नहीं किया, डिलीट किया है, इसलिये मैं इसकी आज्ञा नहीं देता।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---ठीक है, मैं नहीं बोलता हूं, मैं अब पूरे खंड का विरोध कर रहा हूं। आप श्रीमन्, मुझे आज्ञा दीजिये कि मैं सम्पूर्ण खंड का विरोध कर सकूं।

श्री अधिष्ठाता---नहीं, आप संशोधन नहीं ला सकते। अब इस पर बहस नहीं हो सकती।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन आप उसको देख तो लीजिये। मैं अब पूरे खंड का विरोध कर सकता हूं।

श्री अधिष्ठाता---आपने यह संशोधन नहीं दिया था। वह चीज दूसरी है। अब आप बहस नहीं कर सकते हैं, सदन उस पर निर्णय दे चुका है।

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ:---

पक्ष में---१०५,

विपक्ष में---२४,।)

श्री अवधेश प्रताप सिंह---श्रीमन्, यह हमारा अधिकार है कि हम किसी खंड को या सम्पूर्ण खंड को निकालने के लिये संशोधन दे सकते हैं या किसी सम्पूर्ण खंड का हम विरोध कर सकते हैं। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में व्यवस्था दे दी जाय। यह सदन की परम्परा रह चुकी है और हाउस के जो पुराने सदस्य हैं, जिन्हें काफी तजुर्बा है, जिन्हें काफी अनुभव है, वह इस चीज को जानते हैं कि हमको किसी खंड पर बगैर संशोधन लाये हुये, जब हमने कहा कि उक्त खंड निकाल दिया जाय तो इसके माने यह हैं कि हम उस खंड का विरोध करना चाहते हैं और सदन की यह परम्परा रह चुकी है।

श्री अधिष्ठाता---बात यह है कि सदन का निर्णय हो चुका था और मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस में और रूल्स में भी प्रोवाइडेड है कि आप ऐडीशन कर सकते हैं, डिलीशन नहीं कर सकते हैं। उसी समय करते, अब सदन उसे पास कर चुका है, इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता है।

खण्ड ६

वार्षिक मूल्य (annual value)।

६---(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त, किसी जोत का वार्षिक मूल्य ऐसी धनराशि समझा जायगा जो तदन्तर्गत भूमि अथवा भूमियों के लिये देय लगान को ऐसे गुणक (multiple) से गुणा करने पर प्राप्त हो, जो यथा नियत साढ़े बाहर से अधिक न हो, और विभिन्न जिलों अथवा जिले के भागों अथवा जोत के अन्तर्गत भूमियों के विभिन्न वर्गों के निमित्त विभिन्न गुणक नियत किये जा सकते हैं।

नोट---खण्ड ५ प्रवर समिति द्वारा निकाल दिया गया।

(२) उप–धारा (१) के प्रयोजनों के निमित्त, देय लगान, जोत के अन्तर्गत भूमि अथवा भूमियों पर लागू स्वीकृत मौरूसी दरों पर आकलित धनराशि समझा जायगा अथवा जहां स्वीकृत मौरूसी दरें न हों तो ऐसे सिद्धांतों पर आकलित धनराशि जो नियत किये जायं :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, उन दरों को जो जुलाई, १९२७ के प्रथम दिनांक से पूर्व स्वीकृत हुये थे, ऐसे प्रतिशत से बढ़ा सकती है, जो सौ से अधिक न हो, और जिसे सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित कर के निर्दिष्ट किया जाय और भूमि के विभिन्न वर्गों एवं उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के निमित्त विभिन्न प्रतिशत निर्दिष्ट किये जा सकते हैं ।

*श्री प्रतापभानप्रकाश सिंह---अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (१) की पंक्ति ५ में शब्द 'साढ़े बारह' के स्थान पर शब्द 'आठ' रख दिया जाय।

इसका अभिप्राय, श्रीमन्, यह है कि मैं एग्रीकल्चरल वेल्थ टैक्स ऐक्ट जो केन्द्रीय सरकार द्वारा पारित वेल्थ टैक्स है उससे मुकाबला करना चाहता हूं । इस विधेयक में यह लिखा हुआ है कि :---

"The valuation date means the last day of the assessee's previous year for income-tax purposes. Where, however, the assessee has different previous years under the Income tax Act for different sources of income, the valuation date for the purpose of wealth tax, will be the last day of the previous year immediately preceding the year for which the assessment is to be made."

अर्थात् जो वेल्थ टैक्स लगाया जायगा उसका वर्ष जो पिछला वर्ष गुजर गया है उसकी अंतिम तिथि से माना जायगा । इस जोत कर में ६५ फसली के ऊपर तो टैक्स लगाया जा रहा है और ६४ फसली के आंकड़े लिये जा रहे हैं । आंकड़े वह जो कि लैण्ड रेकर्ड्स में दर्ज होंगे। तो म नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि यह मेरी समझ में अनुचित है कि ६४ फसली के आंकड़े और ६५ फसली की आमदनी जो कि अभी तक हुई नहीं, उसके ऊपर यह टैक्स लगाया जाय । मैंने इस सम्बन्ध में एक संशोधन माननीय मंत्री जी की सेवा में पेश किया था कि पहली जुलाई के बजाय पहली अप्रैल, १९५८ कर दिया जाय, लेकिन माल मंत्री जी को आपत्ति थी अतएव उसको मैंने वापस ले लिया । लेकिन उसका निवारण इस तरह से हो सकता है कि आप खंड २० के उपखंड (२) के अंतिम विराम के स्थान पर कामा रख कर यह शब्द बढ़ा दें कि "जो अप्रैल के पहले नहीं दी जायगी ।" तो उसका अभिप्राय इससे हल हो जाता है ।

श्री चरणसिंह---आन ए प्वाइन्ट आफ इन्फार्मेशन । मैं समझता हूं कि मेरे मित्र जो पहली जुलाई, १९५७ या पहली अप्रैल, १९५८ की बात कह रहे हैं उससे इसका क्या वास्ता है ? वह तो संशोधन में चाहते हैं कि 'साढ़े बारह' के स्थान पर 'आठ' रख दिया जाय, लेकिन तकरीर इस पर हो रही है ।

श्री प्रतापभानप्रकाश सिंह---मैं कारण बता रहा हूं कि क्यों होना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता---आप संशोधन पर ही सीमित रहें ।

श्री प्रतापभानप्रकाश सिंह---मेरे कहने का मतलब यह है कि चूंकि यह ६५ फसली के लिये टैक्स लगाया जा रहा है इसलिये साल के अन्त में लगाया जाय, शुरू में नहीं।

दूसरी बात यह कि केन्द्रीय सरकार ने जो वेल्थ टैक्स लगाया है उस में काश्तकारों के टूल्स, इम्पलीमेंट्स आदि को एक्जेम्प्ट किया है । उनके लिये रियायत कर दी गई है, लेकिन इस टैक्स में इस तरह का कोई खयाल नहीं रखा गया है । केन्द्रीय सरकार का वेल्थ टैक्स "agricultural lands, growing crops, grass or standing trees on such lands" को exempt करता है यानी भूमि से पैदा गल्ला, अनाज और पेड़ों के फल इत्यादि पर वेल्थ टैक्स लगा है । चूंकि जोत-कर भूमि का टैक्स है और भूमि exempt होते हुये भी उससे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्पादित वस्तुओं इत्यादि पर केन्द्रीय वेल्थ टैक्स लगा है अतएव श्रीमन् मेरा निवेदन यह है कि फलतः जोत-कर एक double taxation है। चूंकि दोनों टैक्सों में काफी मेलजोल है, इसलिये प्रान्त के लिये एग्रीकल्चरल टैक्स में एग्रीकल्चर के लिये ऐसा स्टेप मदरली ट्रीटमेंट (step motherly treatment) करना मैं समझता हूं उचित नहीं है और मैं निवेदन करता हूं कि माल मंत्री जी इसके लिये अवश्य कुछ विचार करेंगे।

श्री चरणसिंह---अधिष्ठाता महोदय, मेरी समझ में नहीं आया कि माननीय मित्र ने क्या कहा। संशोधन कुछ है और तकरीर कुछ। जो कुछ उन्होंने कहा उससे संशोधन से कोई वास्ता नहीं।

दूसरी बात उन्होंने वेल्थ टैक्स के बारे में कही। सेंटर ने वेल्थ टैक्स लगा कर जो ऐग्रीकल्चरल टूल्स आदि हैं उनको एक्जेम्प्ट कर दिया। उन्होंने यह इसलिये किया कि संविधान के मुताबिक वह लैण्ड पर वेल्थ टैक्स लगा ही नहीं सकते थे। हम लैण्ड पर इस विधेयक के जरिय टैक्स लगा रहे हैं। यह चाहे कम्प्लीमेंट्री हो अथवा सप्लीमेंटरी, लेकिन यह रिपीटीटिव नहीं है। लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते यह दूसरी बात है लिहाजा डबल नहीं हुआ। लेकिन असलियत यह है कि वे लगाना चाहते तो भी नहीं लगा सकते हैं। कांस्टीट्यूशन में "टैक्स आन लैण्ड" स्टेट लिस्ट के अन्दर है। इस पर टैक्स हम ही लगा सकते हैं, यही लेजिस्लेचर लगा सकता है लिहाजा यह लगा रहे हैं। अधिष्ठाता महोदय, माननीय मित्र का संशोधन तो यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) की पंक्ति ५ में शब्द "साढ़े बारह" के स्थान पर शब्द "आठ" रख दिया जाय। इसका मतलब है कि अगर डबल भी हो तो ८ तक आपको मंजूर है। मगर क्यों हो डबल टैक्सेशन इसलिये इसमें कुछ कन्फ्यूजन मालूम होता है। हम तो साढ़े १२ तक की पावर ले रहे हैं। एनुअल वेलुएशन लगाकर हम आठ रख सकते हैं, ६ रख सकते हैं और साढ़े १२ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं।

*श्री रघुराज सिंह चौधरी---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं। मेरी दलील, अब तक जो सरकार का अमल हुआ है उसी पर मुनहसिर है। जब सन् १९४८ में टैक्स लगाया गया था तब इसका नाम एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स रखा गया था और उसमें शुरू में साढ़े ७ रखा गया था लेकिन इसमें साढ़े १२ रख दिया गया है और यह कहा जाता है कि यह प्रापर्टी टैक्स है। जब जमींदारान की जमींदारी ली गई तब गवर्नमेन्ट ने ८ गुनी कीमत रखी वही कीमत सरकार मान ले और वही यहां रख दे। मैं समझता हूं कि इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिये। अलावा इसके जब उनका खयाल है कि यह बड़ी जोतों पर टैक्स लगे जिससे कि वे बिक कर दूसरे छोटे काश्तकारों को चली जायं तो यह और भी जरूरी है कि साढ़े १२ के स्थान पर ८ ही रखा जाय ताकि वे लोग कम कीमत में खरीद सकें वर्ना वे इनको खरीद नहीं सकेंगे। तो इन चन्द अल्फाज के साथ, अब तक जो सरकार की तरफ से अमल हुआ है उसी पर अपनी दलील को मुनहसिर करते हुये, इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री अवधेशप्रताप सिंह---मान्यवर, माननीय प्रतापभानप्रकाश सिंह ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के हेतु मैं खड़ा हुआ हूं। मैं यह महसूस करता हूं कि जिस तरह से हम कहना चाहते थे उस तरह से हम नहीं कह पाये, लेकिन फिर भी मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि साढ़े १२ गुना जहां आप ने मैक्सिमम मल्टिपिल रखा है अब उसको आप ८ गुना कर दें क्योंकि वह इतनी बड़ी रकम होती है कि मल्टिपिल लगाने से उसका जो बोझ होगा उसको हम लोग सहन नहीं कर पायेंगे लिहाजा एक रियायत हम आप से चाहते हैं। जैसा कि माननीय चौधरी रघुराज सिंह ने कहा कि जब साढ़े ७ गुना आप ने एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स रखा उसके बाद साढ़े १२ गुना किया। तो उस वक्त आप इन्कम असेस कर रहे थे, इस वक्त आप इन्कम असेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि कल्टिवेटेड और अनकल्टिवेटेड दोनों लैन्ड पर आप टैक्स

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

लगा रहे हैं। इसलिए यहां पर मैं कहता हूं कि एक रियायत के तौर पर आप साढ़े १२ के बजाय ८ कर दीजिये। यह बिलकुल सीधी सी बात है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री प्रतापभानप्रकाश सिंह--अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय अवधेशप्रताप सिंह जी ने मेरा मतलब साफ कर दिया है। केन्द्रीय वेल्थ टैक्स ऐक्ट में यह है कि "it does not include agricultural lands, growing crops or grass or trees" इससे साफ हो जाता है कि ग्रोइंग क्राप्स तो मुस्तसना हों, लेकिन अनाज व फल पर केन्दीय वेल्थ टैक्स लगेगा। तो इस तरह से जब उसको नीलाम किया जायगा तो वह वेल्थ टैक्स में आ जायगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाय।

श्री चरण सिंह--अधिष्ठाता महोदय, मैं समझता हूं कि सुनने वालों ने यह सुना कि "but does not include agricultural land and growing crops; grass or standing trees or such land"। आपने तो अन्तर कर दिया है मैं आप से ऐसी उम्मीद नहीं करता था। मतलब यह है कि वह जमीन मुस्तसना हुई जिस पर फसल पैदा होती है। इसलिए जिस पर फसल पैदा नहीं हुई उस पर वहां टैक्स लगेगा, और यहां भी टैक्स लग जायगा। आप ने शब्द 'and' नहीं कहा। फसल या पेड़ जो ऐसी जमीन पर खड़े हों, या उगे हों, दोनों चीजों को उन्होंने मुस्तसना किया है। संविधान के अनुसार वे ऐसी जमीन पर टैक्स लगा भी नहीं सकते थे। सातवें शिडयूल में लिखा है "taxes or agricultural income, taxes or lands."। दोनों स्टेट लिस्ट में हैं। डबल टैक्सेशन की बात खत्म हो जाती है। वह टैक्स नहीं लगा सकते हैं चाहे खाली जमीन हो या उसमें क्राप्स हों।

अब रही बात यह कि १२ १/२ न होकर ८ हो जाय। यह अपनी अपनी राय हो सकती है। हम ने १२ १/२ तक रखा है। यह दूसरी बात है कि हम कीमत और पैदावार देखकर उसे घटा दें। इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) की पंक्ति ५ में शब्द 'साढ़े बारह' के स्थान पर शब्द 'आठ' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री दाताराम (जिला सहारनपुर)--अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (१) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि बागों के सम्बन्ध में इस कर की दर सात गुने से अधिक नहीं होगी।"

मान्यवर, वैसे तो मन्त्री जी ने खुद ही कहा है कि वे बागों पर कम टैक्स लगा रहे हैं, आगे बाग लगाने वालों को और भी छूट देना चाहते हैं और मालगुजारी भी छोड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले के बागों पर ज्यादा टैक्स न हो। इस समय ९ या १० गुने तक टैक्स है। अव्वल तो बागों पर कतई टैक्स नहीं होना चाहिए। सब जानते हैं कि बाग १ साल पैदावार देते हैं, दूसरे साल नहीं देते। लेकिन दूसरे साल भी उन पर टैक्स होगा, और ७ गुना रखने से भी १४ गुना आता है। बागों में घास भी नहीं बोयी जा सकती है। जिला सहारनपुर बागों के लिए काफी मशहूर समझा जाता है और लखनऊ के जिले में भी, मलिहाबाद वगैरह अच्छी जगह हैं। मैंने मलिहाबाद जाकर देखा। वहां के लोगों की शिकायत है कि जिस साल आम नहीं आते हैं उस साल की मालगुजारी, आबपाशी और टैक्स उन्हें बहुत बार मालूम होते हैं। उनका और खर्चा, माली वगैरह सब ज्यों का त्यों रहता है। तो यह ७ गुना मैंने ज्यादा से ज्यादा रखा है, लेकिन कलमी, कटहल, नीबू वगैरह पर टैक्स कतई न हो। कल ही मैंने अखबार में पढ़ा था कि वनमहोत्सव का सप्ताह शुरू हो गया है और जौनपुर में ५,००० पेड़ लगाये गये हैं। मैं नहीं जानता कि उनमें कितने जिन्दा रहेंगे और कितने मर जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता---कितने मरेंगे या जिन्दा रहेंगे, इससे इस संशोधन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री दाताराम---मैं पेड़ों के बारे में ही कह रहा हूं। जैसा कि मन्त्री जी स्वयं कहते हैं कि व बाग बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरी राय है कि ३०एकड़ से कम के काश्तकारों की तो मालगुजारी छोड़ दी जाय और ३० एकड़ से ज्यादा वालों को यह टैक्स छोड़ दिया जाय। तो इन ५ सालों में जितने बाग मन्त्री जी चाहते हैं उतने लग जावेंगे। इसलिए ७ गुने से ज्यादा नहीं रखना चाहिए।

श्री चरणसिंह---मेरी बड़ी बदकिस्मती है कि बागों के लिए इतना मैंने अर्ज किया जिस दिन मैंने बिल पेश किया था उस दिन भी और कल भी, फिर भी वही बातें दोहरायी जाती हैं कि बन महोत्सव हो रहा है और ५ हजार पेड़ लगाये गये थे। मैं ने कहा है कि हम स्वयं ही कम टैक्स लगाना चाहते हैं। कोई वजह नहीं है कि सहारनपुर के लीची या और बागों पर उसी साल टैक्स लगे जिस साल फसल आती है। सैक्शन्ड रेट ६ या ७ रुपये है, सहारनपुर में ७ रुपये होगा और ९ गुना हमने मल्टिपिल माना है, तो एक एकड़ के कलमी बाग की आमदनी ६३ रुपये नहीं होगी, मेरी अक्ल इस बात की शहादत नहीं देती। ६३ रुपया जरूर आमदनी होगी लिहाजा बहुत सोच समझकर ही यह रक्खा गया है। आगे और कम हो जायगी। जो रिडयूस करने की पावर नोटिफिकेशन के जरिये ली जायगी, उसके जरिये से कमी होगी।

श्री दाताराम---मुझे तो माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना था। उन्होंने कहा है कि वे खुद टैक्स कम कर रहे हैं। अगले जो लगेंगे अगली पुश्त देखेगी, हमें तो इस पुश्त क लिए कहना है। कलमी बागों पर तो और भी कम लगना चाहिए। अब मान लीजिये, शीशम है, वह तो ५० साल में जाकर ठीक होगी। मुझे केवल माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना था। इसलिए मैं इस संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

*श्री शिवराज बहादुर---चेयरमैन महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपना संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ६ के उप-खंड (१) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय।

"किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि दैवी आपत्तियों के कारण जिन जोतों की मालगुजारी में छूट दी जाय उनका वार्षिक मूल्य उसी अनुपात से कम कर दिया जायगा।"

अधिष्ठाता महोदय, बड़ी दिक्कत है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम अपने दृष्टिकोण से पेश करते हैं। हमारे इस्तदलाल का तरीका अलग है और दूसरी तरफ बैठने वालों के इस्तदलाल का तरीका दूसरा हो सकता है। मैं मन्त्री जी से निवेदन कर देना चाहता हूं कि वे चाहते हैं कि उनके बारे में पर्सनल कुछ न कहा जाय। उनसे भी मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि वे भी कम पर्सनल हों। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन में हमारी और आप की विचारधारा में फर्क हो सकता है, हमारी और आप की बातचीत की शैली में फर्क हो सकता है। जहां आपकी मजबूरियां हैं वहां हमारी भी मजबूरियां हैं। उन मजबूरियों को देखते हुए हम जिन बातों को मुनासिब समझते हैं, उनसे एक तिल भर भी इधर-उधर नहीं हो सकते। यह जानते हुए भी कि आप बहुमत में हैं, आप जल्दी से पास करा सकते हैं, मुझे अपनी बात कहने का पूरा अख्तियार है।

श्री अधिष्ठाता---आप संशोधन पर बोलें।

श्री शिवराज बहादुर---यह संशोधन बहुत साफ है। इस में कोई उलझी हुई बात नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर नेबुरल कैलेमिटीज आ जायं। उसने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवराज बहादुर]

उसको अच्छी तरह से जोता, बोया, अच्छी खाद भी दिया और भी हर तरह का सफा किया और उस के बाद ऐसी नेचुरल कलैमिटी आयी, जिसको कोई भी रोक नहीं सकता, मान लीजिये बाढ़ आ गयी, टिड्डी दल आ गया और फसल को जाया कर दिया, उस सूरत में आप गांवों की मालगुजारी कम करते हैं या बिलकुल माफ कर देते हैं। तो मेरा कहना यह है कि जिस तनासुब से मालगुजारी माफ करते हैं, उसी तनासुब से बागों के ऐनुअल वैल्युएशन में भी कमी कर दीजिये। जहां आप मालगुजारी में छूट देते हैं वहां उसका आठ गुना, दस गुना, बारह गुना या साढ़े बारह गुना वसूल करने का कोई सेंस नहीं रह जाता है। इसलिए यह एक ऐसा इन्नोसेंट और समझदारी का कदम है जिसको मानने में मेरा खयाल है किसी भी सदस्य को, किसी भी तरफ बैठने वाले को ज्यादा उज्र होने का मौका नहीं है। क्योंकि सिर्फ इतना है कि जिस अनुपात से आप मालगुजारी में रेमिशन देते हैं उसी अनुपात से इसमें भी छूट दे दी जाय। आप के सामने यह मेरा छोटा सा अमेंडमेंट है और मुझे उम्मीद है कि वह माननीय मन्त्री जी को शायद काबिले कबूल होगा।

*श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, जैसा कि मैंने अपने नोट आफ डिसेंट में लिखा है, ऐसा ही एक माननीय सदस्य ने एक प्रस्ताव के जरिये यहां उपस्थित किया है। मैं इस से पहले कि और कुछ कहूं मुझे माननीय मन्त्री जी के वे शब्द याद आते हैं कि यह बिल एक बड़ा मासूम बिल है तो उन्हीं के शब्दों में मैं यह कहूंगा कि माननीय सदस्य का यह प्रस्ताव भी एक बहुत ही मासूम प्रस्ताव है। जिस तरीके से माननीय मन्त्री जी उस मासूम बिल को हर तरीके से बचाने की बात सोचते हैं तो माननीय मन्त्री जी इधर भी ध्यान दें कि हमारे माननीय सदस्य के मासूम प्रस्ताव को कम से कम आप उदारता से देखें।

मैं इस से पहले कि नैचुरल कलैमिटीज की कोई बात कहूं, माननीय मन्त्री जी को इस बिल के लाने पर एक बात के लिए खास तौर पर बधाई देना चाहता हूं कि एग्रीकलचरल इन्कम टैक्स के सिलसिले में जो करप्शन प्रेवेलेंट था उसको उन्होंने इसके जरिये बहुत हद तक रोक दिया है।

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य संशोधन पर ही बोलें।

श्री जगवीर सिंह---जी हां, मैं उसी पर आ रहा हूं। बाहर जाने की बात नहीं सोचता हूं। चूंकि यह शिकायत होती है कि लोग सच्ची बात को भी नहीं कहते हैं इसलिए मैंने सोचा कि जो एक सच्ची बात मालूम है उस सच्ची बात को कह देना चाहिए, लेकिन आपने कहा कि आप नैचुरल कलैमिटीज पर ही आ जाइये, इसलिए मैं उसी पर आ जाता हूं। श्रीमन्, दरअसल यह समझ में नहीं आता कि एक किसान है, बड़ा लैन्ड-होल्डर हो या छोटा लैन्ड-होल्डर हो, इस बात से बहुत बहस नहीं है लेकिन सवाल यह है कि एक दैवी आपत्ति आती है, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है और उसकी खेती से रिटर्न नहीं आता है तो यह कौन सी जस्टिस है, यह कहां का इन्साफ का तरीका है जो माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि उस पर भी टैक्स होना चाहिए? जैसा कि मन्त्री जी कहते रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वे फिर कहेंगे और रीजनिंग में यही कहेंगे कि यह इन्कम पर टैक्स नहीं है, बल्कि यह लैन्ड होल्डिंग पर टैक्स है। श्रीमन्, मैं उधर के बैठने वालों की ही एक बात याद दिलाना चाहता हूं, मैं कोई नाम लेकर बात नहीं कहूंगा कि "पुरानी शराब को नयी बोतल में भर दिया गया है"। एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स का नाम बदल दिया गया है लेकिन मंशा बिलकुल यही है कि जो ठीक तरीके से खेती नहीं करता है वह ठीक तरीके से खेती करे ताकि उससे कुछ न कुछ टैक्स मिलने की गुंजाइश हो। इस का नाम आप ने बदल कर लैन्ड होल्डिंग टैक्स कर दिया है लेकिन इसका मंशा वह नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। जहां पर कोई दैवी आपत्ति आ जाय, और वहीं पर आप टैक्स लगाने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की बात सोचें, तो मैं माननीय मन्त्री जी से नम्र निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्री जी जरा ठंढी तबियत से इस पर सोचें और पूरे तरीके से इस पर ध्यान दें कि जहां पर दैवी आपत्ति आ जायगी, जिसकी तमाम जमीन पर ओला पड़ जायगा, और जिसके बच्चों के खाने के लिए रोटी भी नहीं होगी, जहां बाढ़ से जमीन बोयी न जा सकेगी, क्या माननीय मन्त्री जी उन पर भी टैक्स लगाने की बात सोचते हैं ? मैं इस बात पर ज्यादा वाद-विवाद न करके इसे माननीय मन्त्री जी के गुड सेंस पर ही छोड़ता हूं कि वे इसको ठीक समझें तो मान लें और न ठीक समझें तो न मानें।

श्री बलदेव सिंह---अधिष्ठाता महोदय, माननीय शिवराज बहादुर जी का संशोधन इतना सरल, सीधा और पवित्र भावना से है कि मुझे पूर्ण आशा है कि माननीय मन्त्री महोदय इसको अवश्य मान लेंगे। रात दिन इस सदन में, और मन्त्री जी तो हमेशा ही बताया करते हैं कि जब दैवी आपत्ति आ जाय और कहीं की फसल मारी जाय, ओला पड़ जाय, सूखा पड़ जाय, अकाल आ जाय तो जहां मालगुजारी माफ की जाय तो उसके साथ टैक्स भी माफ हो जाना चाहिए। मैं सदन का अधिक समय न लेकर मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि माननीय शिवराज बहादुर जी का जो एक बहुत पवित्र संशोधन है उसे वह अवश्य स्वीकार कर लें।

श्री रघुराज सिंह चौधरी---माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह संशोधन, कि जब कोई आसमानी आफत आ जाय तो इस टक्स में कमी कर दी जाय या उसको छोड़ दिया जाय, बहुत ही सीधा, सच्चा और बहुत ही स्ट्रेट है। यह तो दुनिया ने मान लिया है और इस उसूल पर किसी मुल्क में, किसी कोम में, किसी मिल्लत में और किसी इन्सान की मुखालिफत नहीं है कि जब नुकसान हो जाता है तो हकीकतन उसको टैक्स के बोझ से न लादा जाय। मैं सरकार से यह दरयाफ्त करूंगा कि जहां कहतसाली हो जाती है, या बारिश की ज्यादती हो जाती है या बाढ़ आ जाय या बारिश की कमी हो जाय तो वहां पर सरकार बजाय इसके कि आबपाशी, टैक्स, लगान, मालगुजारी या दूसरे किस्म के टैक्स वसूल करे और छूट देती है। अगर ऐसा है तो मैं नहीं समझता कि यही एक निराला टैक्स क्यों हो जो हर हालत में वसूल किया जाय। चाहे आग लग जाय, चाहे पानी से जमीन डूब जाय, गर्ज यह कि कुछ भी हस्र हो लेकिन टैक्स नहीं छोड़ा जा सकता। मैं समझता हूं कि तालीमयाफ्ता और तहजीबयाफ्ता लोगों का यह उसूल है कि उन्हें दूसरों की तकलीफ में शरीक होना चाहिए और डेमोक्रैसी की भी यही मंशा है कि किसी को गैरमुन्सिफाना तरीके से तकलीफ न दें। कोई कानून ऐसा नहीं है कि जिस ने इस चीज को रिकगनाइज न किया हो। सन् २० में जब आम तौर से सारी दुनिया में स्लम्प आया था तो हर मुल्क ने और सरकार ने सोचा कि हम किस तरह से लोगों को रिलीफ दे सकते हैं। उस वक्त यहां भी इस हद तक जाया गया कि सिर्फ सूद ही इनडिजिनस बैंकिंग वालों का नहीं छोड़ा गया बल्कि असल में से भी ४० से ६० प्रतिशत तक की कमी की गयी थी। बदकिस्मती से उस वक्त के फिगर्स मेरे पास नहीं हैं, लेकिन मैं बता सकता हूं कि इस हद तक भी उस वक्त जाया गया था। अगर यह कहा जाय कि यह प्रापर्टी टैक्स है, जब किसी मसले पर इसे प्रापर्टी टैक्स डिफाइन किया जाता है और जब कोई दूसरी बात सरकार के सामने पेश की जाती है तो झट से कृषि आय-कर की शक्ल में आ जाती है और उस मसले पर कुछ कहा जाता है तो वह प्रापर्टी टैक्स में तब्दील हो जाता है। कृषि आय कर और प्रापर्टी टैक्स में फर्क क्या है ? कृषि आय कर में भी हेरेडिटरी काश्तकार के सैक्शन्ड रेट्स लगाकर साढ़े १२ प्रतिशत कम किया जाता है और उसी हिसाब से टैक्स लगाया जाता है और इसी तरह से प्रापर्टी टैक्स में भी वही चीज है कि हेरेडिटरी टिनेंट्स के जो सैक्शन्ड रेट्स हैं उसका साढ़े १२ परसेंट कम किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह रुपयों और आनों में है और यह आनों की जगह नये पैसों में है। तो आप चाहे इसको एग्रीकल्चर टैक्स कहिये या आप प्रापर्टी टैक्स कहिये, बहरहाल नैचुरल कैलेमिटीज के लिए हर इंसान के दिल में जगह होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रघुराजसिंह चौधरी]

इस दुनिया की हर गवर्नमेंट या कौम या इन्सान इसका लिहाज रखता है। मगर माननीय मन्त्री उस से मुस्तस्ना हों तो मैं यह कहते हुए अपील करूंगा और पुरजोर अल्फाज में मतालबा करूंगा कि आप टैक्स लीजिये, लेकिन इन्सान के पाउन्ड आफ फ्लेश की तरफ नजर न कीजिये। अभी आप ने मुश्तरका खान्दानों का जिक्र किया। उन सब को एक कर दिया। वह सब इसी पर निर्भर करते हैं। तो इस टैक्स से आप समझते हैं कि वह सब मुतास्सिर नहीं होते और अगर यह टैक्स उनकी जीविका में से निकाला जाता है तो उन को नैचुरल कैलेमिटीज में रिलीफ हासिल करने का जायज हक होना चाहिए। हर कानून ने इस को माना है। यहां तक माना गया है, यह कानून मौजूद है कि अगर इन्सान के ऊपर बरदाश्त से बाहर बोझा है तो वह दरख्वास्त देकर इन्सालवेंट हो जाता है। जो उसकी अखलाकी जिम्मेदारी है उस से भी उस को बरी कर दिया जाता है। उसके मतलब यह हैं कि पाउन्ड आफ फ्लेश नहीं। आप टैक्स लीजिये, लेकिन जब उसके पास आमदनी नहीं है तो चाहे आप उस को प्रापर्टी टैक्स कहिये या ऐग्रीकल्चर टैक्स कहिये, मैं समझता हूं कि वह बहुत बेजा है और इन्साफ पर मबनी नहीं है। मैं तवक्को करूंगा कि हमारी सरकार इस किस्म की मिसालें न पैदा करेगी जिस से उन को अंगुश्तनुमाई का मौका हो और आइन्दा तारीख लिखने वाले लोग इस पर अपनी टिप्पणी करें।

इन चन्द अल्फाज के साथ मैं इस तरमीम की पुरजोर अल्फाज में ताईद करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी तकरीर के चन्द मिनट बाद माल मन्त्री जी खड़े होकर कहेंगे कि उन्होंने अपने दिल को टटोल लिया और इस पर इत्तफाक करेंगे।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन इस वक्त विचार करने के लिये सदन के सामने प्रस्तुत है मैं समझता हूं कि इंसाफ की निगाह से यदि देखा जाय तो उस संशोधन के पक्ष में हमें होना चाहिये। यह बात हम मंजूर करेंगे कि किसी से दुश्मनी साधने के लिये यह विधेयक नहीं है। अगर किसी से दुश्मनी साधने के लिये विधेयक नहीं तो फिर प्राकृतिक आपदा को न किसी धनी के ऊपर पड़ने से रोका जा सकता है, न किसी गरीब के ऊपर पड़ने से रोका जा सकता है और मैं आग्रह करूंगा कि इस मेरे कहने में कुछ अचम्भे की बात न समझी जाय। मैं इसलिये कह रहा हूं कि प्राकृतिक आपदा एक ऐसी बीमारी है कि इस बीमारी में बुरी तरह से हम लोग फंसते रहते हैं। मैं यह जानता हूं कि प्राकृतिक आपदा से सरकार घबड़ाती है और उस से आंख मूंदती है और उसको कबूल करने से इंकार करती है। उसका सामना करने की ताकत उसमें है या नहीं यह तो सरकार समझे, लेकिन आंख मूंदने की अक्लमंदी उसमें है कि अगर प्राकृतिक आपदा आये तो सिर नीचे करके ऊपर से आंधी बहने दे, चाहे जो कुछ भी हो जाय। कोई चिड़िया होती है, वह बालू में अपना सिर कर ले फिर ऊपर से चाहे धड़ कट जाय, लेकिन सिर बालू में ही धंसा रहेगा। इसमें मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। मैं जानता हूं और अपने इधर के बैठने वाले दोस्तों से भी कहना चाहता हूं कि इस संशोधन को मैंने तो यह सुना था शायद सरकार मानने को तैयार है, लेकिन ३, ४ तकरीर हो जाने के बाद मैं इस उम्मीद में बैठा था कि शायद उधर से यह बात कही जाय कि अब हम मंजूर करने जा रहे हैं और सदन का समय ज्यादा नष्ट न किया जाय। अब भी मैं सोचता हूं कि अगर यह इरादा हो तो एक मिनट भी मैं समय नहीं लेना चाहता हूं और बैठ जाऊं, लेकिन मालूम ऐसा होता है कि माननीय मंत्री जी को मेरा भाषण बड़ा प्रिय है। तो मैं जो कह रहा हूं इधर से बैठने वालों को कह रहा हूं कि अब वे आंख खोल लें और यह समझ लें कि नैचुरल कैलेमिटी में इस सरकार से किसी आदमी को राहत मिलने वाली नहीं है। नैचुरल कैलेमिटी आया करे, जाया करे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और हमारी सरकार उस कैलेमिटी का मुकाबला उस चिड़िया की तरह से करेगी जो अपनी जान तक गवां देती है, लेकिन सर उसका नीचे ही रहता है। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूंगा कि मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करें, लेकिन वे कहते हैं कि मेरे भाषण के बाद स्वीकार करेंगे, यही मैं उनका मतलब समझा . . .

श्री चरणसिंह—मैंने कहा कि आज मैं कुछ सोशलिज्म के बारे में सीख लूंगा।

श्री गेंदासिंह—अधिष्ठाता महोदय, सोशलिस्ट हूं और पक्का सोशलिस्ट हूं। नामधारी सोशलिस्ट नहीं हूं और सोशल जस्टिस में विश्वास करता हूं। कानून तंग करने के लिये नहीं बनाना चाहिये। सीधे-सीधे कह कर कानून बनाऊंगा जिस वक्त मौका आवेगा। उस वक्त कोई घुमा फिरा कर बात नहीं कहूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाऊं और अपने दोस्त को भी उधर बैठने वाले लोगों को बहुत मौकों पर देखा है, उन मौकों पर जितने कानून को पाबन्दी करने वाले और कानून की मर्यादा में रहने वाले हैं, मैं उनकी तारीफ़ करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं हम लोगों ने दुनिया की बात सुन रखी थी कि जमींदारी आबालिश होगी, खून की नदियां बह जायंगी, लेकिन मैं कहता हूं जिनके मुंह में लहू लगा हुआ था, जिस वक्त जमींदारी खत्म की गयी, उसके बाद मैंने देखा कि किसी जमींदार की यह हिम्मत नहीं पड़ी कि सरकार की मुखालिफ़त करता। और मैं कहता हूं अगर सरकार का मतलब इनकी जमीन को ले लेने से देश का कल्याण हो तो मैं उनकी तरफ से प्रतिनिधित्व तो नहीं करता, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी को रेजिस्टेंन्स और सत्याग्रह या और किसी बात का मुकाबला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकार को चाहिये कि देश की जरूरत के मुताबिक कानून बनावे।

एक बात मुझे जरूरी कहनी है कि प्राकृतिक आपदा जब आवे तब उस हालत में आप उनकी मदद करें और जिस वक्त उनके पास सम्पत्ति हो उस वक्त उनके घर से सम्पत्ति निकाल कर देश के काम में लायें। ये दोनों बातें मैं कहता हूं। इस वक्त जो मामला है वह यह है कि प्राकृतिक आपत्ति में फंसे हों उस समय उनसे कुछ न लें और इस लिये न लें कि प्राकृतिक आपदा ऐसी आ सकती है जब उनमें शक्ति न रह जाय कि वे सरकार को ५ रुपया भी अदा कर सकें। वैसी हालत में पांच रुपया भी वसूल करने में चाहे ५०० एकड़ का काश्तकार हो बड़ी कठिनाई पैदा होगी और ५ रुपया देना उनके लिये मुसीबत की बात हो सकती है, लेकिन कभी बम्पर क्राप आ सकती है तब आप ५ रुपया के बजाय १० रुपये वसूल कर लें तो मैं समझता हूं कि वह मुसीबत नहीं मालूम होगी, एक मामूली सी बात मालूम होगी। मैं इस दृष्टि से इस बात का समर्थन कर रहा हूं। मैं समझता हूं सोशलिज्म हो, चाहे और कोई इज्म हो, उसमें जो देने लायक हैं उससे लेना होगा और जो न देने लायक हो उससे न लेना होगा। यह मैं नहीं समझता जो आदमी न दे सके सोशलिज्म में उस से वसूल करें। ऐसा सोशलिज्म का सिद्धान्त मैंने नहीं पढ़ा है और मैं समझता हूं कि उधर के बैठने वाले भी अगर पढ़ने लिखने का दावा करते हैं तो उन्होंने थोड़े ही ऐसा पढ़ा है, उन्होंने भी ऐसा नहीं पढ़ा है, लेकिन वह जो मैंने कही चिड़िया वाली कहावत, वह कहावत मशहूर है कि पढ़ लिख कर भी वह यह समझते हैं कि हमको कहना चाहिये कि हमने नहीं पढ़ा है।

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त हो गया।

श्री गेंदासिंह—बहुत अच्छा, मैं समाप्त कर चुका और मैं समझता हूं कि जो कुछ मैंने कहा उस पर विचार करना चाहिये और समाजवादी सिद्धान्त या किसी सिद्धान्त में जो न देने लायक हो उस से नहीं लेना चाहिये और जो देने लायक हो उस से लेना चाहिये और प्राकृतिक आपदा पर अगर कोई हमारा हाथ नहीं, तो उस प्राकृतिक आपदा पर किसी भी सरकार का यह कर्तव्य होता है कि वह सरकार जिस के ऊपर भी वह आपदा आवे उसकी अगर कुछ मदद न कर सके तो उसकी विपत्ति को न बढ़ावे।

श्री रामलखन मिश्र—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, सिद्धान्तहीन तर्कों का उत्तर देना बड़ा ही कठिन हो जाता है और ऐसी अवस्था में जब कि असम्बद्ध और इर्रेलेवेंट बात कही जाती है। यहां तो ऐसा जान पड़ता है कि हमारे विरोधी पक्ष के सदस्यगण ने भूमि की परिभाषा ही नहीं पढ़ी। भूमि और उस के प्रोड्यूस दोनों को मिलाना उचित नहीं है। यहां पर तो भौमिक सम्पत्ति कर है और इस को एक विशेष तौर पर दूसरे आधार पर बनाया गया है। जिस बात को लेकर संशोधन उपस्थित किया गया है ऐसा जान पड़ता है कि उसके जो फंडामेंटल्स हैं वही संशोधक महोदय के सामने नहीं थे। जहां तक कोई दैवी आपत्ति का प्रश्न है वहां पर इस विधेयक की धारा ३ भाग (२) को भी ऐसा जान पड़ता है कि सामने नहीं लाया गया है। राज्य सरकार को उसमें अधिकार प्राप्त है कि वह उस सम्बन्ध में विचार कर सकती है, लेकिन मूल प्रश्न तो यह है कि भूमि का मूल्यांकन क्या है और मूल्यांकन के सम्बन्ध में कहीं १६ गुणक है, कहीं और अधिक, साढ़े बारह गुना तक कुल मल्टिपिल रखे गये हैं। प्रत्येक स्थान पर भूमि का एक गुणक उपस्थित किया जायगा और उस आधार के ऊपर यह भौमिक सम्पत्ति कर है, यहां पर दैवी आपदा का कोई प्रश्न नहीं है और दैवी आपदा जहां है जैसा उधर से कहा गया तो मैं फिर धारा ३, भाग (२) की ओर संकेत करता हूं। धारा ३, भाग (२) में इसकी विशेष तौर पर चर्चा की गयी है।

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह जानता हूं कि ६ बजे के बाद गिलोटिन हो जायगा, इस पर बहुत विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, इस कारण समाजवाद या और कोई वाद का उत्तर देना नहीं चाहता हूं। यह केवल बात को एक विस्तार से बढ़ाने की बात है और कोई सम्बद्धता, रेलीवेंसी इस विधेयक से नहीं है।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री शिवराज बहादुर जी के संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। यों तो मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बिल के पक्ष में हूं, लेकिन मैं केवल इस संशोधन से सहमत हूं। जब एक तरफ विपत्ति आती है और सरकार की ओर से तरह-तरह की मदद दी जाती है तो फिर उस वक्त में जो मुसीबत से ग्रस्त हो, उस से टैक्स वसूलना यह कहां के इन्साफ की बात है। मैं तो इस को यह समझता हूं कि मरे हुए लोगों से जैसे मुर्दों के कफन से एक हिस्सा मांगना है। मैं तो यही खास तौर पर समझता हूं। इस तरह का टैक्स लेना यह अनुचित बात है। जब एक तरफ मुसीबत में आदमी ग्रस्त है, उसके पास खाने का ठिकाना नहीं रह जायगा, और जब सरकार यह समझती है कि वह मुसीबत में ग्रस्त है, उसके पास कोई ठिकाना नहीं रह गया है, तभी वह जाकर मालगुजारी में छूट करती है। तो इसका यही सिद्धान्त है कि जिस भूमि की मालगुजारी में वह छूट करती है उसी भूमि के कर में भी उसको छूट करनी चाहिये। यह उसूली बात है। सिर्फ इतनी बात कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री उदयशंकर दुबे (जिला बस्ती)—अधिष्ठाता महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैंने यह देखा कि इस संशोधन को प्रजा सोशलिस्ट सदस्य, श्री शिवराज बहादुर ने पेश किया। उनकी तरफ से यह कहा जाता है कि बड़ी-बड़ी जमीनें जिन बड़े लोगों के हाथों में हैं उनसे निकाल ली जायं। बिल का उद्देश्य अपनी जगह पर साफ है। दूसरे देशों में भी लैण्ड रिफार्म में कोई रियायत नहीं की गयी। आप समाजवादी देशों को जैसे रूस और चीन को देखें तो आप पायेंगे कि जब वहां की सरकारों ने निश्चित रूप से एक मर्तबा यह तय कर दिया कि इस के आगे जमीन एक आदमी के पास नहीं रहेगी तो फिर उसके साथ किसी तरह की कोई रियायत नहीं बरती गयी। श्रीमन्, वे लोग जो समाजवादी होने का दावा करते हैं जब कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मौका आता है तो उस स्कीम में छेद करने की बात सोचते हैं। जब हम यह सोचते हैं कि इस से ज्यादा जमीन किसी आदमी के पास नहीं रहना चाहिये, लेकिन अगर वह उसे रखता है तो समाज के हित में उसको ज्यादा पैसा देना चाहिये। जब एक बार हमने इस नियम को स्वीकार कर लिया तो उसके बाद फिर यह कहना कि साहब नैचुरल कैलेमिटी आ गयी या कोई दूसरी चीज आ गयी यह कुछ मनासिब नहीं मालूम होता। फिर यह किसी आमदनी पर टैक्स नहीं है। अगर जमीन पर टैक्स होता तब तो आपकी बात बिलकुल ठीक थी। बात तो सिर्फ इतनी है कि आप इतनी जमीन रखते हैं, उतनी जमीन आप न रखें तो आपको किसी तरह का टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप समाज के हित के विरुद्ध उतनी जमीन अपने पास रखे हुए हैं तो सरकार को पूरा-पूरा अख्तियार है कि आप को वह इस स्थिति में कर दे कि जितनी जल्दी आप उस ज्यादा जमीन को छोड़ दें उतना ही अच्छा है और कृषक समाज का उससे कल्याण होने वाला है। तो इस उसूल पर आपको यह रियायत दी जानी मुनासिब नहीं है। लिहाजा शिवराज बहादुर जी इस संशोधन को कृपा करके वापस ले लेंगे, क्योंकि यह उनके उसूलों के खिलाफ जाता है और अपने उसूलों के खिलाफ जाने वाली बात को प्रस्तुत करना कुछ मुनासिब नहीं है।

*श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से बोलने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि पी० एस० पी० की तरफ से इस संशोधन को देख कर उनको ताज्जुब हुआ। उनको ताज्जुब जरूर होना चाहिये, क्योंकि ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से जो कहा जाता है वह पूरा नहीं किया जाता, लेकिन हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं होता। हम जो कहते हैं वही करते हैं। संशोधन के सम्बन्ध में मैं यह कहता हूं कि यह जो विधेयक आ रहा है उसमें यह प्राविजन सरकार की ओर से ही होना चाहिये था, क्योंकि नैचुरल कैलेमिटीज की वजह से अगर हमारी जो जोत है वह खराब होती है, फसल में कीड़ा लग जाता है, बाढ़ आ जाती है, अगर इस तरह का प्राविजन हो जायगा तो मैं समझता हूं कि समय-समय पर जो अधिष्ठाता महोदय, सदन का समय लेना पड़ता है कि फलां स्थान पर अतिवृष्टि हो गयी है तो हमको माफी देनी चाहिये, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हम कहें कि उसी के अनुपात से जमीन की पैदावार लगायी जाय तो यह न्यायसंगत है और इस पर अधिक बहस करने की आवश्यकता भी नहीं है। नैचुरल कैलेमिटीज सब पर आती हैं। अगर दैवी प्रकोप होता है तो उसको मानवता, ईक्विटी और न्याय के हिसाब से मानना चाहिये। मैं अधिष्ठाता महोदय के जरिये मंत्री जी और ट्रेजरी बेंचेज से दरख्वास्त करूंगा कि नैचुरल कैलेमिटीज का सवाल प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का नहीं है, न मालूम किस पर आ जायं।

इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री रामलखन मिश्र---अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---जब साढ़े ६ बजे तक बोलना है तो अभी से प्रश्न उपस्थित करने की क्या जरूरत है, अभी तो काफी लोग बोलना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता---अभी बहुत से इम्पार्टेंट हिस्से बाकी हैं और काफी लोग इस पर बोल भी चुके हैं।

प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री शिवराज बहादुर---चेयरमैन साहब, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ मैं इससे पहले अर्ज कर चुका था कि हमारे और दूसरे भाइयों के इस्तदलाल में फर्क हो सकता है। मेरे भाई ने आपत्ति उठायी कि मैंने पढ़ा नहीं। मैंने पढ़कर जो समझा वह अर्ज किया और अगर न समझा हूं तो वह समझा दें। एक भाई ने कहा कि मेरा जो प्रस्ताव है वह सोशलिज्म के खिलाफ है, यह मैं नहीं समझ पाया। अगर हिम्मत है तो ३० एकड़ क्या, २५ एकड़ और १५ एकड़ कर दीजिए और मैं सबसे पहला आदमी हूंगा जो इस प्रस्ताव का समर्थन करूंगा और बआवाज बुलन्द करूंगा, लेकिन जो मैंने कहा उसको समझने की कोशिश नहीं की। अगर इस प्रस्ताव को आपने नहीं माना तो एक ही जगह पर आप दो तरह के कानून लागू करेंगे। जब बाढ़ आजाती है, लोगों के घर बरबाद हो जाते हैं, किश्तियों में आपके बड़े-बड़े मैजिस्ट्रेट साहबान और दूसरे लोग वहां जाते हैं, कपड़े और दूसरी चीजें दी जाती हैं। आपने कहा है कि जमींदार हैं और बड़े-बड़े लोग हैं, बड़े तबके के लोग है, मैं सफाई से कहता हूं कि उनका हाल उनसे भी ज्यादा गिरा हुआ है। मेरा तो मंशा इतना है कि एक तरफ तो मालगुजारी में कमी की जायगी, उसी अनुपात से आप उनके ऐनुअल वैलुएशन में कमी करें। मैं जानता हूं कि ऐनुअल वैलुएशन क्या चीज है। मुझे मालूम है कि आपकी मालगुजारी क्या चीज है। तो मैं यह सवाल करना चाहता हूं आपके जरिये से कि मालगुजारी तो आपने माफ कर दी, क्यों कर दी? और उसका १२, साढ़े १२ गुना लेने को तैयार हैं। मेरा संशोधन साफ है कि जिस आराजी की मालगुजारी माफ हो उसके ऐनुअल वैलुएशन में उसी तनासुब से कमी कर दी जाय। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कौन सा ऐसा कदम था जो समाजवाद के खिलाफ चला गया। वह बिलकुल खुली बात है और उसको मैंने बगैर यह देखे हुए कि सदन क्या कहता है मुख्तसिर अल्फाज में रख दिया।

*श्री चरण सिंह---अधिष्ठाता महोदय, संशोधन यह है कि अगर प्राकृतिक आपदा आजाय तो उसी कदर टैक्स में उस साल माफी होनी चाहिये जिस कदर मालगुजारी में दी गयी है और इस के लिये यह कहा गया है कि यह बहुत सरल और मोटी सी बात है और खुदा में अगर विश्वास हो तो इस संशोधन के मान लेने के सिवाय और कोई चारा ही नहीं है और इंसानियत का तकाजा भी है, वगैरह-वगैरह। साथ-साथ यह भी कहा गया है कि हिम्मत हो तो यह लायें, वह करें, वगैरह वगैरह।

अधिष्ठाता महोदय, पहले हमें समझने की कोशिश करनी चाहिये कि इस बिल का बुनियादी सिद्धान्त क्या है। इसका बुनियादी सिद्धान्त जायदाद से जो आमदनी है, वह नहीं है। इसलिये इस ऐक्ट में जहां हम प्रावीजनल इनकम लिखकर भेजते हैं कि तुम्हारी इतनी आमदनी हमारे खयाल में आती है और इतना टैक्स लगेगा, अगर आप मानते नहीं हैं और आपकी आमदनी कम हुई है तो आप आकर साबित कर सकते हैं। तो यह हुआ इनकम टैक्स और ऐसा ही ऐग्रीकल्चरल टैक्स है, लेकिन वेल्थ टैक्स कहिये या प्रापर्टी टैक्स कहिये, यह तो प्रापर्टी के पजेशन पर ही है। चाहे उससे आपको एक पैसे की आमदनी हो या न हो। इस से कोई मतलब नहीं है। आपका काबिज होना ही इस बात को करार देता है कि आपको टैक्स देना है। ऐग्रीकल्चर इनकम टैक्स में तो यह है कि आमदनी कम हुई इसलिये टैक्स कम कर दिया जाय, लेकिन यहां तो जो खाली जमीन पड़ी हुई है उस पर भी हम टैक्स ले सकते हैं और ले रहे हैं। लैंड की परिभाषा में कहा गया है कि :---

"Land means Land whether assessed to Land Revenue or not, which is held or occupied for a purpose connected with Agriculture, Horticulture, Animal Husbandary, Pisciculture or Poultry Farming and includes uncultivated land held by a Land Holder as such."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जब हम उस जमीन पर जो कृषि के काम नहीं आ रही है उस पर भी टैक्स ले लेते हैं तो फिर कौन सी दलील है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने अपने इस संशोधन से अपने उसूल को मिलाने की कोशिश की है, समन्वय करने की कोशिश की है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि अगर इनकम टैक्स होता तो क्या होता ? हम इनकम टैक्स नहीं लगा रहे हैं, बल्कि हम तो लैण्ड टैक्स लगा रहे हैं। सिर्फ आपके जायदाद पर मालिक होने से ही टैक्स लग जायगा जो सारे नागरिकों के हिस्से से ज्यादा है। तो यह कहना कि इंसानियत का तकाजा है, अगर खुदापरस्त हो तो इसको मान लीजिये--सदके जाऊं इन तकरीरों के लिये।

एक मित्र उठे, मैं उनका बहुत आदर करता हूं। मैं उनका एक एक लफ्ज सुनने और समझने की कोशिश करता हूं। मुमकिन है कि उसमें कोई ऐसी बात हो जो गरीबों के लिये हो, जो समाजवाद के दर्शन के लिये हो, जो मेरी समझ में अब तक न आई हो, मेरे जैसे कुन्द जेहन लोगों की, प्रतिक्रियावादी लोगों की, तो आ जाय। तो मैं बहुत ध्यान से माननीय गेंदासिंह जी को सुन रहा था। पहले तो उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र किया और उसी में बहक गये। वह उनका प्रिय मजमून है। शायद उन्होंने यही समझा कि मेरे उल्टा लटकने से यह संकट टल जायगा, और गवर्नमेन्ट में हिम्मत नहीं है, वगैरह वगैरह कितनी ही बातें उन्होंने कहीं, लेकिन बाद में यह हुआ कि साहब लेना है तो सीधा बिल लाइये, परेशान करके क्यों लेना चाहते हैं। अधिष्ठाता महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि बिला मुआवजा जमीन ले ली जाय वह तो परेशान करने की बात नहीं है, लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि कोशिश करो, मेहनत करो और अगर अपने हिस्से से ज्यादा जमीन ले बैठे हो, तो उसमें कौम के लिये ज्यादा अन्न पैदा करो, लिहाजा ज्यादा टैक्स दो और इसको हमने अपने स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स और रीजन्स में साफ लिख भी दिया है कि अगर ज्यादा अन्न पैदा न करो और टैक्स न दे सको तो भले ही बिक जायं, वह अच्छा है बजाय इसके कि खाली रहें, तो यह परेशान करने की बात है। तो मैं यह हिम्मत की बात कह रहा हूं कि साहब हिम्मत हो तो सीधा बिल लाइये। क्या कहूं ? इस बिल की तो इधर से, उधर से, इस कोने से, उस कोने से, चारों तरफ से मुखालिफत हो रही है, कह रहे हैं कि इसको प्रापर्टी टैक्स न करके इनकम टैक्स किया जाय, लेकिन साथ ही यह भी कह रहे हैं कि सीधा टैक्स लगाया जाय, सीधा बिल लाया जाय। जमींदारों के लिये आप कह रहे हैं कि वे खुद ही जमीन छोड़ देंगे। बलिया में २९ बड़े-बड़े खातेदार हैं जिनके पास ढ़ाई सौ एकड़ से ज्यादा जमीन है। मैं जानना चाहूंगा कि माननीय गेंदासिंह जी, जो लैण्ड रिडिस्ट्रिब्यूशन की बात करते हैं, ने कितने उन बड़े खातेदारों से जा कर कहा कि देश के हित में जरूरी है कि आप अपनी जमीन छोड़ दें। कराया क्यों नहीं, उसके लिये कानून बनाने की बात क्यों होती है। कोशिश यह होती है कि जमींदारों के भी भले बने रहें और समाजवाद भी निभ जाय। "you want to run with the hare and hunt with the hound, शिकारी कुत्ते के साथ भी रहना चाहते हैं और शिकारी कुत्ता जिस खरगोश के पीछे पड़ा है उसके साथ भी भागना चाहते हैं।" या तो खरगोश के साथ रहिये या कुत्ते के साथ। रोज कहा जाता है कि बिला मुआवजे जमीन ले ली जाय, मैं अगर उसको ठीक नहीं समझता तो कहा जाता हूं कि प्रतिक्रियावादी हूं। मैंने कहा कि हम तकसीम के झगड़े में नहीं पड़ते इसलिये कि जमीन ज्यादा नहीं है। साफ बात है। मैं नहीं कह सकता कि यह राय मेरी कब से है कि छोटे-छोटे फार्म ही इस देश के लिये हितकर हैं, होना चाहिये और हो कर रहेंगे, लेकिन जहां साढ़े चार करोड़ एकड़ जमीन लोगों के हल के नीचे हो वहां पांच लाख के लिये हम इस परेशानी में नहीं पड़ना चाहते। सिर्फ एक प्रैक्टिकल आदमी होने के नाते मेरी यह जाती राय है। जिस दिन मेरे साथी तय करेंगे उसके लिये भी बिल आ जायगा और अधिष्ठाता महोदय, दुनिया भर में कायदा है कि इनकम की डिस्पैरिटी और खाई को दूर करने के लिये जिन लोगों की इनकम ज्यादा होती है उन पर हमेशा ज्यादा टैक्स लगाया

[श्री चरणसिंह]

जाता है । लेबिल डाउन करने का एक तरीका है, आल ओवर दी बल्र्ड । इसके लिये कहा जाता है कि परेशान करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से मजा उस रोज हो जायगा कि जिस रोज हम यह बिल लायेंगे कि बिला मुआवजा जायदाद ले ली जाय और अधिष्ठाता महोदय, जिन्होंने सीलिंग का बिल बना दिया है उन्होंने नैशनल डेवलपमेन्ट का एक रेजोल्यूशन यह भी पढ़ा होगा जिस में उन स्टेट गवर्नर्स को यह हिदायत दी गयी है कि ३ साल के अन्दर उसको इम्लीमेन्ट कर दें। ऐक्ट बने हुए २–२ साल हो गये हैं। नैशनल डेवलपमेन्ट कौन्सिल ने उसको करने के लिये ३ साल का मौका दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बिल के जरिये ऐग्रीकल्चर इन्कम में जो इतनी बड़ी डिस्पैरिटीज हैं, लैण्ड होल्डिंग्ज की जो खाई है उसको दूर होने में ३ साल नहीं लगेंगे, बल्कि २ साल के अन्दर इतनी बड़ी होल्डिंग्ज नहीं रहने की, बहुत कम होल्डिंग्ज रह जायंगी, मेरे ख्याल से समाजवाद के रास्ते पर २ साल के अन्दर-अन्दर बहुत प्रगति हो जायगी, जहां तक कि लैण्ड होल्डिंग्ज का ताल्लुक है। लेकिन बजाय इसके कि इसका स्वागत करते यह कह दिया गया कि गवर्नमेन्ट से हजार इख्तिलाफ हैं। मैं बधाई देता हूं कि माननीय जगवीर सिंह ने इसका स्वागत करने की कुछ कोशिश की लेकिन उन्हें भी कुछ कैलेमिटी का खयाल आ गया और बुलन्दशहर की जमीन का कुछ खयाल आ गया। इसलिये मैं अपने को इस संशोधन को मानने में मजबूर पाता हूं और एक बात सिर्फ यह कह देना चाहता हूं कि माननीय शिवराज बहादुर ने शुरू में जो उपदेश दिया कि माननीय मन्त्री जी ने यह बात कही तो मैं सोचने लगा कि मैंने कौन सी बात कह दी, कौन से अल्फाज मेरे मुंह से निकल गये, कौन सा मैंने कसूर कर दिया, यह मेरी समझ में नहीं आया। शायद बैठक के बाद मैं उनकी सीट पर उनसे मिलूं और पूछूं कि मैंने कौन सी बात कही थी, जिससे उन्हें यह उपदेश सुनाना पड़ा। अन्त में मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से एक बात यह पूछना चाहता हूं कि जब वे बड़ी-बड़ी जोतों का विरोध करते हैं तो सरकार की ओर से बड़े-बड़े फार्म क्यों खुले हुए हैं ?

श्री अधिष्ठाता---यह कोई प्रश्न नहीं है, मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

प्रश्न यह है कि खण्ड ६ के उपखण्ड (१) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय :

" किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि दैवी आपत्तियों के कारण जिन जोतों की मालगुजारी में छूट दी जाय उनका वार्षिक मूल्य उसी अनुपात से कम कर दिया जायेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अवधेश प्रताप सिंह---मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि खण्ड ६ के उपखण्ड (२) के प्रतिबन्ध की पंक्ति ३ में शब्द 'सौ' के स्थान पर शब्द "पचास" रख दिया जाय।

श्रीमन्, यह एक बहुत ही साधारण सा संशोधन है और मैं आशा करता हूं कि इसमें न तो सोशलिज्म की परिभाषा करने की जरूरत है और न कम्यूनिज्म की और न माननीय मन्त्री जी को अधिक भाषण देकर कष्ट करने की जरूरत है। अंग्रेजी में यह इस प्रकार से है :

"Provided that the State Government may enhance the rates by such percentage not exceeding hundred as may be specified by notification in the official Gazette and different percentages may be specified for differnt classes of lands and for different areas of Uttar Pradesh."

यानी अगर १९२७ के पहले का है तो उस दर में कटौती हो सकती है जो कि १०० फीसदी से अधिक नहीं है। मुझे सिर्फ यह कहना है कि उसमें "ऐसे प्रतिशत से बढ़ा सकती है, जो सौ से अधिक न हो" है। इन शब्दों में "सौ" के स्थान पर "पचास" रख दिया जाय।

यह मैंने माना कि सेलेक्ट कमेटी में यह संशोधन हुआ है, इससे बहुत कुछ सुधार हुआ है लेकिन १९२७ के पहले के जो हैं, जिनका बन्दोबस्त नहीं हुआ है, क्योंकि बन्दोबस्त हाल में जो हुआ वह सन् १९४४ में हुआ है, तो सन् ३३ से लेकर इस वक्त तक की तो बहुत थोड़ी-सी जगहें होंगी जहां पर कि इस तरह की परिस्थिति का सरकार को सामना करना पड़े और यदि इसमें करना भी पड़े तो उसके लिये ५० प्रतिशत बहुत काफी है। यह कहीं नहीं आयेगा कि शत प्रतिशत एनहैंसमेंट हो। लिहाजा मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री चरणसिंह---अधिष्ठाता महोदय, मैं यही सोच रहा था कि संशोधन को स्वीकार करूं या न करूं और अपना मन अभी पूर्णतया स्थिर नहीं कर पाया था, लेकिन खैर में इस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (२) के प्रतिबन्ध की पंक्ति ३ में शब्द "सौ" के स्थान पर शब्द "पचास" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ७

कर-निर्धारक अधिकारी (assessing authority)

७---(१) उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त कर-निर्धारक-प्राधिकारी वह सब-डिवीजनल आफिसर होगा जिसके क्षेत्राधिकार में क्षेत्रपति साधारणतया रहता हो:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार आदेश दे सकती है कि प्रथम श्रेणी का कोई असिस्टेन्ट कलेक्टर जो उसके द्वारा इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट किया जाय, सम्पूर्ण जिले में अथवा उसके किसी भाग में उन समस्त अथवा किन्हीं अधिकारों का, जो इस अधिनियम के अधीन कर-निर्धारक-अधिकारी को प्रदत्त हों, किसी अन्य कर-निर्धारक-अधिकारी के होने पर भी अनन्य रूप से प्रयोग करे:

और प्रतिबन्ध यह है कि यदि क्षेत्रपति साधारणतया उत्तर प्रदेश में न रहता हो तो कर-निर्धारक-प्राधिकारी, उस तहसील (sub-division) का जिसके अन्तर्गत जोत स्थित हो सब-डिवीजनल आफिसर अथवा उस तहसील (sub-division) में क्षेत्राधिकार युक्त असिस्टेन्ट कलेक्टर, यथास्थिति होगा, और यदि जोत एकाधिक जिलों अथवा तहसीलों में स्थित हो तो यथास्थिति, ऐसे सब-डिवीजनल आफिसरों अथवा असिस्टेन्ट कलेक्टरों में से कोई एक जिसे क्षेत्रपति नियत रीति से स्वेच्छया चुने। इस प्रकार प्रयुक्त स्वेच्छा (option) सिवाय ऐसे प्राधिकारी को पूर्व अनुज्ञा के, जिसे नियत किया जाय, परिवर्तित नहीं की जायगी।

और प्रतिबन्ध यह भी है कि जब पूर्वोक्त स्वेच्छा का प्रयोग न किया गया हो तथा जहां यह प्रश्न उठाया जाय कि कर-निर्धारक-प्राधिकारियों में से कौन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करे, तो यह विषय ऐसे प्राधिकारी को, जिसे नियत किया जाय, उसके निर्णय के निमित्त, जो अंतिम होगा, अभिदिष्ट किया जायगा ।

(२) यदि क्षेत्रपति उस तहसील से भिन्न तहसील में, जिसमें वह साधारणतया रहता हो, कर-निर्धारण कराना चाहे तो वह ऐसी अनुज्ञा के निमित्त—

(क) यदि वह तहसील जिसमें कि वह रहता हो और वह तहसील जिसमें वह कर-निर्धारण कराना चाहता हो एक ही जिले में हो, तो जिले के कलेक्टर को, और

(ख) किसी अन्य दशा में ऐसे प्राधिकारी को जिसे नियत किया जाय—प्रार्थना-पत्र देगा ।

(३) यदि उस प्राधिकारी के विचार में जिसे प्रार्थना-पत्र दिया गया है ऐसा करना कर-निर्धारण के सुविधापूर्ण एवं शीघ्र निस्तारण में सहायक होगा तो उप-धारा (२) के अधीन प्रार्थित अनुज्ञा दी जा सकती है ;

(४) कर-निर्धारक-प्राधिकारी ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम अथवा तद्धीन निर्मित नियमों द्वारा उसे प्राप्त हों ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (१) के पहले प्रतिबन्ध में दो बार आये हुए शब्द 'कर-निर्धारक-अधिकारी' के स्थान पर 'कर-निर्धारक-प्राधिकारी' रख दिया जाय और इसी खंड के तीसरे प्रतिबन्ध की दूसरी पंक्ति में आये हुए शब्द 'तथा' के स्थान पर 'अथवा' रख दिया जाय ।

श्रीमान् जी, जहां तक इस पहले संशोधन का सम्बन्ध है वह केवल शाब्दिक है और दूसरा संशोधन जिसमें 'तथा' शब्द के स्थान पर 'अथवा' करने की बात कही गयी है वह भी करीब-करीब शाब्दिक है । प्रतिबन्ध ३ में एक ऐसी बात कही गयी है कि जब क्षेत्रपति की जायदाद कई जिलों और कई तहसीलों में स्थित हो तो कहां का कलेक्टर या एस०डी०ओ० कर-निर्धारण का मसला तय करेगा । इसका निर्णय करना क्षेत्रपति की स्वेच्छा पर निर्भर है । अगर वह अपनी स्वेच्छा का प्रयोग नहीं करता ह, तब क्या होगा, उसकी व्यवस्था प्रतिबन्ध ३ में की गयी है । इसको दो रूपों में रक्खा गया है । अगर वह स्वेच्छा का प्रयोग न करे तो यह प्रश्न पैदा होता है कि कर-निर्धारण का अधिकार कौन क्षेत्राधिकारी प्रयोग करे । इसलिये वह प्राधिकारी के समक्ष भेजा जायगा । यह दोनों परिस्थितियां एक हैं इसलिये शब्द 'अथवा' से काम चल सकता है । इसलिये मैंने यह संशोधन उपस्थित किया है ।

श्री चरणसिंह—मुझको यह मंजूर है ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (१) के पहले प्रतिबन्ध में दो बार आये हुए शब्द 'कर-निर्धारक-अधिकारी' के स्थान पर 'कर-निर्धारक प्राधिकारी' रख दिया जाय और इसी खंड के तीसरे प्रतिबन्ध की दूसरी पंक्ति में आये हुए शब्द 'तथा' के स्थान पर शब्द 'अथवा' रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जयराम वर्मा---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (२) के भाग (ख) की पंक्ति २ में शब्द 'प्रार्थना-पत्र देगा' को हटा कर एक नई पंक्ति में रख दिये जायं ।

श्रीमन्, इन शब्दों 'प्रार्थना-पत्र देगा' का सम्बन्ध उपखंड (२) के भाग (ख) की पंक्ति से नहीं है । इसलिये इन शब्दों का प्रयोग खंड (ख) के साथ न होकर उससे अलग एक नयी पंक्ति में होना चाहिये था । इसलिये मेरा यह संशोधन मान लेना चाहिये ।

श्री चरणसिंह---मुझे यह मंजूर है । कम्पोजीटर की गलती से ऐसा हो गया है । अगर वह लाइन नीचे कर देता तो ठीक हो जाता ।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (२) के भाग (ख) की पंक्ति २ में शब्द 'प्रार्थना-पत्र देगा' को हटा कर एक नयी पंक्ति में रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नागेश्वर प्रसाद---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं---

खंड ७ के उपखंड (४) की दूसरी पंक्ति में शब्द 'तद्धीन' के स्थान पर शब्द 'तदाधीन' रख दिया जाय ।

मान्यवर, यह शब्द अशुद्ध है इसलिये इसको इस तरह से शुद्ध कर दिया जाय । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे ।

श्री चरणसिंह---मुझे यह मंजूर है ।

श्री जयराम वर्मा---अधिष्ठाता महोदय, मेरी समझ में तो जो शब्द प्रयुक्त हुआ है, वही ठीक था । तत् आधीन-तदाधीन कर देने से वह अशुद्ध हो जायगा । इसलिये जो शब्द है वही रहना चाहिये ।

श्री चरणसिंह---अधिष्ठाता महोदय, मैं संस्कृत ज्यादा नहीं जानता और मैंने बहुत जल्दी में उसको ठीक समझ कर मंजूर कर लिया । यह शाब्दिक बात थी । माननीय जयराम वर्मा जी की राय सही है और इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

श्री नागेश्वर प्रसाद---श्रीमन्, हलन्त हटाने के लिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है । हलन्त हटा देने पर ही यह शुद्ध होगा ।

श्री चरणसिंह---अधिष्ठाता महोदय, इस तरह की शाब्दिक गल्तियों को तो ठीक करने का आपको ही पूरा अधिकार है, इस तरह से लाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है । हमारे लीगल ट्रांसलेटर जो ऐडवाइस देंगे उसके मुताबिक कर देने की कृपा करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता---ठीक है, इस तरह के संशोधन को आफिस द्वारा ही ठीक कर दिया जायगा ।

प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ८

८—(१) कलेक्टर, प्रत्येक कृषि वर्ष में ऐसे दिनांक पर अथवा उसके जोत के पूर्व, जो नियत किया जाय, प्रत्येक क्षेत्रपति से जिसका जोत-कर देने का ध्योरों के दायित्व हो, नोटिस प्रकाशित करके अपेक्षा करेगा कि क्षेत्रपति कर-निर्धारक- सम्बन्ध में प्राधिकारी के पास नियत रीति से सत्यापित विवरण (verified return) जिसमें नोटिस

अपने द्वारा इस रूप में उपयुक्त समस्त भूमि का क्षेत्र तथा अन्य ब्योरे उल्लिखित हों, ऐसी अवधि के भीतर जो तीस दिन से कम न हो और जिसे नोटिस में बताया गया हो, प्रस्तुत करे।

(२) प्रत्येक ऐसे क्षेत्रपति पर भी जो कर-निर्धारक-प्राधिकारी के मत में जोत कर देने का उत्तरदायी हो, ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, नोटिस तामील किया जा सकता है जिसमें उससे अपेक्षा की जायगी कि ऐसी अवधि के भीतर जो नोटिस में निर्दिष्ट की जाय और जो तीस दिन से न्यून न हो, नियत आकार-पत्र में नियत रीति से सत्यापित करके (verified) एक विवरण (return) प्रस्तुत करे। नोटिस के साथ-साथ कर-निर्धारक-अधिकारी एक नक्शा (statement) भी भेजेगा जिसमें ऐसे व्यक्ति की जोत का वार्षिक मूल्यांकन तथा उसके द्वारा देय कर के अन्तर्कालीन (provisional) तखमीने प्रदर्शित होंगे। तखमीना ऐसे रूप में तैयार किया जायगा तथा उसमें ऐसे विवरण होंगे, जो नियत किये जायं :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कर-निर्धारक-प्राधिकारी, स्वविवेकानुसार ऐसे विवरण के प्रस्तुत किये जाने के दिनांक को ऐसी अवधि के लिये, जो तीस दिन से अधिक न हो, बढ़ा सकता है।

(३) यदि क्षेत्रपति, जिस पर धारा ७ की उपधारा (१) के द्वितीय प्रतिबन्धक के उपबन्ध लागू हों, उपधारा (१) अथवा (२) के अधीन नोटिस के अनुसरण में आय का विवरण प्रस्तुत करता है, तो वह आय के विवरण के साथ एक प्रख्यापन भी प्रस्तुत करेगा जिसमें पूर्वोक्त प्रतिबन्धक के आशयानुसार कर-निर्धारक-प्राधिकारी से संबद्ध वरण (choice) भी बतलायेगा।

(४) यदि उपधारा (२) के अधीन तामील किया गया नोटिस तत्पश्चात् दोषपूर्ण पाया जाय और नये नोटिस की तामीली आवश्यक हो जाय, तो वह कृषि-वर्ष की समाप्ति होने पर भी तामील किया जा सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पहला नोटिस ठीक समय में तामील किया गया हो और उसकी तामील से तीन वर्ष समाप्त न हुए हों।

श्री रामलखन मिश्र---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन इस सदन में प्रस्तुत करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

(१) कलेक्टर, प्रत्येक कृषि वर्ष में ऐसे दिनांक पर अथवा उसके पूर्व, जो नियत किया जाय, प्रत्येक क्षेत्रपति से जिसका जोतकर देने का दायित्व हो, नोटिस प्रकाशित करके अपेक्षा करेगा कि ३० दिन से अनधिक ऐसी अवधि के भीतर और ऐसे कर-निर्धारक-प्राधिकारी के पास, जिन्हें नोटिस में उल्लिखित किया गया हो, क्षेत्रपति नियत रीति से सत्यापित विवरण (verified returns), जिसमें अपने द्वारा इस रूप में उपभुक्त समस्त भूमि का क्षेत्र तथा अन्य ब्योरे उल्लिखित हों, प्रस्तुत करे।"

अधिष्ठाता महोदय, इस संशोधन में कोई वाद-विवाद की बात नहीं है, एक लीगल सी कमी थी वह ठीक कर दी गई है और किसी को इसमें कोई ऐसा मतभेद न होगा कि जिस पर वाद-विवाद कराया जा सके। आशा है मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री चरणसिंह---मुझे स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(१) कलेक्टर, प्रत्येक कृषि वर्ष में ऐसे दिनांक पर अथवा उसके पूर्व, जो नियत किया जाय, प्रत्येक क्षेत्रपति से जिसका जोत-कर देने का दायित्व हो, नोटिस प्रकाशित करके अपेक्षा करेगा कि ३० दिन से अनधिक ऐसी अवधि के भीतर और ऐसे कर-निर्धारक-प्राधिकारी के पास, जिन्हें नोटिस में उल्लिखित किया गया हो, क्षेत्रपति नियत रीति से सत्यापित विवरण (verified returns), जिसमें अपने द्वारा इस रूप में उपभुक्त समस्त भूमि का क्षेत्र तथा अन्य ब्योरे उल्लिखित हों, प्रस्तुत करे ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अवधेश प्रताप सिंह---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (२) की पंक्ति ५ में शब्द 'जो तीस दिन से न्यून न हो' के स्थान पर शब्द 'जो पैंतालीस दिन से न्यून न हो' रख दिये जायं ।

यह एक बहुत साधारण सा संशोधन है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे, जहां पर आप ३० दिन की मिनिमम लिमिट दे रहे हैं वहां उसे १५ दिन बढ़ाकर ४५ दिन की कर दीजिये, कोई बड़ा फर्क नहीं होता ।

श्री चरण सिंह---अधिष्ठाता महोदय, इसमें कोई कृषि आय साबित करने की बात तो है नहीं कि साबित करना हो कि इतनी आय है, इतना सर्फा ट्रैक्टर की सर्विसिंग में हो गया और यह नफा नुकसान हो गया । यहां तो सर्किल रेट मुकर्रर हैं जो सबको अपने मालूम हैं, उसका गुणक लगाकर निकाल दिया जायगा । सेटिलमेन्ट के सर्किल रेट मौजूद हैं, इसमें कोई कोई छोटे-बड़े कामं ओनर का भी सवाल नहीं है । अगर वक्त की जरूरत होती तो मैं दो मास भी कर देता । इसमें कोई हिसाब की बात भी नहीं है एक मोटा-सा अरबा सत्ता है, १५ दिन ही काफी थे लेकिन ३० दिन रख दिया गया है, वही ठीक है । इसलिये मुझे यह स्वीकार नहीं है ।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---श्रीमन्, मैं तो स्वयं वक्त बचाना चाहता हूं लेकिन इतना कहूंगा कि ३० और ४५ में बहुत फर्क नहीं था, उससे जरा सहूलियत हो जाती और वह नहीं मानते हैं तो मैं इसको वापस लिये लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री जयराम वर्मा---अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (२) में आये शब्द 'कर-निर्धारक-अधिकारी' के स्थान पर शब्द 'कर-निर्धारक-प्राधिकारी' रख दिया जाय ।

यह शाब्दिक संशोधन है और पहले भी माना जा चुका है ।

श्री चरण सिंह---मुझे स्वीकार है ।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (२) में आये शब्द 'कर-निर्धारक-अधिकारी' के स्थान पर शब्द 'कर-निर्धारक-प्राधिकारी' रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जयराम वर्मा---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (४) की पंक्ति २ में शब्द 'तामीली' के स्थान पर शब्द 'तामील' रख दिया जाय ।

श्री चरण सिंह---मंजूर है ।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (४) की पंक्ति २ में शब्द "तामीली" के स्थान पर शब्द "तामील" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ९, १० तथा ११

कर-निर्धारण (assessment) ।

९---(१) जब कर-निर्धारक-प्राधिकारी का समाधान हो जाय कि धारा ८ के अधीन तैयार किया गया विवरण ठीक तथा पूर्ण है तो वह जोत का वार्षिक मूल्यांकन निर्धारित करेगा और ऐसे विवरण के आधार पर लगाया जाने वाला जोत-कर निर्धारित करेगा ।

(२) जब कर-निर्धारक-प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि धारा ८ के अधीन तैयार किया गया विवरण अशुद्ध या अपूर्ण है तो वह विवरण भेजने वाले क्षेत्रपति से यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे दिनांक को, जो निश्चित किया जाय, या तो कर-निर्धारक-प्राधिकारी के कार्यालय में उपस्थित हो या अपने विवरण की पुष्टि में प्रमाण उपस्थित करे अथवा कराये ।

(३) उपधारा (२) के अधीन निश्चित दिनांक पर या उसके पश्चात् यथाशीघ्र ऐसे साक्ष्य पर जो ऐसा व्यक्ति प्रस्तुत करे और ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य पर जिसकी कर-निर्धारक-प्राधिकारी अपेक्षा करे, विचार करने के पश्चात् कर-निर्धारक प्राधिकारी जोत का वार्षिक मूल्यांकन सुनिश्चित करेगा तथा उस पर लगाये जाने वाले जोत-कर का निर्धारण करेगा ।

(४) जब कोई व्यक्ति धारा ८ के अधीन विवरण भेजने में असफल रहे अथवा विवरण भेजने के पश्चात् उपधारा (२) अथवा (३) के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहे तो कर-निर्धारक-प्राधिकारी धारा ८ की उप-धारा (२) के अधीन भेजे गये तखमीनों का उचित ध्यान रखते हुये अपने सर्वोत्तम विवेक से कर-निर्धारण करेगा ।

इस अध्याय के उपबन्धों का विधिक-प्रतिनिधि पर लागू किया जाना ।

१०---यदि क्षेत्रपति धारा ९ के अधीन कर-निर्धारण पूर्ण होने के पूर्व मर जाय तो कर-निर्धारक-प्राधिकारी, नियत रीति से उसके विधिक प्रतिनिधि पर नोटिस तामील कर सकता है, और तब इस अध्याय के उपबन्ध, उस पर उसी प्रकार लागू होंगे, मानो ऐसा विधिक प्रतिनिधि मृत क्षेत्रपति हो ।

मांग की नोटिस ।

११---जब धारा ९ के अधीन कर-निर्धारण हो गया हो तो कर-निर्धारक-प्राधिकारी नियत आकार में नोटिस द्वारा मांग प्रस्तुत करेगा, जिसमें कर-दाता द्वारा देय जोत-कर की धनराशि तथा उस दिनांक अथवा उन दिनांकों को जिनके भीतर कर दिया जाय, निर्दिष्ट करेगा । कर-निर्धारण आज्ञा की एक प्रतिलिपि भी नोटिस के साथ भेजी जायगी ।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ९, १० और ११ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १२

जोत कर के निर्धारण के विरुद्ध अपील।

१२---(१) कोई भी करदाता, जो धारा ९ के अधीन निर्धारित जोत-कर की धनराशि अथवा दर के सम्बन्ध में कर-निर्धारक-प्राधिकारी की आज्ञा से अथवा इस अधिनियम के अधीन उस पर जोत-कर-देयता सम्बन्धी आज्ञा से क्षुब्ध हो तो वह धारा ११ के अधीन मांग के नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर कमिश्नर के यहां अपील कर सकता है।

(२) उपधारा (१) में अभिदिष्ट तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी कमिश्नर अपील गृहीत (admit) कर सकता है, यदि उसका समाधान हो जाय कि उक्त अवधि के भीतर अपील न प्रस्तुत करने का समुचित कारण विद्यमान था।

(३) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील नियत रीति से प्रस्तुत एवं सत्यापित की जायगी।

(४) कमिश्नर अपील पर ऐसी आज्ञा पारित करेगा, जिसे वह उचित समझे, तथा इस आज्ञा की एक-एक प्रति अपीलकर्ता, कर-निर्धारक-प्राधिकारी तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी को, जिसे नियत किया जाय, भेजेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन जोत-कर तब तक नहीं बढ़ाया जायगा जब तक कि अपीलकर्ता को कर बढ़ाये जाने के विरुद्ध कारण प्रदर्शित करने का समुचित अवसर न दिया गया हो।

श्री रामलखन मिश्र---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ के उपखंड (१) में शब्द 'अथवा इस अधिनियम के अधीन उस पर जोत-कर देयता' के स्थान पर शब्द 'अथवा जोत पर इस अधिनियम के अधीन कर के दायित्व' रख दिये जायं।

यह शाब्दिक है। उसका रूप बड़ा भ्रष्ट-सा था। उसमें अशुद्धि भी थी। इस कारण से रखा।

श्री चरण सिंह---मुझे स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड १२ के उपखंड (१) में शब्द "अथवा इस अधिनियम के अधीन उस पर जोत-कर देयता" के स्थान पर शब्द "अथवा जोत पर इस अधिनियम के अधीन कर के दायित्व" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अवधेशप्रताप सिंह---मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से खंड १२ के उपखंड (१) की पंक्ति ४ में शब्द "तीस" के स्थान पर शब्द "साठ" रख दिये जायं, यह प्रस्ताव करता हूं।

अपील के लिये एक महीना रखा गया है। मैं चाहता हूं कि दो महीने दे दिया जाय। यह आप उनके हाथ में न छोड़िये आप दे दीजिये तो बहुत अच्छी बात है।

श्री चरण सिंह---बड़ी बड़ी अपीलों का समय, अधिष्ठाता महोदय, एक महीने होता है। हजारों रुपये के जो बड़ी बड़ी जायदादों के मुकदमे लड़ते हैं लिमिटेशन ऐक्ट में उनमें अपीलों का समय एक महीने होता है। मैं समझता हूं कि एक महीना काफी है।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---श्रीमन्, यह तो सिर्फ कनवीनिएंस के लिये मैं चाहता था। अगर उनको आपत्ति है तो मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १३

पुनरीक्षण (Revision)।

१३---(१) माल-बोर्ड (बोर्ड आफ रेवेन्यू) या तो स्वयं अथवा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर उस कर-निर्धारक-प्राधिकारी अथवा उस अपील सुनने वाले प्राधिकारी द्वारा, जिन्होंने वाद या अपील का निर्णय किया हो, की गयी कार्यवाहियों का अभिलेख मंगवा सकता है, यदि ऐसा प्रतीत हो कि इनमें से किसी ने विधि द्वारा अपने में अनिहित (not vested) क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है अथवा अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में अवैधता अथवा सारवान अनियमितता की है, तथा इस सम्बन्ध में ऐसी आज्ञायें पारित कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा प्रार्थना-पत्र किसी ऐसी दशा में नहीं लिया जायगा जिसमें आज्ञा के विरुद्ध अपील हो सकती थी, किन्तु प्रार्थी ने उसके निमित्त नियत अवधि के भीतर अपील नहीं की;

और प्रतिबन्ध यह भी है कि माल बोर्ड सम्बद्ध पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना उस पर विपरीत प्रभाव डालने वाली कोई आज्ञा पारित नहीं करेगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन प्रार्थना-पत्र उस आज्ञा की प्राप्ति के दिनांक से एक वर्ष के भीतर, जिसके विरुद्ध परिवाद (complained of) हो, प्रस्तुत किया जायगा किन्तु माल बोर्ड पर्याप्त कारण सिद्ध होने पर अग्रेतर अवधि के भीतर (within further period) जो छः महीने से अधिक न हो, प्रार्थना-पत्र ले सकता है।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---श्रीमन्, मैंने यह रवैया देख कर यह समझ लिया है कि मंत्री महोदय के सामने अगर कोई ऐसी बात माकूल न रखें तभी अच्छा है। लिहाजा मैं संशोधन को मूव नहीं कर रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड १३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १४

बोर्ड की आज्ञा अन्तिम होगी।

१४---धारा १३ के अधीन माल बोर्ड (बोर्ड आफ रेवेन्यू) द्वारा पारित कोई भी आज्ञा अन्तिम होगी। प्रत्येक ऐसी आज्ञा की एक प्रति कर-दाता, कर-निर्धारक-अधिकारी तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी को, जिसे नियत किया जाय, भेजी जायगी।

श्री जयराम वर्मा---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १४ में शब्द 'कर-निर्धारक-अधिकारी' के स्थान पर शब्द 'कर-निर्धारक-प्राधिकारी' रख दिया जाय।

श्री चरण सिंह---मुझे मंजूर है। जहां वह यह अल्फाज आये हैं, जो वह कहते हैं, उन अल्फाज को मान लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड १४ में शब्द 'कर-निर्धारक-अधिकारी' के स्थान पर शब्द 'कर-निर्धारक-प्राधिकारी' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १५

पुनरीक्षण (Revision) की प्रक्रिया। यू० पी० ऐक्ट सं० ३, १९०१।

१५--धारा १३ के अधीन अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में माल बोर्ड यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ द्वारा अथवा उसके अधीन उल्लिखित प्रक्रिया का जहां तक हो सके, अनुसरण करेगा तथा उक्त ऐक्ट की धारा ८ के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे, मानों धारा १३ के अधीन कोई कार्यवाही उक्त ऐक्ट के अधीन न्यायिक कार्यवाही (Judicial proceeding) हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब माल बोर्ड के सदस्यों का मत पुनरीक्षण में की जाने वाली आज्ञा के सम्बन्ध में बराबर-बराबर विभक्त हो तो वह विषय निर्णय के निमित्त किसी तीसरे सदस्य के पास अभिदिष्ट किया जायगा।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड १५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १६

जोत जो कर निर्धारण से रह गयी हो। (Land holding escaping assessment)।

१६--यदि किसी कारणवश कोई जोत जिस पर जोत-कर लगाया जाना चाहिये, किसी वर्ष में कर लगाने से रह गई हो अथवा जिस पर बहुत ही कम दर से कर लगाया गया हो, तो कर-निर्धारक-प्राधिकारी उस वर्ष की समाप्ति से तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय उस क्षेत्रपति पर, जो ऐसी जोत पर दिये जाने वाले कर के भुगतान का उत्तरदायी हो, ऐसा नोटिस तामील कर सकता है, जिसमें धारा ८ के अधीन दिये जाने वाले नोटिस की समस्त या किन्हीं आवश्यक बातों का समावेश होगा तथा ऐसा नोटिस तामील हो जाने पर, इस अधिनियम के उपबन्ध यथासंभव इस प्रकार लागू होंगे मानों नोटिस उक्त धारा के अधीन जारी किया गया नोटिस हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कर उस दर से लगाया जायगा जिसके अनुसार, यदि ऐसी जोत कर-निर्धारण या पूर्ण कर-निर्धारण से, जैसी भी दशा हो, रह न गयी होती, तो वह लगाया जाता।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह--मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड १६ की पंक्ति ३ में शब्द 'तीन' के स्थान पर शब्द 'एक' रख दिया जाय।

श्रीमन्, जहां पर मंत्री महोदय यह कहते हैं कि बड़े मुकदमों के लिये १ महीना काफी है, बोर्ड के लिये ६ महीना काफी है। यह कौन-सी सरकार है, कौन-सा तमाशा है कि जिसके लिये १ साल काफी नहीं है। ३ साल तक उसके प्राधिकारी सोते रहेंगे। इसलिये मैं आशा करता हूं कि इस कदर अपनी ब्यूरोक्रेसी को सर पर न चढ़ावें और वह भूल जायं कि उनकी क्या जिम्मेबारी है। लिहाजा मैं आशा करता हूं कि एक माकूल सी बात कह रहा हूं, मंत्री जी स्वीकार करेंगे।

श्री चरण सिंह--अधिष्ठाता महोदय, सेंट्रल इन्कम टैक्स ऐक्ट में ८ साल और जो ऐसे होशियार ऐसेसी हों, जो असेस होने से बच जायं या जो ऐसेस हुये और कम असेस हुये तो उन्हें ८ साल तक परसू किया जा सकता है। ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स ऐक्ट में ३ साल की मियाद है मौजूदा ऐक्ट में ३ साल जो हम रख रहे हैं वह ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स ऐक्ट के आधार पर रख रहे हैं और सेंट्रल इन्कम टैक्स ऐक्ट से बहुत कम है। और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरण सिंह]

इससे अफसरों की ऐफिशियेंसी पर कोई हरफ नहीं आना चाहिये। क्योंकि मान लिया जाय अवधेश प्रताप सिंह जी हैं उनकी फैजाबाद में भी जमींदारी है, शादी हुई जालौन में वहां भी कुछ हक मिल गया और ननसाल से भी मिल गया.....

श्री अवधेशप्रताप सिंह---हम तो मंत्री महोदय से उम्मीद कर रहे हैं कि वे हमें कुछ दे जायेंगे। अगर इस उम्र में भी कोई गोद लेना चाहे तो...

श्री चरण सिंह---सूबा बहुत बड़ा है और अफसरों के लिये यह मालूम करना कि ५१ जिलों में किसी आदमी के पास कुल कितनी जायदाद है इसमें समय जरूर चाहिये।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---मैं यह मंत्री महोदय को बता दूं कि हर जगह वापस लेने की आदत मेरी नहीं पड़ गई है। मैं जवाब दे रहा हूं। सेंट्रल इन्कम टैक्स का जब आप उदाहरण देते हैं तो यह भूल जाते हैं कि वह हर नज़ीर वही कोट करते हैं जो उनके माफिक हो। वह कभी ऐग्रीकल्चर इन्कम समझ कर कहते हैं तो कभी ऐग्रीकल्चर प्रापर्टी समझ कर नहीं करते हैं। माननीय गेंदासिंह के ऊपर नैचुरल कैलेमिटी पर घहरा पड़ते हैं। सेंट्रल इन्कम टैक्स ऐक्ट में ८ साल की मियाद है। मैं कहता हूं कि सेंट्रल ऐक्ट की एक भी सहूलियत तो वह दें। लेकिन नहीं जो चीज़ उनके माफिक होगी बस वही करेंगे। जो सेंट्रल टैक्सेशन है अगर वह कुछ सहूलियत बरतें प्रापर्टी टैक्स पर तो उसको कभी नहीं देंगे क्योंकि आपके माफिक नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी गलतफहमी मंत्री महोदय को यह है कि ऐग्रीकल्चरल वेल्थ को हमेशा इंडस्ट्रियल वेल्थ के मुकाबिले में रखते हैं। जहां पर यह चीज़ है वह भूलें न कि ऐग्रीकल्चरल वेल्थ के लिये बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं और उनमें से एक नैचुरल कैलेमिटी भी था जिसको उन्होंने हंसकर कुछ अपनी वक्तृत्व शक्ति के आधार पर उस मसले को टाल दिया। बाचाल होना, बाकपटु होना, सुन्दर भाषण करना अपनी जगह पर एक महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन तर्क के आधार पर उस चीज को स्वीकार करना पड़ता है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस पर गम्भीरता से सोचेंगे। मैं तो उन बातों के लिये कहना चाहता हूं कि वह ऐग्रीकल्चरल वेल्थ को और इंडस्ट्रियल वेल्थ को कम से कम उनकी परिभाषाओं को पढ़ डालें, समझ लें और यह भी समझ लें कि इस तरह से अगर कुठाराघात किया जायगा तो यह जो हमारे इस प्रदेश की और भारतवर्ष की बैकबोन इकोनामी की है यह डूब जायगी। और यह जितनी इनकी योजनायें हैं यह महज इनके कर्मचारियों के कागजों पर, उनकी फाइलों में ही बंधी रहेंगी, कार्यान्वित नहीं हो पायेंगी।

श्री चरण सिंह---अधिष्ठाता महोदय, मैं नहीं समझ रहा था कि इस एक छोटे से मामले पर यह आवेश और ऐग्रीकल्चरल वेल्थ और इंडस्ट्रियल वेल्थ वगैरह वगैरह और इससे इकानामी डूबने वाली है, यह सारी बातें कही जायंगी। सीधी सी बात है हम उससे यह कहते हैं कि पैसा दो या छोड़ो। इसमें इतने आवेश की कौन सी बात है। इकानोमी इससे डूबने वाली नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड १६ की पंक्ति ३ में शब्द 'तीन' के स्थान पर शब्द 'एक' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अवधेशप्रताप सिंह---श्रीमन्, मैं सब कह चुका हूं। सिर्फ इस सम्बन्ध में एक बात और कह देता हूं कि जायदाद के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही जाती हैं। मैंने तो सबसे सन्यास ले लिया है। जायदाद जब थी तब थी। अब न माननीय मंत्री जी से, न ससुराल से, न ननिहाल से कहीं से भी अब जायदाद की ख्वाहिश नहीं है। अगर कभी ख्वाहिश होगी तो मंत्रियों की जायदाद अगर मिल पायेगी तो वही एक सम्पत्ति होगी, उसी पर निगाह

रखूंगा। अब चाहे सोशलिज्म हो या चाहे जो हो, चाहे माननीय गेंदा सिंह जी जबर्दस्ती सब तोड़वा लें, चाहे माननीय चरण सिंह जी तोड़वा लें, अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं रहा है। मैंने तो सन्यास ले लिया है।

श्री चरण सिंह —मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी सन्यास में कुछ कमी रह गई है इसलिये कि माननीय अवधेशप्रताप सिंह जी जमींदारों की वकालत कर रहे हैं। खुद तो सन्यास ले लिया लेकिन वकालत हो रही है। अगर बहैसियत वकील के कह रहे हैं तो बहैसियत वकील के ही उनको सुनना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १७

भूल का सुधार

१७—(१) कोई प्राधिकारी जिसने कर-निर्धारित करने की कोई आज्ञा अथवा यथास्थिति अपील या पुनरीक्षण में कोई आज्ञा दी हो तो ऐसी आज्ञा दिये जाने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर, किसी भी समय स्वयं या किसी पक्ष द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर ऐसी किसी भूल को जो यथास्थिति, कर निर्धारण, अपील अथवा पुनरीक्षण के अभिलेख में प्रत्यक्षतः स्पष्ट हो, सुधार सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी भूल का ऐसा सुधार उस समय तक नहीं किया जायगा जब तक दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर न दिया जाय।

(२) यदि इस प्रकार भूल में सुधार करने से कर-निर्धारण में कमी हो जाय, तो संबद्ध कर-निर्धारक-अधिकारी अधिक धनराशि (excess amount) कर–दाता को वापस करने की आज्ञा देगा।

(३) उपधारा (१) के अधीन दी गयी किसी ऐसी आज्ञा के सम्बन्ध में, जिससे कर-निर्धारण बढ़ जाता है, यह समझा जायगा कि वह आज्ञा धारा ६, १२ या १३ के, जैसी भी दशा हो, अधीन दी गई आज्ञा है, तथा इस अधिनियम के उपबन्ध, जहां तक लागू हो सकें, ऐसी आज्ञा पर लागू होंगे।

श्री प्रताप सिंह—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन धारा १७ में पेश करना चाहता हूं कि "खंड १७ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ में शब्द "एक" के स्थान पर "तीन" कर दिया जाय।

इस संशोधन से मेरा अभिप्राय यह है कि सही तरीके का असेसमेंट हो सके। एक अथारिटी हमको असेस करती है, हमारी जमीन दो तहसीलों में या दो जिलों में हो, लखनऊ में हमारी जमीन का असेसमेंट हो और २६ एकड़ वह निकले लिहाजा हम टैक्स से बरी हुये। उसके बाद एक साल के बाद या एक साल के नजदीक असेसमेंट करने वालों को यह पता चले कि हरदोई में भी मेरी जमीन है तो एक साल के बाद वह भूल सुधारी नहीं जा सकती। तो इस तथ्य के बाद मैं यह चाहूंगा कि यह १ साल बहुत कम है। वैसे जो जनरल ला है उसमें भी ३ साल होता है।

सेल्स टैक्स में श्रीमन्, ३ साल के भीतर प्रीवियस टैक्स का नोटिस दिया जा सकता है। जो डिग्री इजनाय होती है एक समय था कि उसका समय ३ साल था। लेकिन अब उसका भी ६ साल हो गया है। इसीलिये मैं चाहता हूं कि भूल बाकी न रहे और सही तरीके से टैक्स्र लिया जा सके और सही तरीके से असेसमेंट हो सके और यह चीज १ साल के समय में डून नहीं हो सकती। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि मेरा संशोध स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री चरण सिंह---अधिष्ठाता महोदय, मुझे खेद है कि मैं अपने माननीय मित्र की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। खंड की मंशा यह है कि ऐसी गलती किताब की या हिसाब की जो रेकार्ड पर जाहिर है उसे १ साल के अन्दर दूर करने का मौका होगा। आप चाहते हैं ३ साल कर दिया जाय। जब कोई आर्डर होगा और वह तामील होगा तो उसके लिये गालिबन तीस दिन की मियाद है। अगर उस आर्डर में कोई गलती है तो साल भर के अन्दर आप उसे दुरुस्त करा सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि ३ साल कर दिया जाय और ३ साल तक उसे पड़ा रहने दिया जाय तो मेरी समझ में उसकी कोई जरूरत नहीं है। १ साल ही बहुत काफी है।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड १७ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ में शब्द "एक" के स्थान पर "तीन" कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा---मेरा प्रस्ताव यह है कि खंड १७ के उपखंड (२) में शब्द 'कर-निर्धारक अधिकारी' के स्थान पर शब्द 'कर-निर्धारक प्राधिकारी' रख दिया जाय।

श्री चरण सिंह---स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड १७ के उपखंड (२) में शब्द 'कर-निर्धारक-अधिकारी' के स्थान पर शब्द 'कर निर्धारक-प्राधिकारी' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १८

जोत-कर के भुगतान का दायित्व।

१८---धारा ३ के अधीन किसी भी जोत के निमित्त लिया जाने वाला जोत-कर क्षेत्रपति द्वारा देय होगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सहकारी समिति द्वारा उपभुक्त भूमि में अपने हिस्से के निमित्त क्षेत्रपति द्वारा देय जोत-कर सहकारी समिति द्वारा देय होगा और उसी से वसूल किया जायगा, मानो सहकारी समिति ही कर-दाता हो।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड १८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १९

विधिक प्रतिनिधि द्वारा देय मृत क्षेत्रपति का कर।

१९---यदि क्षेत्रपति मर जाय तो उसके विधिक प्रतिनिधियों के लिये यह आवश्यक होगा कि वे मृतक के आस्थान (estate) में से उस आयति तक जहां तक कि आस्थान कर देने योग्य हो, मृत-क्षेत्रपति द्वारा देय निर्धारित जोत-कर अथवा ऐसा कोई जोत-कर दें, जिसे यदि वह मर न गया होता तो उसे इस अधिनियम के अधीन देना पड़ता।

श्री रामलखन मिश्र---अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १९ की पंक्ति १ व २ में शब्द " के लिये यह आवश्यक होगा " के स्थान पर शब्द " का यह दायित्व होगा " रख दिये जायं ।

श्री चरण सिंह---मुझे यह स्वीकार है ।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड १९ की पंक्ति १ व २ में शब्द ' के लिये यह आवश्यक होगा ' के स्थान पर शब्द 'का यह दायित्व होगा' रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १९ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २०

कर कैसे देय होगा ।

२०---(१) धारा ११ के अधीन किसी मांग के नोटिस में अथवा धारा १२ या १३ के अधीन संदिष्ट किसी आज्ञा में निर्दिष्ट जोत-कर की धनराशि चार समान किस्तों में देय होगी ।

(२) यथास्थिति, मांग की नोटिस दिये जाने अथवा आज्ञा संदिष्ट किये जाने के दिनांक से एक मास के भीतर पहली किस्त तथा पहली किस्त के देय दिनांक से ऐसी अवधि के भीतर, जो नियत की जाय, शेष किस्तें भुगतान की जायंगी ।

(३) यदि कोई किस्त उपधारा (२) के अधीन निर्दिष्ट समय के भीतर नहीं दी जाती तो यह समझा जायगा कि कर-दाता बाकीदार (in default) है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब कर-दाता ने धारा १२ के अधीन अपील की हो अथवा धारा १३ के अधीन पुनरीक्षण (revision) के लिये प्रार्थना-पत्र दिया हो तो अपील सुनने वाला अथवा पुनरीक्षक-प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, प्रार्थना-पत्र मिलने पर ऐसे प्रतिबन्धों तथा शर्तों के अनुसार जिन्हें वह निर्दिष्ट करे, यह आज्ञा दे सकता है कि कर-दाता के सम्बन्ध में यह समझा जाय कि वह बाकीदार नहीं है ।

श्री जयराम वर्मा---मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २० के उप-खंड (२) की पंक्ति १ में शब्द ' मांग की नोटिस ' के स्थान पर शब्द ' मांग का नोटिस' रख दिये जायं ।

श्री चरण सिंह---स्वीकार है ।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड २० के उपखंड (२) की पंक्ति १ में शब्द ' मांग की नोटिस' के स्थान पर शब्द ' मांग का नोटिस' रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अवधेशप्रताप सिंह---मान्यवर, खंड २० के उपखंड (२) की पंक्ति २ में शब्द ' एक मास' के स्थान पर शब्द ' दो मास' रख दिये जायं ।

यह मामूली सा संशोधन है । पहले से नोटिस आफ डिमांड जाने की बात है उसके लिये एक महिन के बजाय दो महीने अगर समय कर दिया जाय तो कोई आफत नहीं पड़ जायगी । वैसे अगर वह इसी पर आमादा हों कि जब तक ९ मास न हों तो सरकार माने ही नहीं तो मैं वैसा ही संशोधन ले आऊंगा ।

श्री चरण सिंह---अधिष्ठाता महोदय, माननीय अवधेशप्रताप ने पहले संन्यास की बात कही थी, मैं उन्हें संन्यास से बचाना चाहता हूं, इसलिये मैं इसे मंजूर करे लेता हूं।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड २० के उपखंड (२) की पंक्ति २ में शब्द "एक मास" के स्थान पर शब्द "दो मास" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २१

शपथ पर साक्ष्य लेने का अधिकार।

२१---कर-निर्धारक, अपील या पुनरीक्षण सुनने वाले प्राधिकारियों को, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वही अधिकार होंगे जो वाद (suit) पर विचार करते समय निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन किसी न्यायालय को होते हैं, अर्थात्---

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा शपथ अथवा सत्य-प्रतिज्ञान (affirmation) पर उसका साक्ष्य लेना; ऐक्ट सं० ५, १९०८।

(ख) किसी लेख्य (document) को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना, तथा

(ग) किसी साक्षी का वक्तव्य लेने के लिए आयोग (commission) जारी करना,

तथा इस अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के समक्ष की गयी कोई ऐसी कार्यवाही इन्डियन पीनल कोड की धारा १९३ और २२८ के अर्थ में तथा उक्त कोड की धारा १९६ के प्रयोजनों के निमित्त भी "न्यायिक कार्यवाही" (judicial proceeding) समझी जायगी। ऐक्ट सं० ४५, १८६०।

श्री अधिष्ठाता---इसमें कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खंड २१ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २२

कर के भुगतान के सम्बन्ध में बाकीदार होने पर दण्ड।

२२---(१) यदि कर-दाता जोत कर की किसी किस्त के भुगतान का बाकीदार हो, तो कर-निर्धारक-प्राधिकारी स्वविवेक से यह आदेश दे सकता है कि कर-दाता से बकाया धनराशि के अतिरिक्त ऐसी धनराशि भी शास्ति (penalty) के रूप में वसूली जाय जो उस धनराशि के आठवें भाग से अधिक न हो।

(२) कर-दाता पर मांग का नोटिस, जिसमें शास्ति की धनराशि प्रदर्शित रहेगी, नियत रीति से तामील किया जायगा।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---श्रीमन्, मैं सम्पूर्ण खंड २२ का विरोध करता हूं। इस में एक यह प्रावीजन रखा गया है कि वह कर अगर एक निर्धारित समय तक नहीं दिया जाता है तो उस पर पेनाल्टी लग जायगी। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जब मतालबा मालगुजारी के तौर पर वसूल किया जायगा तो फिर ऐसे प्राविजन की क्या आवश्यकता है? यह हो सकता है कि मामूली गलती की वजह से पेनाल्टीज लग जाती हैं। माननीय मंत्री जी समझते हैं कि सब लोग फार्म रखने में, एकाउंट रखने में इतने निपुण होंगे यह मैं नहीं मानता हूं। आपका माल विभाग काफी शक्तिशाली है, स्टाफ की कोई कमी नहीं है। ऐसी बीसियों रकमें हैं जो माल विभाग दूसरे विभागों की वसूल करता है, जैसे पंचायती टैक्स, और ये सब बिना पेनाल्टी के वसूल किये जाते हैं। यह मामूली सी उदारता की बात है, मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इसे मान लेंगे।

राजा वीरेन्द्र शाह---श्रीमन्, मैं भी इस खंड २२ के विरोध में खड़ा हुआ हूं। यह देखने की बात है कि जब पहले बिल में सरकार ने एक चौथायी वसूल करने की बात रखी थी, लेकिन प्रवर समिति में इसको कम करके एक बटा आठ कर दिया गया, तो सरकार स्वयं मानती है कि एक बेकार सी चीज है जिसको किसी न किसी तरह से बहाना चाहते थे कि खत्म कर दिया जाय। तो मैं चाहूंगा कि जब कि सरकार ने मालगुजारी की तरह वसूल करने के अपने अधिकार रखे हैं तो ऐग्रीकल्चरल टैक्स तो यह नहीं है, इसलिये श्रीमन्, पेनाल्टी रखना अन्यायपूर्ण बात है। इसलिये इस क्लाज को निकाल दिया जाय।

श्री चरण सिंह---अधिष्ठाता महोदय, एक अंग्रेजी में फ्रेज है, "थिन एंड आफ दि वेज"। यह जो बढ़ई होता है वह एक चीज ऐसी बनाता है कि एक तरफ तो बहुत पतली होती है और दूसरी तरफ मोटी होती है। जब वह लकड़ी पर पतली तरफ से उसको रखकर चोट मारता है तो लकड़ी खुलती चली जाती है। यही हाल है। सेलेक्ट कमेटी में २५ प्रतिशत के बजाय मैंने साढ़े १२ बारह गुना पैनाल्टी मान ली है। लिहाजा मेरा यह कन्सेशन देना और कन्सेशन के लिये एक आरगूमेंट हो गया है कि इसको बिलकुल खत्म कर दिया जाय।

अधिष्ठाता महोदय, पेनाल्टी सब जगह लगायी जाती है। इन्कम टैक्स में, ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स में और जो वेल्थ टैक्स है शायद उसमें भी होगी और दुनिया भर के ऐक्टों में होती है। मेरे पास एक मोटी किताब है उसमें इन सबका जिक्र है। कल से मैंने इस को पढ़ा है क्योंकि मैं जानता था कि यह बात उठ सकती है। मैं उसको पढ़ना चाहता हूं। वह इस प्रकार है कि :---

"A statute imposing a penalty for delinquency in the payment of taxes, or for neglect or refusal to list and return property for assessment, does not violate the constitutional rule of taxation according to value, but the penalty cannot be included in the value of the property as by adding a certain percentage to the value of the property as returned by assessors although the contrary has been held."

मेरे कहने का मतलब यह है कि न तो यह कांस्टीट्यूशन के खिलाफ है और न ह्यूमन जस्टिस के खिलाफ है और न प्रिसीडेंट के खिलाफ है बल्कि प्रिसीडेंट के मुताबिक है कि अगर कोई रुपया न दे तो उस पर पेनाल्टी लगेगी। कहा यह जाता है कि महकमा माल सर्व शक्तिमान है। जो हमने पावर्स उसको दी हैं उनको हटा लीजिये कि वह गिरफ्तारी न करे और पेनाल्टी न ले तो उसकी सारी शक्ति खत्म हो जायगी और वह टैक्स वसूल नहीं कर सकता है क्योंकि शक्ति से ही टैक्स वसूल होता है वरना टैक्स वसूल करना कोई आसान काम नहीं है। कभी-कभी तो मुझको भी लोगों को नाराज कर देना

[श्री चरण सिंह]

पड़ता है क्योंकि यह बड़ा कड़वा काम है। अगर पेनाल्टी न रखें तो कोई भी टैक्स नहीं देगा और लोग परवाह नहीं करेंगे। जब डेट निकल जायगी और साढ़े बारह गुने की पैनाल्टी होगी तो वह देने की कोशिश करेंगे। जो २५ प्रतिशत से साढ़े बारह प्रतिशत कम कर दिया है उसके लिये धन्यवाद देने के बजाय इस तरह की बातें कही जाती हैं।

श्री प्रताप सिंह---माननीय अधिष्ठाता महोदय, खंड ६ में जिस समय नैचुरल कैलेमिटी पर जो संशोधन उपस्थित किया गया था अगर उसको मान लिया जाता, तो मैं समझता हूं कि इसकी जरूरत इस समय न होती। इस खंड का मतलब यह है कि अगर उसकी हालत खराब हो गई है और समय पर वह रुपया नहीं दे सकता है तो उस पर पेनाल्टी लगाना मैं समझता हूं कि गलत है।

माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि दुनिया भर के तमाम ऐक्टों में यह पेनाल्टी लगाई जाती है।

(इस समय ६ बजे अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त पुनः पीठासीन हुये।)

मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि म्युनिसिपिल ऐक्ट में जो कर नहीं दे सकता है उस पर पेनाल्टी कहां लगायी जाती है? श्रीमन्, मेरी समझ में नहीं आता है कि जब किसानों के गन्ने के हजारों रुपये मिल मालिकों के ऊपर बकाया रहते हैं तब तो हमारी सरकार पेनाल्टी की बात नहीं करती है। लेकिन काश्तकार रुपया न दे सके और नैचुरल कैलेमिटी की वजह से या किसी और वजह से उसकी आर्थिक हालत खराब हो जाय और समय पर टैक्स न दे सके तो मेरी समझ में ऐसी हालत में उस पर पेनाल्टी लगाना अनुचित है और न्यायसंगत नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि ६ बज गये हैं।

श्री प्रतापसिंह---इन शब्दों के साथ में दरख्वास्त करूंगा कि पेनाल्टी का प्रश्न नहीं आना चाहिये। पेनाल्टी लगाने का मतलब यह होगा कि काश्तकारों के ऊपर बोझा पड़ेगा।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड २२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्न मतानुसार स्वीकृत हुआ :

पक्ष में---१३६,

विपक्ष में-१८)।

खंड २३

खंड के विरुद्ध अपील।

२३---यदि कोई कर-दाता जिसे धारा २२ के अधीन अपने पर लगायी गयी शास्ति की धनराशि पर आपत्ति हो अथवा जो ऐसे शास्ति के निमित्त किसी दायित्व को न मानता हो, उक्त धारा के अधीन मांग के नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर कमिश्नर को अपील कर सकता है और तब धारा १२ की उपधारा (२) से (४) तक के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ उस पर लागू होंगे:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि धारा १२ के अधीन अपील अथवा धारा १३ के अधीन पुनरीक्षण के लिए प्रार्थना-पत्र पर धारा ९ के अधीन किया गया कर-निर्धारण रद्द कर दिया जाय अथवा जोत-कर की धनराशि कम कर दी जाय तो धारा २२ के अधीन लगायी गयी शास्ति, जैसी भी स्थिति हो अपलिखित (written off) अथवा आनुपातिक रूप से कम की हुई समझी जायगी।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड २३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २४

२४---(१) कर-निर्धारक-प्राधिकारी की प्रार्थना पर, कलेक्टर इस अधिनियम के अधीन देय धनराशियों की वसूली ।

(क) जबकि कोई कर-दाता बाकीदार हो तो जोत-कर के रूप में निर्धारित धनराशि को, तथा

(ख) धारा २२ के अधीन शास्ति के रूप में लगायी गयी किसी धनराशि को उसी प्रकार वसूल कर सकता है मानो वह मालगुजारी की बकाया (as arrears of land revenue) हो ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा १४६ के खंड (सी०), (ई०), (एफ०) या (एच०), अथवा १९५०ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा २७९ के खंड (ग) और (च) में उल्लिखित प्रसर (Processes) उक्त अधिनियमों की उक्त धाराओं में उल्लिखित अन्य प्रसरों के समाप्त हो जाने के पश्चात् ही जारी किये जायेंगे । यू० ऐक्ट [अधिनियम] सं० ३,१९०१ । उ० प्र० अधिनियम सं० १,१९५१ ।

(२) इस अधिनियम के अधीन देय धनराशि को वसूल करने की कोई कार्यवाही उसके देय होने के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् आरम्भ नहीं की जायगी:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यहां पर अभिविष्ट दो वर्ष की अवधि की गणना:

(१) यदि कर-दाता धारा २० की उपधारा (३) के प्रतिबन्धक के अधीन जब तक उसकी अपील अथवा पुनरीक्षण (Revision) अनिस्तारित (undisposed of) रहे बाकीदार नहीं समझा गया हो तो उस दिनांक से की जायगी जिस पर अपील अथवा पुनरीक्षण का निस्तारण हो जाय;

(२) यदि किसी न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकारी की आज्ञा से किसी मामले में वसूली की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी हो, तो उस दिनांक से की जायगी जिस पर आज्ञा वापस ली गयी हो, और

(३) यदि किसी प्राधिकारी द्वारा जोत-कर भुगतान करन का दिनांक बढ़ा दिया गया (extended) हो, तो उस दिनांक से की जायगी जिस तक भुगतान के लिए समय बढ़ाया गया हो ।

श्री अधिष्ठाता---मैं यह बता देना चाहता हूं कि गिलोटिन ऐप्लाई हो गया है । आप लोग केवल अपने संशोधन पढ़ दें ।

श्री जयराम वर्मा---मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २४ के उपखंड (१) के भाग (ख) की पंक्ति (२) में शब्द 'को' के पश्चात् चिन्ह अर्थ विराम ',' रख दिया जाय और शेष शब्द एक नयी पंक्ति में रख दिये जायं ।

श्री चरणसिंह---मुझे मंजूर है ।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड २४ के उपखंड (१) के भाग (ख) की पंक्ति २ में शब्द "को" के पश्चात् चिन्ह अर्ध विराम "," रख दिया जाय और शेष शब्द एक नयी पंक्ति में रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री प्रतापभान प्रकाशसिंह---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २४ के उपखंड (१) के प्रतिबन्ध के पश्चात् निम्नलिखित दूसरा प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि जो जोत-कर की धनराशि मालगुजारी की बकाया (as arrears of land revenue) की तरह वसूल की जाय वह उसी जोत सम्पत्ति (landed property) से वसूल की जायगी जिस पर जोत-कर निर्धारित हुआ हो ।"

श्री चरणसिंह---यह मंजूर नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड २४ के उपखंड (१) के प्रतिबन्ध के पश्चात् निम्नलिखित दूसरा प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि जो जोत-कर की धनराशि मालगुजारी की बकाया (as arrears of land revenue) की तरह वसूल की जाय वह उसी जोत सम्पत्ति (landed property) से वसूल की जायगी जिस पर जोत-कर निर्धारित हुआ हो । "

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अवधेशप्रतापसिंह---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २४ के उपखंड (२) की पंक्ति २ में शब्द 'दो वर्ष' के स्थान पर शब्द 'एक वर्ष' रख दिये जायं ।

श्री चरणसिंह---यह मंजूर नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड २४ के उप-खंड (२) की पंक्ति २ में शब्द 'दो वर्ष' के स्थान पर शब्द 'एक वर्ष' रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २४ इस विधेयक का अंग बन जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २५, २६, २७ तथा २८

दीवानी न्यायालयों में वाद प्रस्तुत करने पर रोक ।

२५---इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी कर निर्धारण को रद्द अथवा संशोधित करने के लिये कोई भी वाद किसी दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जायगा तथा किसी अधिकारी अथवा राज्य सरकार के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में, जिसे उसने इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किया हो, अथवा जिसे इस प्रकार करने का अभिप्राय हो, कोई भी अभियोग या वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा और न कोई दूसरी कार्यवाही की जा सकेगी ।

अधिकारी का प्रतिनिधायन (delegation)

२६---राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, किसी भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी को इस अधिनियम द्वारा अपने को मिले कोई भी अधिकार, ऐसे निरोधों अथवा प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुये जोकि विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जायं, प्रयोग करने के निमित्त प्रतिनिहित (delegate) कर सकती है ।

२७—कोई भी क्षेत्रपति जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी भी कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होना हो या उपस्थित होने का अधिकार हो, तो वह स्वयमेव, व्यक्तिगत रूप से अथवा यथोचित रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा (through a duly authorized agent) उपस्थित हो सकता है। प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति।

२८—इस अधिनियम के अधीन कोई भी नोटिस अथवा मांग-पत्र (requisition) तदधीन नामोद्दिष्ट व्यक्ति पर व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा तामील किया जा सकता है मानों वह कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन प्रचारित समन (आह्वान-पत्र) हो। नोटिस की तामीली। ऐक्ट सं० ४५, १९०८।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २५, २६, २७ और २८ इस विधेयक के अंग बनें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २९

२९—(१) इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक से १९४८ ई० का युक्त प्रान्तीय कृषि-आय-कर ऐक्ट निरस्त (repeal) हो जायगा। निरसन (repeals) युक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० ३, १९४९।

(२) यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ में किसी बात के रहते हुये भी उपधारा (१) के अधीन निरसन (repeal) का प्रभाव निम्नलिखित पर नहीं होगा—

(क) इस प्रकार निरस्त उक्त ऐक्ट का कोई पूर्व व्यापार (operation) अथवा उसके अधीन की गई या सहन की गई कोई बात (anything done or suffered thereunder); अथवा

(ख) इस प्रकार निरस्त उक्त ऐक्ट के अधीन उपार्जित (acquired), उत्पन्न (accrued) या उपगत (incurred) कोई अधिकार, विशेषाधिकार, आभार या दायित्व; अथवा

(ग) इस प्रकार निरस्त उक्त ऐक्ट के विरुद्ध किये गये किसी अपराध के सम्बन्ध में कोई शास्ति (penalty), जब्ती (forfeiture) या दण्ड; अथवा

(घ) पूर्वोक्त किसी अधिकार, विशेषाधिकार, आभार, दायित्व, शास्ति (penalty) जब्ती या दण्ड के सम्बन्ध में कोई अनुसंधान (investigation), विधिक कार्यवाही (legal proceeding) या प्रत्युपाय (remedy);

और ऐसा कोई अनुसंधान, विधिक कार्यवाही अथवा प्रत्युपाय (remedy) प्रारम्भ किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या कार्यान्वित किया जा सकता है और ऐसी कोई शास्ति, जब्ती या दंड लगाया जा सकता है मानो यह अधिनियम पारित ही न हुआ हो।

श्री प्रताप भान प्रकाश सिंह—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २९ का उप-खंड (१) को निम्न प्रकार रख दिया जाय :

"(१) १९४८ ई० का युक्त प्रान्तीय कृषि आय-कर ऐक्ट, जुलाई १९५७ के प्रथम दिनांक से निरस्त (repeal) किया गया समझा जायगा।"

श्री चरण सिंह---यह स्वीकार नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड २९ का उप-खंड (१) को निम्न प्रकार रख दिया जाय :

"(१) १९४८ ई० का युक्त प्रान्तीय कृषि आय-कर ऐक्ट, जुलाई १९५७ के प्रथम दिनांक से निरस्त (repeal) किया गया समझा जायगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड २९ इस विधेयक का अंग बना रहे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नया खण्ड २९-क

श्री गौरीशंकरराय---श्रीमन्, खंड २९ के बाद नया खंड २९-क निम्न रूप में रख दिया जाय:

"२९-क---इस अधिनियम के लागू होने के बाद किसी कर-दाता द्वारा ऐसे हस्तान्तरण को मान्यता नहीं दी जायेगी जिसके गृहीता भूमिहीन खेतिहर मजदूर न हों, अथवा ऐसे भूमिधर, सीरदार, आसामी, सिरतान एवं खेंकर हो जिनकी कुल जोत का क्षत्रफल सवा छः (६ १।४) एकड़ से अधिक हो।"

अधिष्ठाता महोदय, मैं केवल ४ मिनट इस पर बोलने के लिये आपकी आज्ञा चाहता हूं क्योंकि यह एक ऐसा प्रस्ताव है, ऐसा संशोधन है जिसका कि विधेयक की मंशा से संबंध है...

श्री चरण सिंह---श्रीमन्, मैं प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करता हूं कि माननीय सदस्य तकरीर फरमा रहे हैं जोकि नहीं होनी चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता---उनको बोलने की इजाजत नहीं है । प्रश्न यह है कि खंड २९ के बाद नया खंड २९-क---निम्न रूप में रख दिया जाय:---

"२९-क---इस अधिनियम के लागू होने के बाद किसी कर-दाता द्वारा ऐसे हस्तान्तरण को मान्यता नहीं दी जायेगी जिसके गृहीता भूमिहीन खेतिहर मजदूर न हों, अथवा ऐसे भूमिधर, सीरदार, आसामी, सिरतान एवं खेंकर हों जिनकी कुल जोत का क्षेत्रफल सवा छः (६ १/४) एकड़ से अधिक हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्न-लिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :---

पक्ष में---१४,
विपक्ष में---१२५ ।)

खण्ड ३०

नियम बनाने का अधिकार।

३०---(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा और पूर्व प्रकाशन के प्रतिबन्ध के अधीन, नियम बना सकती है ।

(२) विशेषतः और पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता को बाधित न करते हुये, ऐसे नियम निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी एक की व्यवस्था कर सकते हैं, अर्थात्

(क) वे सिद्धांत जिनके आधार पर और वह रीति जिसके अनुसार धारा ३ के अधीन कर में छूट दी जाये या उसे माफ किया जाये,

(ख) वे सिद्धांत, जिनके आधार पर और रीति जिसके अनुसार स्वीकृत मौरूसी दरों में धारा ६ के अधीन वृद्धि की जाय;

(ग) ऐसे विवरण-पत्र का आकार (form) जो धारा ८ के अधीन प्रस्तुत किया जाय और उसको प्रस्तुत करने की रीति;

(घ) प्रख्यापन (declaration) का आकार (form) जो धारा ८ की उपधारा (३) के अधीन प्रस्तुत किया जाये;

(घ घ) वे सिद्धांत, जिनके आधार पर और रीति, जिसके अनुसार स्वीकृत मौरूसी दरों में धारा ६ के अधीन वृद्धि की जाय;

(ङ) प्रक्रिया, जिसके अनुसार धारा ९ के अधीन कर निर्धारित किया जायगा;

(ङङ) वह रीति जिससे और वे सिद्धांत जिनके आधार पर धारा १८ के प्रतिबन्धक के अधीन सहकारी समिति द्वारा देय कर निर्धारित किया जायगा;

(च) उन नोटिसों (सूचनाओं) के आकार जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जारी करने आवश्यक हों और उनके प्रकाशन की रीति;

(छ) ऐसी दशाओं में जिनके विषय में इस अधिनियम में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गयी है, इस अधिनियम के अधीन अपीलों, पुनरीक्षणों तथा अन्य व्यवहारों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ज) ऐसी दशाओं में जिनके विषय में इस अधिनियम में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गयी है, इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्र देने और अपील करने की कालावधि;

(झ) ऐसी दशाओं में जिनके विषय में इस अधिनियम में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गयी है, इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्रों पर देय शुल्क;

(ञ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अपेक्षित हिसाब की बहियों तथा अन्य रजिस्टरों, विवरणों (returns) तथा नक्शों (statements) को रखने की प्रक्रिया और उनका आकार (form);

(ट) ऐसी दशाओं में जिनके विषय में इस अधिनियम में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गयी है, इस अधिनियम के अधीन प्राप्त अधिक्षेत्र वाले किसी अधिकारी या प्राधिकारी के कर्तव्य और ऐसे अधिकारी और प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ठ) एक प्राधिकारी या अधिकारी के यहां से दूसरे प्राधिकारी अथवा अधिकारी के यहां व्यवहारों का संक्रमण (transfer);

तथा

(ङ) ऐसे विषय जो इस अधिनियम के अधीन नियत किये जाने वाले हों और नियत किये जायं।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम बनाये जाने पर यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष कम से कम चौदह दिन तक रख जायेंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे जिन्हें विधान मंडल अपने उस सत्र में करे जिसमें वे एतदर्थ रखे जायं।

श्री जयराम वर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३० के उपखंड (२) का भाग (घ) निकाल दिया जाय।

श्री चरण सिंह—मुझे मंजूर है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ३० के उपखंड (२) का भाग (घ) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३० इस विधेयक का अंग बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची

(धारा ३ देखिये)

जोत-कर की दर

१—वार्षिक मूल्यांकन के पहले १,८०० रु० पर ..	कुछ नहीं
२—उपर्युक्त वार्षिक मूल्यांकन के ऊपर के ३,२०० रु०पर ..	प्रति रु० ५ नये पैसे
३—उपर्युक्त वार्षिक मूल्यांकन के ऊपर के ५,००० रु० पर ..	प्रति रु० १० नये पैसे
४—उपर्युक्त वार्षिक मूल्यांकन के ऊपर के १०,०००रु०पर ..	प्रति रु० २० नये पैसे
५—उपर्युक्त वार्षिक मूल्यांकन के ऊपर के १०,०००रु० पर ..	प्रति रु० ३० नये पैसे
६—उपर्युक्त वार्षिक मूल्यांकन के ऊपर के १०,०००रु० पर ..	प्रति रु० ४० नये पैसे
७—वार्षिक मूल्यांकन के अवशेष (Balance) पर ..	प्रति रु० ५० नये पैसे

उपर्युक्त दरें इन प्रतिबन्धों के अधीन है कि:—

(क) यदि वार्षिक मूल्यांकन ३,६०० रु० से अधिक न हो तो जोत-कर देय न होगा, तथा

(ख) यदि वार्षिक मूल्यांकन ५,००० रु० से अधिक न हो तो देय जोत-कर उस राशि के आधे से अधिक नहीं होगा जो ३,६०० रु० के वार्षिक मूल्यांकन के ऊपर हो।

श्री रामलखन मिश्र—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस विधेयक के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि अनुसूची की मद ४ के सामने दूसरे स्तम्भ में शब्द "प्रति रु० २० नये पैसे" के स्थान पर शब्द "प्रति रु० २५ नये पैसे" रख दिये जावें।

अनसूची की मद ५ के सामने दूसरे स्तम्भ में शब्द "प्रति रु० ३० नये पैसे" के स्थान पर शब्द "प्रति रु० ४० नये पैसे " रख दिये जावें।

मद ६ को मैं छोड़ता हूं। अब जो मद ७ है वह ६ हो जायगी और वह इस प्रकार होगी।

अनुसूची की मद ६ के सामने दूसरे स्तम्भ में शब्द "प्रति रु० ५० नये पैसे" के स्थान पर शब्द "प्रति रु० ६० नये पैसे" रख दिये जायं।

श्री चरणसिंह—अधिष्ठाता महोदय, मुझको यह मंजूर है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि अनुसूची की मद ४ के सामने दूसरे स्तम्भ में शब्द "प्रति रु० २० नये पैसे" के स्थान पर शब्द "प्रति रु० २५ नये पैसे" रख दिये जायं?

अनुसूची की मद ५ के सामने दूसरे स्तम्भ में शब्द "प्रति रु० ३० नये पैसे" के स्थान पर शब्द "प्रति रु० ४० नये पैसे" रख दिये जायं।

अनुसूची की मद ६ हटा दी जाय और मद ७, ६ होकर उसके सामने दूसरे स्तम्भ में शब्द "प्रति रु० ५० नये पैसे" के स्थान पर शब्द "प्रति रु० ६० नये पैसे" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खण्ड १

उत्तर प्रदेश बृहत् जोत-कर विधेयक, १९५७

वृहत् जोतों पर कर लगाने तथा उसकी वसूली की व्यवस्था करने का विधेयक

यह इष्ट कर है कि वृहत्-जोतों पर कर लगाने तथा उसकी वसूली करने की व्यवस्था की जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बृहत् जोत-कर अधिनियम, १९५७ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह जुलाई, १९५७ के प्रथम दिनांक से प्रचलित हुआ समझा जायगा।

श्री प्रतापभानप्रकाश सिंह—अधिष्ठाता महोदय, मेरा संशोधन है कि खण्ड १ के उप-खण्ड (३) में शब्द और अंक 'जुलाई, १९५७' के स्थान पर शब्द और अंक 'अप्रैल, १९५८' रख दिये जायं।

श्री चरणसिंह—मुझे यह मंजूर नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खण्ड १ के उपखण्ड (३) में शब्द और अंक 'जुलाई, १९५७' के स्थान पर शब्द और अंक 'अप्रैल १९५८' रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अवधेश प्रताप सिंह---अधिष्ठाता महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है:---

"खण्ड १ के उपखण्ड (३) में अंक '१९५७' के स्थान पर अंक '१९५८' रख दिया जाय।

श्री चरणसिंह---अधिष्ठाता महोदय, मुझे यह स्वीकार नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (३) में अंक '१९५७' के स्थान पर अंक '१९५८' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग बनें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरणसिंह---अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बृहत् जोत-कर विधेयक, १९५७, जैसा कि वह विधान सभा द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री गेंदासिंह---माननीय अधिष्ठाता महोदय,.....

श्री अवधेशप्रताप सिंह---श्रीमन्, इसके लिये टाइम लिमिट कर दिया जाय, मुझे भी बोलना है और अब केवल ६ मिनट बाकी है।

श्री अधिष्ठाता---साढ़े ६ बजे तक समय है।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---समय का बटवारा कर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---आप आपस में बटवारा कर लें।

*श्री गेंदासिंह---अधिष्ठाता महोदय, इस विधेयक का मैं विरोध करता हूं। इस विधेयक का विरोध में इसलिये करना चाहता हूं कि जो स्पिरिट इस विधेयक को पेश करते समय बतलायी गयी थी उसके उल्टा काम किया गया और जो भी उद्देश्य में बतलाया गया है कि इस विधेयक का मतलब है कि विषमता देश के लोगों में कम हो। ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स ऐक्ट में कहा गया है कि जमीन बड़े लोगों से हटेगी। आज उसकी परीक्षा हुई और अब एकमात्र यह कहा जा सकता है कि इस विधेयक को केवल इस शक्ल में बनाया जा रहा है कि किसी प्रकार से धन एकत्रित किया जाय। धन एकत्रित किया जाय और उसको जिस प्रकार से खर्च किया जा रहा है उसकी चर्चा करना यहां पर उचित नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर कही जा सकती है कि अगर यह टैक्स लगाया जा रहा है तो इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिये कि दो सौ करोड़ रुपया उन लोगों ने हजम कर रखा है कि जिन लोगों को इनसे अधिक टैक्स देने की सामर्थ्य है। उनमें हमारे उत्तर प्रदेश का भी कुछ हिस्सा है। अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बतलाया कि दो सौ करोड़ रुपया हिन्दुस्तान के उद्योगपतियों ने बावजूद हमारी सरकार की इतनी बड़ी शक्ति के और सरकारी मशीनरी के हजम कर रखा है। वे देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि दो सौ करोड़ में उत्तर प्रदेश का भी कछ भाग है। मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि कानपुर के बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर करोड़ों रुपया बकाया है और जगह भी ऐसे इंडस्ट्रिय-लिस्ट्स है मगर उनके लिये सरकार का बड़ा ही साफ्ट कार्नर उनके दिल में है। दूसरी तरफ नाराजगी किसके ऊपर है? मैं इस बात की चिन्ता नहीं करता कि आप बड़े-बड़े काश्तकारों से पैसा लें, ठीक है, लेकिन खर्च करने का शऊर भी तो होना चाहिये। मैं ही शऊर की बात

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं कहता, लेकिन यू० पी० कांग्रेस कमेटी के सभापति पंडित मुनीश्वरदत्त उपाध्याय ने कहा है। उसके ऊपर तो उनको सोचना ही चाहिये कि उनके लिये उन्होंने क्या कहा है। सरकार जिस तरह से चाहती है खर्च करती है। अन्त में मैं यह कहूंगा कि एक इम्तहान हो गया।

माननीय गौरीशंकर राय ने एक सीधा-सादा प्रस्ताव रखा था और यह प्रस्ताव रखा था कि अगर जमीन बिके तो वह धनहीन और गरीबों में बांटी जाय, लेकिन वह यह बन्धन लगाने को तैयार नहीं हैं और उस पर एक रत्ती भी अमल करने को राजी नहीं हैं। वह चाहते हैं कि जमीन उन्हीं धनी लोगों के पास जाय। इससे एग्रीकल्चरल डिसपेरिटी कायम रहती है, हां यह बहाना-मात्र जरूर है कि भूमि का बटवारा न करना पड़े, बार-बार यह कहा गया यहां कि यह बिल पास हो जायगा तो भूमि का बटवारा नहीं करना पड़ेगा। मैं तो इस कारण से और भी इसका विरोध करता हूं कि यह भूमि के बटवारे का बहाना क्यों किया जा रहा है। नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल ने कहा, प्लानिंग कमीशन ने कहा, लेकिन किसी बात को भी नहीं माना गया, देश की पुकार को भी नहीं माना जाता, गरीबों की गरीबी दूर करने की पुकार को भी नहीं सुना जाता तो किसी चीज को भी न मानकर जमीन का बटवारा नहीं किया जाता और इसीलिये यह तमाम बहाने किये जा रहे हैं। इसीलिये मैं इसका सख्त विरोध कर रहा हूं और चाहता हूं कि इसे स्वीकार न किया जाय।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---अधिष्ठाता महोदय, जनाब मंत्री महोदय अब तक तो यह यह फरमाते थे कि सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में आ जाय, वही हम सुविधा देना चाहते हैं लेकिन यह चीज बड़ी मक्कारी और धोखेबाजी के साथ....

श्री अधिष्ठाता—यह शब्द बिलकुल अनपार्लियामेंटरी हैं आप इन का प्रयोग न करें।

श्री अवधेशप्रसाद सिंह---यह मैं उनके लिये नहीं कह रहा हूं बल्कि बिल के आबजेक्ट की बात पर कह रहा हूं। मैं थोड़े से में ही कहना चाहता हूं। आप रोक देंगे तो बन्द कर दूंगा। केवल मेरा निवेदन यह है कि जो वादे किये गये थे। उसके खिलाफ, जो सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में आया था उसके भी खिलाफ किया गया और इसके साथ-साथ मैं अदब के साथ कहूंगा कि जो सरकार उधर बैठी है उसके बागात के बारे क्या इरादे हैं आपके वादों का कोई एतवार कर सकता है? मैं तो कहूंगा कि यह पूर्ण अन्याय है कि सेलेक्ट कमेटी के संशोधनों को गिलोटीन के स्टेज पर इस तरह से उलट दिया जाय, ऐसा हर्गिज नहीं होना चाहिये था। सरकार को उन चीजों को स्वीकार करना चाहिये था, वर्ना अपोजीशन को कानफीडेंस में लेना चाहिये था और पहले से बताना चाहिये था कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आप ने बगैर किसी को रजामन्द किये मुट्ठीभर कर्मचारियों के बताये हुये आंकड़ों पर आपने सब चीज बदल डाली। मुझे इसका सख्त विरोध है, यह धोखाधड़ी है और वादे खिलाफी है।

श्री चरणसिंह—अधिष्ठाता महोदय, समय भी बहुत कम है और मैं यह भी नहीं चाहता कि माननीय गेंदा सिंह ने जो फरमाया है जिससे उनकी आत्मा को राहत पहुंचेगी और सुख होगा, उनके उस सुख में मैं अपनी कुछ बात कह कर किसी तरह की कमी लाऊं। इसलिए उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता।

दूसरे श्री अवधेश प्रताप सिंह जी ने जो वादे वगैरह की बात कही है यह ठीक है कि सेलेक्ट कमेटी ने ऐसा तय किया था, लेकिन सरकार पर या सदन पर उसकी कोई पाबन्दी नहीं है कि सेलेक्ट कमेटी में जो कुछ हो यह उसी तरीके से हाउस में पास हो जाय। इसलिए धोखाधड़ी की बातों से और दूसरी बातों के करने से कोई फायदा नहीं है। वह जरा अपनी बातों को याद करें जो कल उन्होंने कहीं थी। इन शब्दों के साथ मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इस विधेयक को पारित करे।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर विधेयक, १९५७, जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट तथा अपराध निरोधक समिति के निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अधिष्ठाता—मुझे अभी कुछ घोषणा करनी हैं । एक यह है कि पूर्व कार्य-क्रम के अनुसार कल जेल, यातायात तथा सूचना स्थायी समिति में क्रमशः २, १ तथा १ स्थानों की पूर्ति के लिये सिंगल ट्रान्सफरेबिल वोट के आधार पर निर्वाचन हुआ । कुल १४६ मत प्रदान किये गये, जिनमें से जेल स्थायी समिति के १५, यातायात स्थायी समिति के १२ तथा सूचना स्थायी समिति के १० मत-पत्र अमान्य होने के कारण रद्द कर दिये गये। निर्वाचन के फलस्वरूप निम्नलिखित सदस्य इन समितियों के लिये निर्वाचित घोषित किये जाते हैं ।

जेल स्थायी समिति—श्री उल्फतसिंह (बदायूं) तथा श्री बलदेव सिंह (गोंडा) और यातायात स्थायी समिति के लिये श्री किशोरी रमण सिंह (अलीगढ़) और सूचना स्थायी समिति के लिये श्री शिव शंकर सिंह (रायबरेली) ।

दूसरी घोषणा यह है कि अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय समिति में चार स्थानों के लिए कल बहुमतानुसार निम्नलिखित सदस्य चुने गये हैं:—

१—श्री जगन्नाथ लहरी,
२—श्री रामेश्वर प्रसाद,
३—श्री श्रीकृष्ण गोयल,
४—श्री सईद अहमद अंसारी ।

आगरा यूनिवर्सिटी सीनेट के लिए निम्नलिखित सदस्य चुने गये हैं:—

१—श्री देवीप्रसाद मिश्र,
२—श्री गौरीशंकर राय,
३—श्री डूंगरसिंह,
४—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ,
५—श्री विशम्बर सिंह ।

(इसके बाद सदन ६ बज कर ३० मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ,
२० सितम्बर, १९५७ ।

देवकीनन्दन मित्थल
सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२० पर।)

सूची 'ब'

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गोंडा जिले के विमोचित जातीय व्यक्तियों को दी गई सुविधाओं का विस्तृत विवरण

नाम वर्ष	शिक्षा	गृह निर्माण	कूप निर्माण	कृषि विकास	कुटीर उद्योग	स्वास्थ्य एवं सफाई	योग
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१९५१–५२ ..	२,०००	..	..	..	..	..	२,०००
१९५२–५३ ..	२,०००	..	..	..	..	..	२,०००
१९५३–५४ ..	३,५००	..	..	..	..	..	३,५००
१९५४–५५ ..	२,०००	२,५००	३,०३०	..	२,०००	२,०००	११,५३०
१९५५–५६ ..	३,३००	२,७००	१,३००	..	४,५००	..	११,८००
योग ..	१२,८००	५,२००	४,३३०	..	६,५००	२,०००	३०,८३०

२––बरवार कालोनी गोंडा के लिये निम्नलिखित धनराशि उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई।

(१) २१,५०० रु० प्रतिघर के हिसाब से ४३ घरों के हेतु।
(२) २,५०० रु० पंचायतघर, स्कूल १९५१–५२।
(३) २,००० रु० घरों की मरम्मत हेतु।
(४) १५,००० रु० नलकूप निमित्त १९५५–५६।
(५) ५,५०० रु० जूनियर हाई स्कूल, बरबार कालोनी १९५५–५६।

४६,५०० रु०

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२५ पर।)

योजना के परिणाम की संक्षिप्त रूपरेखा

जिला राय बरेली के ग्राम जगदीशपुर व कोटवा में राजा शिवगढ़ ने अपनी लगभग २९६ एकड़ भूमि को उपनिवेश योजना हेतु सरकारी दर से १८,००० रु० में देने की स्वीकृति दे दी थी, परन्तु भूमि को स्थानांतरित करने में वैधानिक अड़चन के कारण लैन्ड एक्यूजिशन ऐक्ट के अधीन से हस्तगत करना निर्णय किया गया। उक्त ऐक्ट की उपधारा ४ के अन्तर्गत उक्त भूमि को हस्तगत (acquire) करने के लिये विज्ञप्ति अगस्त ४, १९५५ को निर्गत की गई, परन्तु बाद में पुनर्वास के लिये भूमि की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुये ९८ एकड़ भूमि को ही हस्तगत करने का निर्णय किया गया। भिन्न-भिन्न अधिकारियों के निरीक्षण के फलस्वरूप यह प्रतीत हुआ कि बाकी भूमि जो कि बरसात के दिनों में पानी से डूबी रहती है हस्तगत करना शासन के हित में उपयुक्त न होगा। परन्तु जब हस्तगत किये जाने वाला क्षेत्रफल लगभग ९८ एकड़ ही रह गया तो भूमि के मालिक ने उसका प्रतिकर जो लगभग ८,००० रु० होता था लेने से इन्कार कर दिया और ३०,००० रु० की मांग की। सरकार की साधारणतया यह भी नीति है कि किसी की भूमि पुनर्वास योजना के हेतु उसकी इच्छा के विरुद्ध न ली जाय। अतः इस पुनर्वास योजना को समाप्त करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

जहां तक इसी भूमि से मिली हुई भूदान यज्ञ कमेटी की भूमि को लिये जाने का प्रश्न था वह भी पुनर्वास के लिये उपयुक्त प्रतीत नहीं होती है।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१६० एल० ए०—१९५७—७९६।